रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1984/कार्तिक 12, 1906
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1984/KARTIKA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 18th October, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 3407.—In the first line of the declaration contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department No. S.O. 614(E), dated the 22nd August, 1984, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd August, 1984 :—

for the word "provisional",

read "provision".

[F. No. 13(3)/84-Leg. II]
H. C. SUMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1984

आयकर

का. आ 3408—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कालम 2 के नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं कालम 4 के नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए कालम 3 के नीचे उल्लिखित कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे:—

क्रम संख्या	क.व.अ. की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम।	जिन क.व.अ. के स्थान पर कालम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है, उनके नाम।	पुरानी अधिसूचना संख्या और तारीख, जिसका अधिलंघन किया जाना है।
1	2	3	4
1.	श्री ए. एन. छाविड़ियां	श्रीमती किरण एन. दवे	सं. 5059/28-1-83 398/1/83 आ.का. (व.)

1	2	3	4
2.	श्री एम. एन. कुरेशी	श्री पी. टी. मेहता	सं. 5067/ 28-1-83 398/1/83 आ. क. (ब.)
3.	श्री जी. बी. भगत	श्री जे. वी. नाडियाद्रा	सं. 5073/ 28-1-83 398/1/83- आ. क. (ब.)
4.	श्री एस जे. त्रिवेदी	श्री पी. सी० शाह	सं० 5071/ 28-1-83 398/1/83 आ. क. (ब.)

2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहां तक कालम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का संबंध है, यह अधिसूचना उनके द्वारा कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीखों से लागू होगी।

[सं. 5927 (फा. सं 398/6/84 आ.क. (ब.)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th August, 1984

INCOME-TAX

S.O. No. 3408 :— In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the persons mentioned below column 2 being Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below column 3 in supezssession of the Notifications mentioned below column 4 :—

Sl. No.	Name of the persons to be authorised to exercise powers of T.R.O.	Name of T.R.O. in place of whom the persons mentioned in col. 2 are to be authorised.	Old Notification No. & date to be superseded
1	2	3	4
	S/Shri	S/Shri	
1.	A.N. Chabaria	Smt. Krian N. Dave	No. 5059 dt. 28-1-83 398/1/83-IT(B)
2.	M.N. Quroshi	P.T. Mehta	No. 5067 dt. 28-1-83 398 1/83-IT (B)
3.	G.B. Bhagat	J.V. Nadiadra	No. 5073 dt 28-1-83 398/1/83-IT(B)
4.	S.J. Trivedi	P.C. Shah	No. 5071 dt. 28-1-83 398/1/83-IT(B)

2. This Notification shall come into force with immediate effect and in so for as the persons mentioned in column 2 from the dates they take over charges as Tax Recovery Officers.

[No. 5927(F. No. 398/6/84-IT(B)].

का. आ. 3409.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10-8-1982 की अधिसूचना सं 4863 (फा. सं 398/8/81 आ. क. (ब.) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री भोपाल सिंह को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री भोपाल सिंह द्वारा कर वसूली अधिकारी के रुप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं. 5931 (फा. सं. 398/23/84-आ. क. (ब.)]

बी० ई० अलेक्जेंडर, अवर सचिव

S.O. 3409.—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44), of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4863 (F. No. 398/8/81-IT(B) dated 10-8-1982, the Central Government hereby authorises Shri Bhopal Singh, being a gazetted officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the date Shri Bhopal Singh takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5931(F. No 398/23/84-IT(B)]
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1984

(आयकर)

का. आ. 3410 :— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ठ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "अरुलमिग मरियम्मन् मंदिर, उडमलपेठ" को संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6018 (फा. सं. 176/40/84-आ.क. (नि.-1)]

New Delhi, the 11th September, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 3410.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of section 80-C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Mariamman Temple Udamalpet" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6018/F. No. 176/40/84-IT(AI)]

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1984

(आय-कर)

का. आ. 3411.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीया सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मलंकारा सीरियन कन्नाया चर्च, चिंगवनम, कोट्टायम" को कर निर्धारण-वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6021 फा. सं. 197/40/82-आ. क. (नि-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th October, 1984

INCOME-TAX

S.O. 3411.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Incomt-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Malankara Syrian Knanaya Church, Chingavanam, Kottayam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6021/F No. 197/40/82-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 जून, 1984

(आयकर)

का. आ 3412.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इससे पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिलंघन में केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिस की प्रधान कार्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में, अपने कार्यों का निर्वहण करेगा, बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र 2/व्यक्ति/मामले अथवा मामलों की श्रेणियां स्तंभ 2 में उल्लिखित सिटी के अंतर्गत आते हों।

परन्तु यह कि आयकर आयुक्त, ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे मामले के संबंध में भी कार्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी आयकर, अधिकारी को सौंपे गये हों, अथवा सौंपे जाएं। परन्तु यह भी कि आयुक्त ऐसे व्यक्तियों अथवा मामलों के संबंध में कार्य नहीं करेगा, जो उसके क्षेत्राधिकार के बाहर किसी आयकर प्राधिकारी को सौंपे गये हों, अथवा सौंपे जाएं।

अनुसूची

आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
(जांच) बंगलौर	बंगलौर	कर्नाटक-1
		कर्नाटक-2

यह अधिसूचना दिनांक 15-6-1984 से प्रभावी होगी।

[सं. 5854 (फा. सं. 187/16/84-आ. क. (नि-1)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th June, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 3412.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of all earlier notifications issued in this regard the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Commissioner of Income-tax specified in Column (1) of the schedule here annexed with headquarters specified in column (2) thereof shall perform his functions in respect of such areas or such persons or of such cases or classes of cases as are comprised in the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax referred to in column (3) of the said schedule subject to such areas/persons/cases or classes of cases falling within the city mentioned in column 2.

Provided that the Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or such cases as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income-tax authority subordinate to him. Provided further that the Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or such cases as have been or may be assigned to any Income-tax authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

Commissioner of Income-Tax	Hoaquarters	Jurisdiction
1	2	3
(Investigation), Bangalore.	Bangalore	Karnataka-I, Karnataka-II.

This notification shall take effect from 15-6-1984.

[No. 5854 (F.No. 187/16/84-ITAI)]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1981

(आयकर)

का. आ. 3413.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी दिनांक 30-11-1981 की अधिसूचना संख्या 4344 (फा. सं. 187/32/81-आ. का. (नि.-1) द्वारा बनाये गये आयकर आयुक्त (जांच) लुधियाना के अधिकार क्षेत्र को 7 जुलाई, 1984 से एतद्द्वारा समाप्त करती है।

[सं. 5895/फा. सं. 187/19/84-आ. क. (नि.-1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 4th July, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 3413.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby abolishes the charge of Commissioner of Income-tax (Investigation), Ludhiana, created by it, vide its notification No. 4344 (F. No. 187/32/81-IT(AI) dated 30-11-81 with effect from 7th July, 1984.

[No. 5895/F. No. 187/19/84-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy. Central Board of Direct Taxes

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1984

आदेश

स्टाम्प

का. आ 3414 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. टाटा कैमिकल्स लि. बम्बई को मात्र एक लाख, छिहत्तर हजार, छः सौ अठासी रुपये तथा पचहत्तर पैसे के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंम्पनी द्वारा ऋण पत्रों (1 से 2,35,585 की क्रम संख्या की श्रृंखला सं. III) के रूप में जारी किये जाने वाले दो करोड़, पैंतीस लाख, अठावन हजार पांच सौ रु. के अंकित मूल्य के बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 58/84—स्टाम्प/फा. सं. 33/56/84-बि. क.]

MINISTRY OF FINANCE
(Deptt. of Revenue)

New Delhi, the 20th October, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 3414.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Tata Chemicals Ltd., Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh, seventy six thousand, six hundred, eighty eight and palse seventy five only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures (Series No. III, bearing serial numbers 1 to 2, 35, 585) of the face value of two crores, thirty five lakhs, fifty eight thousand, five hundred of rupees to be issued by the said company.

[No. 58/84-Stamps-F. No. 33/56/84-ST]

का. आ. 3415 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि. बम्बई को केवल दो लाख, साठ हजार, पांच सौ रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क को अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले तीन करोड़, पचास लाख, रु. के अंकित मूल्य के (1 से 3,50,000 की क्रम संख्या वाले ऋणपत्रों सीरीज सं. 1) के रूप में बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण पर प्रभार्य है।

[संख्या 59/84—स्टाम्प फा. सं. 33/57/84-वि. क.]

S.O. 3415.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Tata Chemicals Ltd,; Bombay to pay consolidated stamp duty of two lakhs, sixty two thousand, five hundred rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures (Series No, I, bearing serial numbers 1 to 3,50,000) of the face value of three crores fifty lakhs of rupees to be issued by the said Company,

[No. 59/84-Stamps-F. No. 33/57/84-ST]

का. आ. 3416 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मै. टाटा केमिकल्स लि. बम्बई को केवल पचहत्तर हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा ऋण पत्रों (1 से 1,00,000 की क्रम संख्या की सीरीज संख्या 2) के रूप में जारी किए जाने वाले केवल एक करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के बन्धपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 60/84/स्टाम्प एफ. सं० 33/53/84--वि० क०]

भगवान दास, अवर सचिव

S.O. 3416.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Tata Chemicals Ltd., Bombay to pay consolidated stamp duty of seventy five thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures (series No. II bearing serial numbers 1 to 1,00,000) of the face value of one crore of rupees to be issued by the said Company.

[No. 60/84-Stamps-F. No. 33/53/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3417 .—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के. एन. नायर को चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5 सितम्बर 1984 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के.एन. नायर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 8—12/80-आर आर बी]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th October, 1984

S.O. 3417.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Reigonal Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints

Shri K. N. Nair as the Chairman of the Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari and specifies the period commencing on the 5th September 1984 and ending with the 30th September 1987 as the period for which the said Shri Nair shall hold office as such Chairman.

[No. F. 8-12/80-RRB]

का.आ. 3418.—प्रादेशिक बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के जयगोपाल को श्री अनन्ता ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-8-1984 से प्रारम्भ होकर 31-8-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के जयगोपाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 2-59/82 आर आर बी]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 3418.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. Jayagopal as the Chairman of the Sree Anantha Grameena Bank, Anantapur and specifies as the period commencing on the 1-8-1984 and ending with the 31-8-1987 as the period for which the said Shri Jayagopal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-59/82-RRB]

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3419.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 1975 की का.आ. संख्या 2175 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, कालम (1) और (2) में, "परिसर अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :—

अधिकारी का पद नाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
"प्रबंधक (सम्पदा), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दिल्ली के नियंत्रणाधीन परिसरों को छोड़कर, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये अथवा अभिग्रहीत अथवा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से लिये गये परिसर।
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली	प्रबंधक (सम्पदा) नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन परिसरों को छोड़कर, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली तथा हरियाणा राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत के जिलों में, भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये अथवा अभिग्रहीत अथवा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से लिये गये परिसर।
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर	राजस्थान राज्य में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये अथवा अभिग्रहीत अथवा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से लिये गये परिसर।
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आगरा।	उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी और एटा जिलों में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये, अथवा अभिग्रहीत अथवा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से लिये गये परिसर।
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मेरठ	उत्तरप्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये अथवा अभिग्रहीत अथवा उसकी ओर से लिये गये परिसर।
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून	उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध अथवा पट्टे पर लिये गये अथवा अभिग्रहीत अथवा उसकी ओर से लिये गये परिसर।

[सं. 36/41/84-बी. ओ.-III]

New Delhi, the 15th October, 1984

S.O. 3419.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Banking, No. S.O. 2175, dated the 12th July, 1975, namely :—

In the Table to the said notification, in columns (1) and (2), for the entries relating to the "Premises Officer, State Bank of

India, New Delhi", the following entries shall be substituted, namely :—

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
"Manager (Estate), State Bank of India, New Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the Union Territory of Delhi other than the premises under the control of the Chief Regional Manager, Delhi.
Chief Regional Manager, State Bank of India, New Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the Union Territory of Delhi other than the premises under the control of the Manager (Estate), New Delhi and the Districts of Gurgaon, Faridabad and Sonepat in the State of Haryana.
Chief Regional Manager, State Bank of India, Jaipur.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the State of Rajasthan.
Chief Regional Manager, State Bank of India, Agra.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the Districts of Agra, Aligarh, Mathura, Mainpuri and Etah in the State of Uttar Pradesh.
Chief Regional Manager, State Bank of India, Meerut.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the Districts of Meerut, Ghaziabad, Bijnor, Bulandshahr, Saharanpur and Muzaffar Nagar in the State of Uttar Pradesh.
Chief Regional Manager, State Bank of India, Dehra Dun.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Bank of India in the Districts of Dehra Dun, Chamoli, Uttar Kashi, Pauri Garhwal and Tehri Garhwal in the State of Uttar Pradesh".

[No. 36/41/84-B.O. III]

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3420—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलौर पर और एक वर्ष की अवधि के वास्ते अर्थात् 29 दिसम्बर 1985 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध इसके द्वारा कुडगल, जिला धारवाड, कर्नाटक में धारित 810, 811 और 812 म्यूनिसिपल संख्या वाली दुकान व टीन के गोदामों सहित दो मंजिला मकान की अचल सम्पति से है ।

[सं. 15/32/83-बी. ओ. III]

New Delhi, the 19th October, 1984

S.O. 3420.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Karnataka Bank Limited, Mangalore, for a further period of one year i.e. upto the 29th December, 1985 in respect of the immovable property of a two storeyed house including shop and tin godowns bearing Municipal Nos. 810, 811 and 812 held by it at Kundgol, Dharwar District, Karnataka.

[No. 15/32/83-B.O. III]

का. आ. 3421—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) के उपखंड 17 दिसम्बर 1984 तक बैंक आफ कोचीन, एर्नाकुलम नहीं होंगे ।

[सं. 15/7/84-बी. ओ.-III]

S.O. 3421.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of section 10-B of the said Act shall not apply to the Bank of Cochin Ltd., Ernakulam, till the 17th December, 1984.

[No. 15/7/84-B. O. III]

का. आ. 3422—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध गणेश बैंक आफ कुरूडवाड लि., करूडवाड पर 19 सितम्बर 1984 से 18 दिसम्बर, 1984 तक की तीन महीने की अवधि के वास्ते या जब तक उस बैंक के लिये नियमित रूप से पूर्ण कालिक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, इन दो में से जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे ।

[सं. 15/25/84-बी. ओ. III]

माधव लाल, अवर सचिव

S.O. 3422.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the Ganesh Bank of Kurundwad Ltd., Kurundwad, for a period of three months from 19th September, 1984 to 18th December, 1984 or till the appointment of a regular wholetime Chairman and Chief Executive Officer for that bank, whichever is earlier.

[No. 15/25/84-B. O. III]

MADHAV LAL, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1984

का०आ० 3423.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए घरेलू विद्युत उपकरणों" को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण

नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0 का0आ0 1144 तारीख 7 अप्रैल, 1984 के अधीन भारत के राजपत्र भाग–II, खंड-3 उपखंड-(ii) तारीख 7 अप्रैल, 1984 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी ,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 अप्रैल, 1984 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, इसके द्वारा :—

(1) अधिसूचित करती है कि घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा;

(2) "घरेलू विद्युत उपकरणों" का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984 के अनुसरण में क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व ऐसे "घरेलू विद्युत उपकरणों" पर लागू होंगे;

(क) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को;

(ख) सुसंगत राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय विनिर्देशों में निर्धारित के अनुसार सभी विद्युत और यांत्रिक परीक्षणों को पूरा करते हुए संवाहक या सीसा तार यदि कोई हो, के सहित "घरेलू विद्युत उपकरणों" के अधीन रहते हुए विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए संविदात्मक विनिर्देशों को; और

(ग) ऐसे संविदाओं के लिए विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए गए संविदात्मक विनिर्देशों को जैसे कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने से ठीक पूर्व किए गए थे तथा इसके पश्चात् उक्त तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्यात किए गए ;

"घरेलू विद्युत उपकरणों" के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे घरेलू विद्युत उपकरणों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो की घरेलू विद्युत उपकरण उक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य है या उन पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सील या चिन्ह न लगा हुआ हो ।

2. इस आदेश की कोई भी बात :—

(क) भावी क्रेताओं को भूमि, वायु या जलमार्ग द्वारा एक ही प्रकार और डिजाइन के दो से अनाधिक घरेलू विद्युत उपकरणों के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

(ख) "घरेलू विद्युत उपकरण" के उन परेषणों पर लागू नहीं होगी जो राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ठीक पहले निर्यातकर्ता/विनिर्माता के परिसर से जा चुके हैं ।

3. इस आदेश में "घरेलू विद्युत उपकरण" से नीचे दी गयी अनुसूची में दिए गए उपकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है—

अनुसूची

क्रम सं.	घरेलू विद्युत उपकरण
1.	विद्युत इमरशन जल उष्मायक
2.	संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत हीटर
3.	घरेलू एवं उसके समरूप प्रयोजनों के लिए स्विच
4.	विद्युत प्रेस
5.	विद्युत स्टोव
6.	विद्युत हाट प्लेट
7.	घरेलू विद्युत खाद्य मिश्रक (हस्त मिश्रक तथा ब्लेंडर)
8.	विद्युत टोस्टर
9.	विद्युत काफी परकोलेटर (बिना रेगुलेटर)
10.	घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिए विद्युत केतली और जग ।
11.	कपड़े धोने की घरेलू विद्युत मशीन (बिना स्वचालित के)
12.	विद्युत रेडिएटर
13.	पानी उबालने का विद्युत यंत्र ।
14.	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत यंत्र ।
15.	खाना पकाने के घरेलू विद्युत ओवन ।
16.	मुख्य परिचालित विद्युत शेवर ।
17	स्टीम प्रेस ।
18.	घरेलू प्रयोग के लिए हीटिंग पैड के नम्य विद्युत यंत्र ।
19.	सुवाह्य मुख्य हस्तचालित मसाजर ।
20.	सुवाह्य धीमी गति वाली खाद्य मिश्रक मशीन ।
21.	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन)
22.	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन) प्रवेशिक उपकरण ।
23.	विद्युत जल हीटर के साथ प्रयुक्त थर्मोस्टेट ।
24.	गोलों की तरह तापन अवयव (असन्निहित)
25.	हीटिंग ऐलिमेंट के लिए प्रतिरोधक तार, पट्टियां तथा धारियां ।
26.	अन्तःस्थापित प्रकार के ठोस हीटिंग ऐलिमेंट
27.	खनिज से भरा आवृत्त हीटिंग ऐलिमेंट ।
28.	विद्युत ओवन के सामान्य प्रयोग के लिए थर्मोस्टेट ।
29.	अभ्रक युक्त उष्मारोधी हीटिंग ऐलिमेंट
30.	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिए स्विच 2 ए एम पी एस
31.	विद्युत के सुवाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रेकिट ।
32.	तीन पिन प्लग तथा साकिट निर्गम ।
33.	सचकवार सामान्य से बनाए हुए तीन पिन प्लग ।
34.	बयोनेट लैंप होल्डर ।
35.	क्षणिक पानी गर्म करने के लिए विद्युत हीटर ।
36.	एक सतही वैकिंग ओवन ।
37.	ताप संवाहक ।

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

नई दिल्ली 27 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3423(क).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के खंड (घ) के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू विद्युत उपकरण निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ;

(घ) "घरेलू विद्युत उपकरणों" से अनुसूची I में उल्लिखित कोई भी उपकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार:—निरीक्षण किए जाने वाले घरेलू विद्युत उपकरणों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि घरेलू विद्युत उपकरण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात्:—

(1) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक और निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्य अन्य संस्थाओं के मानक ;

(2) सुसंगत राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशों में निर्धारित के अनुसार सभी विद्युत और यांत्रिक परीक्षणों को पूरा करते हुए, संवाहक या सीसा तार यदि कोई हो, के सहित "घरेलू विद्युत उपकरणों" के अधीन रहते हुए विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के बीच मध्य करार पाए संविदात्मक विनिर्देशों के ; और

(3) ऐसे संविदाओं के लिए विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के के मध्य करार पाए गए संविदात्मक विनिर्देश जैसे कि कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने से ठीक पूर्व किए गए थे तथा इसके पश्चात् उक्त तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्यात किए गए ;

—जो घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

या

(क) यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि उत्पाद का विनिर्माण उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए किया गया है जो इस अधिसूचना के उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट है।

या

(ख) इस अधिसूचना के उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार किए गए निरीक्षण तथा परिक्षण के आधार पर किया जाएगा

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) घरेलू विद्युत उपकरणों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देश का ब्योरा देते हुए, अभिकरण को लिखित सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सकें :

(2) घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्यात करने के लिए जिनका विनिर्माण उपाबंध-I में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके और परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह न्याय निर्णयन के बाद कि उत्पादन के दौरान यूनिट में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण क्रियाएं हैं, किया गया है निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित घरेलू विद्युत उपकरणों के परेषण का विनिर्माण उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने के कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी ; जबकि उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माता परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो की प्राप्ति पर अभिकरण—

(क) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना यह समाधान कर कर लेने पर कि विनिर्माता ने उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और और इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों लों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के संबंध में परिषद/अभिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है, तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है।

(ख) जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां भी परेषण का का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन तथा या निरीक्षण यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है।

(6) (क) अभिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की स्थल पर ही जांच करेगा और विनिर्माण एककों द्वारा अपनाई गयी उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियाओं की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर विनिर्माण एकक में जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक में विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं किया गया है या परिषद/अभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया गया है तो यह घोषणा कर दी जाएगी कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण क्रियाएं नहीं हैं। ऐसे मामलों में, यदि यूनिट ऐसा चाहे तो उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियाओं की पर्याप्तता को बनाएं रखने के बारे में अधिनिर्णय करने के लिए फिर से आवेदन करेगा।

(ङ) जहां निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है वहां अपना यह समाधान करने पर कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है उपाबंध-II में यथा अधिकथित किए गए निरीक्षण और परीक्षण के सात दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां यह घोषित करते हुए कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार किए जाने की सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित सात दिन के भीतर दे दी जाएगी ।

(7) उस दशा में जहां विनिर्माता उपनियम (5) (ख) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उपनियम (6) के अधीन निरीक्षण किया गया है, वहां अधिकरण निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् सुरक्षा परेषण में से पैकेजों को इस रीति से मुहर बंद करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुहरबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं की जा सकती है । परेषण के अस्वीकृत किए जाने की दशा में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण अधिकरण द्वारा मुहरबंद नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान.—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण :

(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर या (ख) उन परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं विद्यमान हों ।

6. निरीक्षण फीस.—यथास्थिति विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा अधिकरण को निरीक्षण फीस निम्नानुसार दी जाएगी.—

(1) नियम 3(क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के अधीन अनुमोदित यूनिटों द्वारा निर्यात के लिए आशयित तथा विनिर्मित वस्तुओं के प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से ।

(2) परेषणानुसार निरीक्षण के लिए नियम 3 (ख) के अधीन निरीक्षण करने के लिए न्यूनतम 20 रुपए प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर से ।

(3) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्तरों की पर्याप्तता रखने वाली यूनिटों द्वारा निर्मित तथा मर्चेंट व्यापारी द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम 20 रुपए प्रति परेषण के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 0.3 प्रतिशत की दर से ।

(4) (1) (2) तथा (3) में दी गयी निरीक्षण फीस पर 10 प्रतिशत की छूट उन लघु उद्योग एककों को दी जाएगी जो संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के पास रजिस्ट्रीकृत हैं ।

7. मान्यताप्राप्त चिन्ह का चिपकाना और उसकी प्रक्रिया.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 और भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह विनियम, 1955 उपबंध निर्यात से पूर्व घरेलू विद्युत उपकरणों पर मान्यता प्राप्त चिन्ह या मार्क चिपकाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे और इस प्रकार चिह्नित घरेलू विद्युत उपकरण निर्यात से पूर्व नियम 4 के अधीन किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगे ।

8. अपील.—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिये गठित विशेषज्ञों के पैनल को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों से मिलकर बना होगा अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल में विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो-तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

उपाबंध-I

[नियम 3(क), 4(2), 5(क), 5(ख) देखिए]

विनिर्माता, घरेलू विद्युत उपकरण का क्वालिटी नियंत्रण अनुसूची II में दिये गये नियंत्रण के स्तरों सहित अधिकथित उत्पादों के विनिर्माण, संरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों को लागू करते हुए प्रयोग करेगा ।

1 क्रय की गयी सामग्री तथा संघटकों का नियंत्रण :

(क) विनिर्माता प्रयुक्त किये जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशेषताओं और सहयताओं सहित विस्तृत विधाओं को समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए उत्पादक का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा या ऐसा परीक्षण प्रमाण-पत्र न होने पर, क्रय विनिर्देशों इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिये, प्रत्येक परेषण में से नमूनों की निर्धारित जांच की जायेगी । उत्पादक के परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता सत्यापित करने के लिये पांच परेषणों में क्रम से क्रम एक बार पुन: जांच की जायेगी ।

(ग) आने वाले परेषण का निरीक्षण और परीक्षण, सांख्यिकी योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा ।

(घ) निरीक्षण और परीक्षण किये जाने के पश्चात् दोषों के निपटाने तथा उचित पृथक्करण के लिये व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखे जायेंगे ।

2 प्रक्रिया नियंत्रण :—(क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये व्यौरेवार प्रक्रिया, विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिये उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) प्रसंस्कृत सामग्री की प्रसंस्कृत विनिर्देशों के साथ अनुरूपता की जांच के लिये नमूना (जहां कहीं अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(घ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपनाये गये नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिये पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे ।

3. उत्पाद नियंत्रण :(क) मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिये विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधायें होंगी या उनकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ख) परीक्षण के लिये नमूना लिया जाना (जहां अपेक्षित है) अभिलेखित अन्वेषणों पर आधारित होगा ।

(ग) विनिर्माता किये गये परीक्षणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप में रखेगा ।

4. माप संबंध नियंत्रण : उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों और उपकरणों की कालिक जांच या अंशांशोधन किया जायेगा और अभिलेख वृत्तकाई के रूप में रखे जायेंगे ।

5. परिरक्षण नियंत्रण : (क) विनिर्माता उत्पाद की मौसम के प्रतिकूल प्रभावों सुरक्षित करने के लिये विस्तृत विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) उत्पाद को भंडारकरण और अभिवहन, दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जायेगा ।

6. पैकिंग नियंत्रण : उत्पाद(ओं) की पैकिंग तथा निर्यात किये जाने वाले पैकेजों के लिये विनिर्देश अधिकथित किये जायेंगे और उनका कठोरता से पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

उपाबंध—II

[नियम 3.4(6) (ख) देखें]

1. घरेलू विद्युत उपकरणों के परीक्षणों का निरीक्षण तथा परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

2. नमूना लेने और अनुरूपता के मानदंडों के संबंध में संविदात्मक विनिर्देशों में किसी विशिष्ट अनुबंध के न होने की दशा में वही अनुबंध लागू होंगे जो नीचे दी गयी सारणी में अधिकथित हैं ।

2.1 सारणी-I में दिये गये लाटों में से चुने गये नमूनों में से सुसंगत राष्ट्रीय मानकों पर दिये गये स्वीकृत परीक्षण किये जायेंगे और लाटों को सारणी-I में दिये गये अनुरूपता के मानदंडों के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा ।

सारणी-II

नमूना, आकार और पुष्टि के लिये मानदंड

लॉट आकार	प्रथम नमूना	द्वितीय नमूना	स्वीकृत संख्या	प्रथम अस्वीकृत संख्या	द्वितीय अस्वीकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50 तक	5	5	0	2	2
51 से 100 तक	8	8	0	2	2
101 से 300 तक	13	13	0	2	2
301 से 500 तक	20	20	0	2	3
501 और अधिक	32	32	0	3	4

नोट :—लॉट से एक परेषण में एक ही बनावट, माडल तथा प्रकार के एकत्रित किये गये सभी उपकरण अभिप्रेत है ।

2.2 चुनाव की बेतरतीबी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई एस 4905—1968 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

2.3 सारणी-I के स्तम्भ (1) तथा (2) के अनुसार एक साथ चुने गये उपकरणों का अलग-अलग उपकरण विनिर्देश में विनिर्दिष्ट स्वीकृत परीक्षण किया जायेगा कोई उपकरण स्वीकृत परीक्षणों में से किसी की भी पूर्ति करने में असमर्थ होता है तो उसे दोषपूर्ण समझा जायेगा । यदि नमूने के दोषों की संख्या स्वीकृत संख्या (स्तम्भ 4 देखें) के बराबर या कम पायी जाती है तो लाट को अपेक्षाओं के अनुरूप समझा जायेगा और यदि नमूने में दोषों की संख्या पहली अस्वीकृत संख्या (स्तम्भ 5 देखें) के बराबर या अधिक है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा । यदि दोषों की संख्या स्वीकृत संख्या और पहली अस्वीकृत संख्या के मध्य आती है तो उसी आकार का दूसरा नमूना (स्तम्भ 3 देखें) उसी समय लिया जायेगा और परीक्षण किया जायेगा । यदि दोषों की संख्या मिश्रित नमूनों में दूसरी अस्वीकृत संख्या (स्तम्भ 6 देखें) के बराबर या अधिक पायी जाती है तो लॉट अस्वीकृत कर दिया जायेगा अन्यथा स्वीकृत कर दिया जायेगा ।

2.4 निरीक्षण करने से पहले अभिकरण अपना समाधान कर लेगा कि प्रत्येक उपकरण पर दैनिक परीक्षण जैसा कि सुसंगत मानक में दिया गया है, निर्यातकर्ता/विनिर्माता द्वारा परेषण करा दिया गया है

2.5 विनिर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा निरीक्षण के लिये दिये गये एक ही प्रकार तथा दर के उपकरणों के दस निरन्तर परेषणों के (या एक वर्ष में कम से कम एक बार) एक में से दो नमूने लिये जायेंगे और मानक विनिर्देशों में दिये गये के अनुसार प्रकार परीक्षण किया जायेगा और दोनों नमूनों को प्रकार परख में पास होना चाहिये । तथापि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 : महीने की अवधि के लिये अभिकरण इन परीक्षणों के संबंध में निर्यातकर्ता/विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी प्रमाण स्वीकार करेगा । ऐसे दस्तावेजी प्रमाण इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः महीनों से अधिक पुराने नहीं होंगे ।

2.6 परीक्षण की पद्धति : यदि निर्यात संविदा में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो परीक्षण प्रक्रिया सुसंगत राष्ट्रीय मानक विनिर्देश के अनुसार या भारतीय मानक विनिर्देशों का नवीनतम रूपान्तर होगा । अधिनियम के भाग 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश के अन्तर्गत नमूनों के सभी परीक्षण किये जायेंगे ।

अनुसूची—I

नियम 2(घ) देखें

क्रम सं०	विद्युत घरेलू उपकरण
1.	विद्युत इमरशन जल उष्मायक
2.	संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत हीटर
3.	घरेलू एवं उसके समरूप प्रयोजनों के लिये स्विच
4.	विद्युत प्रैस
5.	विद्युत स्टोव
6.	विद्युत हॉट प्लेट
7.	घरेलू विद्युत खाद्य मिश्र (द्रव मिश्रक तथा ग्राईंडर)
8.	विद्युत टोस्टर
9.	विद्युत काफ परकोलेटर (बिना रेग्यूलेटर)
10.	घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिये विद्युत केतली और जग
11.	कपड़े धोने की घरेलू विद्युत मशीन (बिना स्वचालित के)

1	2
12.	विद्युत् रेडिएटर
13.	पानी उबालने का विद्युत् यंत्र
14.	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत् यंत्र
15.	खाना पकाने के घरेलू विद्युत् ओवन
16.	मुख्य परिचालित विद्युत् शेवर
17.	स्टीम प्रैस
18.	घरेलू प्रयोग के लिये हीटिंग पैड के सम्य विद्युत् यंत्र
19.	सुबाह्य मुख्य हस्तचालित मसाजर
20.	सुबाह्य धीमी गति वाली खाद्य मिश्रक मशीन
21.	संयोजक उपकरण तथा लगाये गये उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन) संयोजक उपकरण
22.	संयोजक उपकरण तथा लगाये हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन प्रकार के पिन) प्रवेशित उपकरण
23.	विद्युत् लज हीटर के साथ प्रयुक्त थर्मोस्टेट
24	गोलों की तरह तापन अवयव
25.	हीटिंग एलिमेंट के लिये प्रतिरोधक तार, पट्टियां तथा धारियां
26.	अन्तःस्थापित प्रकार के ठोस विद्युत् हीटिंग एलिमेंट
27.	खनिज से भरा आवृत्त हीटिंग ऐलिमेंट
28.	विद्युत् ओवन के सामान्य प्रयोग के लिये थर्मोस्टेट
29	अभ्रक युक्त उष्मारोधी हीटिंग ऐलिमेंट
30.	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिये स्विच 2 ए एम पी एस
31.	विद्युत् के सुबाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रेकिट
32	तीन पिन लग तथा सॉकिट निर्गम
33.	लचकदार सामान से बनाये हुए तीन पिन प्लग
34.	बेयोनेट लैंप होल्डर
35.	क्षणिक पानी गर्म करने के लिये विद्युत् हीटर
31.	एक सतही बेकिंग ओवन
37.	ताप संवाहक

अनुसूची-II

(उपाबंध II देखें)

नियंत्रण के स्तर

(उत्पाद के लिए लागू मान्य मानकों के सीमित परीक्षण)

क्रम सं.	निरीक्षण/परीक्षण की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूना आकार	लॉट आकार	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	कच्ची सामग्री और खरीदे गए संघटक				
	(क) चाक्षुण निरीक्षण (कार्य कौशल और फिनिश सहित)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(ख) विमाएं (i) क्रान्तिक (ii) अन्य	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	प्रत्येक लॉट	—
	(ग) संघटकों के लिए विद्युत परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	प्रत्येक लॉट	—
	(घ) अन्य कोई अपेक्षाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	प्रत्येक लॉट	—
2.	नेमी परीक्षण सुसंगत मानक विनिर्देशों में दिए गए अन्य कोई परीक्षण तथा उपयुक्तता पर निर्भर होते हुए, विनिर्माण यूनिटों में उत्पादित प्रत्येक उपकरण पर नेमी परीक्षण किया जाएगा।				
	(क) चाक्षुण जांच तथा निरीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—
	(ख) विद्युत आघात के सुरक्षा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—
	(ग) उच्च वोल्टता परीक्षण (फ्लैश परीक्षण)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—
	(घ) उष्मारोधी प्रतिरोधी परीक्षण (मुख्य)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—

1	2	3	4	5	6
	(ड) भूयोजन सम्पर्क	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—
3	स्वीकृत परीक्षण उपयुक्तता पर निर्भर रहते हुए यहां नीचे वर्णित उपकरणों पर निम्नलिखित ग्राह्य परीक्षण किए जाएंगे।	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण	—	—
	(1) विद्युत इमरशन श्रम उष्मायक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) रिसाव करेंट				
	(3) निवेश				
	(4) तापमान सीमा				
	(5) नमी परीक्षण				
	(2) संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत जल हीटर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) दाब परीक्षण				
	(3) मूल क्षमता				
	(4) तापमान वृद्धि				
	(5) निवेश				
	(6) स्थिर हानि				
	(7) अशकालिक डायल का विचलन				
	(3) घरेलू एवं उसके समक्ष प्रयोजन के लिए स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) नमी प्रतिरोधता				
	(3) सम्पर्क रोध तथा तापमान वृद्धि				
	(4) उच्च वोल्टता तथा अधिक करेंट धारिता				
	(5) क्षमता परीक्षा				
	(6) ऐसी प्रेरक परिपथ के लिए स्विच				
	(7) यान्त्रिक शक्ति				
	(8) अधिकतम खिंचाव				
	(4) विद्युत प्रेस	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) रिसाव करेंट (गर्म)				
	(3) नमी प्रतिरोध				
	(4) निवेश				
	(5) तापमान वृद्धि				
	(6) उष्मा समय				
	(7) सोल प्लेट तापमान का माप				
	(5) विद्युत स्टोव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(6) विद्युत हॉट प्लेट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) रिसाव करेंट				
	(3) नमी प्रतिरोध				

1	2	3	4	5	6
	(4) निवेश				
	(5) तापमान सीमा				
	(6) थर्मल क्षमता				
	(7) घरेलू विद्युत खाद्य मिश्रण (द्रव मिश्रक तथा ग्राईंडर)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(1) निवेश				
	(2) विद्युत उष्मारोध तथा परिचालित तापमान पर रिसाव करेंट				
	(3) नमी प्रतिरोध				
	(4) उष्मारोधी प्रतिरोध विद्युत क्षमता				
	(5) परिचालन परीक्षण				
	(6) बाउल के लिए सह परीक्षण तापमान				
	(8) विद्युत टोस्टर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) रिसाव करेंट				
	(3) नमी प्रतिरोध				
	(4) निवेश टोस्टिंग परीक्षण				
	(5) टोस्टिंग परीक्षण				
	(6) तापमान सीमा				
	(9) घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिए विद्युत केतली तथा जग	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(1) परिचालित तापमान पर विद्युत उष्मारोधन, रिसाव करेंट (गर्म)				
	(2) नमी प्रतिरोध				
	(3) निवेश				
	(4) उबालने की दक्षता क्षमता का समय				
	(5) तापमान वृद्धि				
	(10) विद्युत कॉफी परकोलेटर (बिना रेग्यूलेटर के)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(1) उच्च वोल्टता				
	(2) रिसाव करेंट				
	(3) निवेश				
	(4) तापमान सीमा				
	(5) तापमान प्रतिरोध				
	(6) थर्मल क्षमता				
	11(क) कपड़े धोने की घरेलू विद्युत मशीन (बिना स्वचालित)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) निवेश				
	(v) तापमान वृद्धि				
	(vi) निष्पादन				
	(12) घरेलू रेडिएटर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित रिकत अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) नमी प्रतिरोधता				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) निष्पादन				
	(vi) रिसाव करेंट				

1	2	3	4	5	6
(13)	पानी उबालने का विद्युत यंत्र (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) निवेश (iv) तापमान सीमा (v) नमी प्रतिरोधकता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(14)	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत यंत्र (i) तापमान वृद्धि (ii) रिसाव करेंट (iii) उच्चत वोल्टता (iv) नमी प्रतिरोधता (v) निवेश (vi) उष्मारोधी प्रतिरोध (गर्म) (vii) असामान्य परिचालन (viii) थर्मोस्टेट तथा थर्मल का निष्पादन (ix) आरम्भ (x) निष्पादन (xi) क्षमता परीक्षा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(15)	खाना पकाने के घरेलू विद्युत ओवन (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) निवेश (iv) तापमान की एकसारता (vi) तापमान वृद्धि	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(16)	मुख्य परिचालित विद्युत मोटर (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) अधिक तथा कम वोल्टता पर संचालन (iv) नमी प्रतिरोधता (v) तापमान सीमा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(17)	स्टीम प्रेस (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) निवेश (vi) तापमान सीमा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(18)	घरेलू प्रयोग के लिए हीटिंग पैड के लिए विद्युत यंत्र (i) दबाव सहायता (ii) डाईइलैक्ट्रिक क्षमता (iii) उष्मारोधी प्रतिरोधी (iv) निवेश (v) सतह ताप (vi) नमी प्रतिरोधता (vii) जल सह (केवल जल सह पैड पर लागू)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(19)	सुखाने मुख्य हस्तचालित विद्युत मसाजर (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता पर संचालन (iv) नमी प्रतिरोधता (v) तापमान सीमा (vi) निष्पादन (vii) अतिभार पर संचालन (viii) नियमित संचालन (ix) निवेश (x) स्टार्टिंग	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—

1	2	3	4	5	6
(20)	सुवाह्य धीमी गति वाली खाद्य ग्राइंडिंग मशीन (i) फिनिश (ii) चिन्हन (गीले ग्राइंडर के लिए) (iii) महत्तापमान (केवल प्लास्टिक तथा कागज के हापर के लिए)। (iv) रिसाव करेंट (v) उच्च वोल्टता (vi) नमी प्रतिरोधता (vii) निवेश (viii) तापमान वृद्धि (ix) संचालन और निष्पादन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(21)	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन) संयोजक उपकरण। (i) विमाओं का विस्तार (ii) उच्च वोल्टता (iii) प्रभावकारी स्पर्श (iv) निकासी खींचना (v) नमी प्रतिरोधता (vi) तापमान सीमा (vii) क्षमता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(22)	संयोजक उपकरण तथा लगाए गए उपकरण (बिना प्रतिवर्ती के तीन प्रकार के पिन) प्रवेशिका उपकरण। (i) विमाओं का विस्तार (ii) उच्च वोल्टता (iii) नमी प्रतिरोधता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(23)	पानी गर्म करने वाले विद्युत हीटर के प्रयोग के लिए थर्मोस्टेट। (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) तापमान सीमा (v) उष्मीय विशेषताएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(24)	गोली की तरह तापन अवयव (बिना अन्तःस्थापित प्रकार)। (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) निवेश	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(25)	हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रतिरोधक तार पट्टियां तथा धारियां। (i) भौतिक दशा (ii) भौतिक विमाएं (iii) काम करने का अधिकतम तापमान (iv) तनन विशेषताएं (v) प्रतिरोधता (vi) प्रतिरोधता की एकरूपता (vii) लपेटना (viii) क्षमता परीक्षा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(26)	अन्तःस्थापित प्रकार का ठोस विद्युत हिटिंग एलिमेंट (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसाव करेंट (iii) नमी प्रतिरोधता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—

1	2	3	4	5	6
(27)	खनिज से भरा आवृत हीटिंग एलिमेंट (i) रिसाव करेंट (ii) उच्च वोल्टता (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) निवेश (v) ऊष्मारोधी प्रतिरोधता (vi) हाईड्रोस्टेटिक दबाव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(28)	विद्युत ओवन के सामान्य प्रयोग के लिए थर्मोस्टेट (i) रिसाव करेंट (ii) उच्च वोल्टता (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) अंशांशोधन परिशुद्धता तथा विभेदक (v) श्रेणी (रेंज)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(29)	अग्रक ऊष्मारोध हीटिंग एलिमेंट (i) रिसाव करेंट (ii) उच्च वोल्टता (iii) नमी प्रतिरोधता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(30)	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिए स्विच (i) उच्च वोल्टता (ii) नमी प्रतिरोधता (iii) सम्पर्क प्रतिरोधता (iv) तापमान वृद्धि (v) अधिक वोल्टता तथा अधिक करेंट धारिता (vi) क्षमता परीक्षा (vii) यांत्रिक शक्ति (viii) एसी प्रेरण परिपथ	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(31)	विद्युत के सुबाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रेकिट (i) परिचालन परीक्षण (ii) उच्च वोल्टता (iii) रिसाव करेंट (iv) तापमान सीमा (v) नमी प्रतिरोधता (vi) स्विचों के लिए परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(32)	तीन पिन प्लग तथा साकेट निर्गम (i) विनिमय योग्यता (ii) उच्च वोल्टता (iii) नमी प्रतिरोधता (iv) तापमान वृद्धि (v) टूटन क्षमता (vi) ऊष्मारोधी प्रतिरोधता (vii) यांत्रिक शक्ति (viii) सम्पर्क का प्रभाव (ix) क्षमता परीक्षा (केवल शटर के लिए) (x) सिकामी खिंचाव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(33)	खचकदार सामान के बनाए हुए तीन पिन प्लग (i) विनिमय योग्यता (ii) ऊष्मारोधी प्रतिरोधक (iii) उच्च वोल्टता (iv) नमी प्रतिरोधता (v) तापमान वृद्धि (vi) टूटन क्षमता (vii) यांत्रिक शक्ति (viii) कान्टेक्ट का प्रभाव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—

1	2	3	4	5	6
(34)	बेयोनेट लैम्प होल्डर (i) गेज परख (ii) उष्मारोधकता प्रतिरोधक (iii) उच्च वोल्टता (iv) तनन परीक्षण (v) मूशसश दबाव परीक्षण (vi) निर्यात्रिक रस्सी	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(35)	क्षणिक पानी गर्म करने के लिए विद्युत हीटर (i) दबाव (ii) तापमान वृद्धि (iii) निवेश (iv) रिसाव करेंट (v) उच्च वोल्टता (vi) स्विच प्रवाह का संचालन (vii) निकासी जल तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
(36)	एक परत बेकिंग ओवन (i) उच्च वोल्टता (ii) रिसावट करेंट (iii) निवेश (iv) तापमान की एकरूपता (v) तापमान की वृद्धि	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।	—	—
	प्रकार परख संगत मानक विनिर्देशों में दिए गए इस परीक्षण तथा उपयुक्त पर निर्भर होते हुए निम्नलिखित प्रकार परीक्षण किया जाएगा।				
	(i) अग्नि प्रतिरोधक विशेषताएं (ii) रबड़ के लिए काल परीक्षण (iii) खिचाव की प्रतिरोधता (iv) यांत्रिक दाब (v) टिकाऊ पद (vi) बहुमुखी केबलों तथा रस्सी के लिए परीक्षण (vii) पुर्जों के बीच कोई गार्ड और संबंधित विस्थापन (viii) पेंच और संयोजक (ix) सिरें (x) यांत्रिक शक्ति (xi) जंग प्रतिरोधता (xii) फिनिश के लिए परीक्षण (xiii) तापमान वृद्धि (xiv) संचालन तापमान पर विद्युत उष्मारोधन रिसाव करेंट (गर्म)। (xv) नमी प्रतिरोधक (xvi) उष्मारोधी प्रतिरोधक रिसाव करेंट (ठण्डा) तथा विद्युत शक्ति। (xvii) निवेश (xviii) श्लका (xix) असाधारण संचालन (xx) दूरी तथा स्पष्टीकरण तथा निकासी (xxi) तापस्थायी तथा उष्मा रोक का निष्पादन (xxii) अधिक भार के अधीन संचालन तथा उच्च वोल्टता सुरक्षात्मक यंत्र के लिए परीक्षण। (xxiii) मोटर संचालन उपकरण का आरम्भ (xxiv) क्षमता परीक्षा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित विनिर्देशों के आधार पर नियत किया जाए।	जहां और जैसे कच्ची सामग्री का प्रकार बदला जाता है जैसे हीटिंग ऐलिमेंट आदि तो सभी प्रकार के परीक्षण दो नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।	

[सं० 6(5)/82-ई०आई० एण्ड ई०पी०]
एन०एस० हरिहरन, निदेशक

New Delhi, the 27th October, 1984

ORDER

S.O. 3423.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting 'Household Electrical Applicances' to quality control and inspection prior to export were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (ii), dated the 7th April, 1984 under the Order of Government of India, in the Ministry of Commerce No. S O. 1144 dated the 7th April, 1984 ;

And whereas objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publications of the said Order in the Official Gazette.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th April, 1984.

And whereas objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of Export Trade of India, hereby:—

(1) notifies that 'Household Electrical Applicances' shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) specifies the type of quality control and inspection in accoordance with the Export of 'Household Electrical Appliances' (Quality Control and Inspection) Rules, 1984, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such 'Household Electrical Appliances' prior to export;

(3) recognises:—

(a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) The contractual specifications as agreed upon between foreign buyer and the exporter subject to 'Household Electrical Applfances' including connectors and lead wires, if any, meet with all the Electrical and Machanical tests as stipulated in the relevant National or International specifications; and

(c) The contractual specifications as agreed upon between the foreign buyer and exporter for such contracts as were entered into immediately prior to the publication of this Order in the Official Gazette and thereafter exported, within a span of 90 days from the said date;

as the standard specifications for 'Household Electrical Appliances'.

(4) Prohibits the export in the course of International Trade of such Household Electrical Appliances unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies recognised or established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Household Electrical Applicances conform to the aforesaid standard specifications and are exportworthy: or are affixed with a seal or mark recognised by the Central Government under section 8 of the said Act;

2. Nothing in this order shall apply to the export of

(a) samples of Household Electrical Appliances by land, sea or air to prospective buyers not exceeding two in number of each type and design.

(b) the consignments of 'Household Electrical Appliances' which might have already left the premises of the exporter/manufacturer immediately prior to the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. In this Order 'Household Electrical Applicances' shall mean any of the applicances mentioned in the Schedule given below :—

THE SCHEDULE

Sl. No.	Household Electrical Appliances
1.	Electric immersion water heaters.
2.	Storage type automatic electric water heaters
3.	Switches for domestic and similar purposes.
4.	Electric Irons.
5.	Electric Stoves.
6.	Electric Hot Plates.
7.	Domestic Electric Food mixers (liquidizers, blenders and grinders).
8.	Electric Toasters.
9.	Electric Coffee percolaters (non-regulator type).
10.	Electric Kettels and Jugs for Household and similar use.
11.	Domestic Electric Clothes Washing Machines (Non-automatic).
12.	Electric rediators.
13.	Electric water boilers.
14.	Mains-operated electric hair dryers.
15.	Domestic electric cooking ovens.
16.	Mains-operated electric shavers.
17.	Steam Irons.
18.	Flexible, Electric Heating Pads for domestic use.
19.	Portable, hand-held mains-operated electric massagers.
20.	Portable low speed food grinding machine.
21.	Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors.
22.	Appliance—connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance inlets.
23.	Thermostats for use with Electric Water Heaters.
24.	Cartridge type heating elements (non-embeded type).
25.	Resistance Wires, tapes and strips for heating elements.
26.	Solid embeded type electric heating elements.
27.	Mineral filled sheathed heating elements.
28.	Thermostates for general purpose electric ovens.
29.	Mica insulated heating elements.
30.	2 Amps. switches for domestic and similar purposes.
31.	Electric portable lamp stands and brackets.
32.	Three pin plugs and socket-outlets.
33.	Thee pin plugs made of resilient materials.
34.	Bayonet lampholders.
35.	Electric instantaneous water heaters.
36.	Single walled baking oven.
37.	Heat Convectors.

4. This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

New Delhi, the 27th October, 1984

S.O. 3423(A).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963; 22 of 1963, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Household Electric Appliances (Quality Control and Inspection) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies estabilshed at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "Household Electrical Appliances" means any of the appliances mentioned in Schedule I.

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Household Electrical Appliances for export shall be carried out with a view to seeing that the Household Electrical Appliances conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely :—

(i) National and International Standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(ii) The contractual specifications as agreed upon between the foreign buyer and the exporter subject to 'Household Electrical Appliances including connectors and lead wires, if any; meet with all the Electrical and Mechanical tests as stipulated in the relevant National or International specifications; and

(iii) The contractual specifications as agreed upon between the foreign buyer and exporter for such contracts as were entered into immediately prior to the publication of the Order in the Official Gazette and thereafter exported, within a span of 90 days from the said date;

as the standard specifications for 'Household Electrical Appliances';

either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality controls as specified in Annexure-I to this notification;

or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Annexure-II to this notification.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Household Electrical Appliances shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of Household Electrical Appliances manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Annexure-I and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a Panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Household Electrical Appliances intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Annexure-I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises ,while in the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration if any, under sub-rule (2), the Agency—

(a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality control as laid down in Annexure I and followed the instructions, if any, issued by the Council/Agency in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall within three days issue a certificate declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthy.

(b) in case where the manufacturer is not the exporter, the consignment shall be physically verified and such verification and/or inspection, if necessary, shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with.

(6)(a) The Agency shall, however, carry out the spot-check of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council/Agency the unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control drills. In such cases, the unit, if so desires, shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure-I had been exercised on satisfying itself that the consignment of Household Electrical Appliances conforms to the standards specification recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Annexure-II, shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthly;

Provided that where the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthy and shall communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reasons thereof.

(7) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5)(b) or consignment is inspected under sub-rule (6)(b) the agency shall, immediately, after completion of the inspection, seal and packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either—(a) at the premises of the manufacturer of such products; or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided that the required facilities for inspection exists therein.

6. Inspection fee.—The inspection fee shall be paid by the manufacturer/exporter to the agency as under :—

(1) For inspection under rule 3(a) @ 0.2% of f.o.b. value, subject to minimum of Rs. 20 per consignment goods manufactured and intended for export by approved unit under In-process Quality Control.

(2) For inspection under rule 3(b) @ 0.4% of f.o.b. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment for consignmentwise inspection.

(3) For goods manufactured by the units having adequate in-process quality control levels and exported by merchant exporters @ 0.3% of f.o.b. value, subject to a minimum of Rs. 20 per consignment.

(4) A rebate of 10% on the rate of inspection fee given in (1), (2) and (3) shall be given to small scale units registered with the concerned State Governments or Union Territories.

7. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Household Electrical Appliances prior to export and Household Electrical Appliances so marked shall not be subjected to any inspection under Rule 3.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts constituting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The Panel shall consist of atleast two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE-I

[See under rule 3(a), 4(2)/(5)(a), (5) (b)]

The quality control of the Household Electrical Appliances shall be exercised by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, prevention and packing of the products as laid down together with the levels of control as set out in Schedule-II.

1. Bought out materials and components control.—(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignment shall be either accompained by a producer's test certificate corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counterchecked atleast once in five consignments to verify their correctness.

(c) The incoming consignment shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After inspecting and testing systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Sampling (wherever required) for checking the conformity of the processed materials with the process specifications shall be based upon the recorded investigations.

(d) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls adopted during the process of manufacture.

3. Product Control.—(a) The manufacturer shall either have its own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on recorded investigations.

(c) Adequate records in respect of test carried out shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

4. Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control.—(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The products shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control.—Specifications shall be laid down for packing the product (s) and as well as for export packages and the same shall be strictly adhered to.

ANNEXURE-II

[See rules 3, 4, (6) (b)]

1. The consignment of Household Electrical Appliances shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of any specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling and criteria of conformity, the same as laid down below shall become applicable.

2.1 The acceptance tests as given in the relevant National Standards shall be carried out on the samples selected from the lots as given in Table-I and the lots shall be accepted or rejected on the basis of criterion for conformity given in Table-I.

TABLE—I

SAMPLE SIZE AND CRITERION FOR CONFORMITY

Lot Size	First sample	Second sample	Acceptance number	First rejection number	Second rejection number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upto 50	5	5	0	2	2
51 to 100	8	8	0	2	2
101 to 300	13	13	0	2	3
301 to 500	20	20	0	2	3
501 and above	32	32	0	3	4

Note : The lot shall mean all appliances of the same make, model and type grouped together in a consignment.

2.2 In order to ensure the randomness of selection, procedure given in IS : 4905—1968 shall be followed.

2.3 The appliances selected at random according to columns (1) and (2) of Table-I, shall be subjected to the acceptance tests specified in the individual appliance specification. An appliance failing to satisfy any of the acceptance tests, shall be considered as defective. The lot shall be considered as conformity to the requirements, if the number of defectives found in sample is less than or equal to the acceptance number (see column 4) and shall be rejected if it is greater than or equal to the first rejection number (see column 5). If the number of defectives lies between the acceptance number and first rejection number, the second sample of the same size (see column 3) shall be chosen at random and tested. If the number of defectives found in the combined samples is greater than or equal to the second rejection number, the lot shall be rejected, otherwise the lot shall be accepted.

2.4 Before undertaking the inspection, the Agency shall satify itself that the routine tests on each appliance as given in the relevant standard have been carried out on the consignment by the exporter/manufacturer.

2.5 Two samples out of one of ten consecutive consignments (or atleast once in a year) of Household Electrical Appliances of the same type and rating offered for inspection by exporter/manufacturer shall be drawn and tested for type tests as given in the standard specifications and both the samples should pass the type test. However, for a period of six months from the date of publication of this notification, the Agency may accept the documentary evidence produced by the exporter/manufacturer in respect of type tests. Such documentary evidence shall not be more than six months old from the date of publication of this notification.

2.6 Methods of testing. : If not otherwise specified in the export contract the testing procedure shall be as prescribed in the relevant national or latest version of Indian Standards Specifications. The samples shall be subjected to all tests as per standard specification recognised under section 6 of the Act

SCHEDULE-I

[See rule 2 (d)]

Sl. No. Household Electrical Appliances

1. Electric immersion water heaters.
2. Storage type automatic electric water heaters.
3. Switches for domestic and similar purposes.
4. Electric Irons.
5. Electric Stoves.
6. Electric Hot Plates.
7. Domestic Electric Food Mixers (Liquidizers, blenders and grinders).
8. Electric Toasters.
9. Electric Coffee Percolaters (Non-regulator type).
10. Electric Kettle and Jugs for household and similar use.
11. Domestic Electric clothes washing machine (non-automatic).
12. Electric radiators.
13. Electric water boilers.
14. Mains-operated electric hair dryers.
15. Domestic electric cooking ovens.
16. Mains-operated electric shavers.
17. Steam Irons.
18. Flexible Electric Heating Pads for domestic use.
19. Portable, hand-held mains-operated electric massagers.
20. Portable low speed food grinding machine.
21. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors.
22. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance inlets.
23. Thermostats for use with Electric Water Heaters.
24. Cartridge type heating elements (non-embeded type).
25. Resistance wires, tapes and strips for heating elements.
26. Solid embeded type electric heating elements.
27. Minerals filled sheated heating elements.
28. Thermostats for general purpose electric ovens.
29. Mica insulated heating elements.
30. 2 Amps switches for domestic and similar purposes.
31. Electric portable lamp stands and brackets.
32. Three pin plugs and socket-outlets.
33. Three pin plugs made of resilient materials.
34. Bayonet lampholders.
35. Electric instantaneous water heaters.
36. Single walled baking oven.
37. Heat convectors.

SCHEDULE-II

(See Annexure-I)

LEVELS OF CONTROL

(Tests restricted to recognised standards as applicable to the product)

S.No.	Particulars of Inspection/Test	Requirements	Sample Size	Lot Size	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RAW MATERIAL & BOUGHT OUT COMPONENTS				
	(a) Visual Inspection (including workmanship and finish)	As per Standard Specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot	—
	(b) Dimensions	As per Standard Specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot	—
	(i) Critical				
	(ii) Others				
	(c) Electrical tests for components	As per Standard Specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	Each lot	—
	(d) Any other requirements	As per Standard Specification	To be fixed on the basis of record investigation	Each lot	—
2.	ROUTINE TESTS				
	Depending upon the applicability and any other test as given in the relevant standard specification following routine tests will be carried out on each appliance produced in the manufacturing unit:				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(a) Visual examination	As per standard specification.	Each Appliance		
	(b) Protection against electric shock	As per standard specification.	Each Appliance	—	—
	(c) High voltage Test (Flash Test)	As per standard specification.	Each Appliance		
	(d) Insulation resistance Test (dry)	As per standard specification.	Each Appliance	—	—
	(e) Earthing connection	As per standard specification.	Each Appliance	—	—
3.	ACCEPTANCE TESTS				
	Following acceptance tests shall be carried out on the appliance mentioned hereunder; depending upon the applicability.				
	(1) Electric Immersion Water Heaters	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Input				
	(iv) Temperature limit				
	(v) Moisture resistance				
	(2) Storage type automatic electric water heaters	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) High voltage				
	(ii) Pressure test				
	(iii) Actual capacity				
	(iv) Temperature rise				
	(v) Input				
	(vi) Standing loss				
	(vii) Deviation of dial calibration.				
	(3) Switches for domestic and similar purposes	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) High voltage				
	(ii) Moisture resistance				
	(iii) Contact resistance and temperature rise.				
	(iv) Overvoltage and overcurrent capacity.				
	(v) Endurance				
	(vi) Switches for ac inductive circuits.				
	(vii) Mechanical strength				
	(viii) Maximum pull				
	(4) Electric Irons	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) High Voltage				
	(ii) Leakage current (hot)				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Temperature rise				
	(vi) Heating up time				
	(vii) Measurement of soleplate				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5)	Electric Stoves (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature limit (vi) Thermal efficiency.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(6)	Electric Hot plates (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature limit (vi) Thermal efficiency	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(7)	Domestic Electric Food-mixers (liquidizers and Grinders). (i) Input (ii) Electrical insulation and leakage current at operating temperature. (iii) Moisture resistance (iv) Insulation resistance and electric strength (v) Operational tests (vi) Temperature withstand test for bowl.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(8)	Electric Toasters (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Toasting test (vi) Temperature limit	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(9)	Electric Kettle and Jugs for Household and similar use (i) Electrical insulation at operating temperature, leakage current (hot). (ii) Moisture resistance (iii) Input (iv) Time to boil rated capacity (v) Temperature-rise.	As per standard Specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	
(10)	Electric Coffee Percolaters (Non, regulator type), (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Temperature limit (v) Moisture resistance (vi) Thermal efficiency	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(11)	Domestic Electric Clothes Washing machine (non-automatic)	As per standardd specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature rise (vi) Performance				
(12)	Electric Radiators (i) High voltage (ii) Moisture resistance (iii) Input (iv) Temperature limit (v) Performance (vi) Leakage current	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(13)	Electric Water Boilers (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Temperature limit (v) Moisture resistance	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(14)	Main operated Electric Hair Dryers (i) Temperature rise (ii) Leakage current (iii) High voltage (iv) Moisture resistance (v) Input (vi) Insulation resistance (hot) (vii) Abnormal operartion. (viii) Performance of thermostats and thermal cutouts (ix) Starting (x) Performance (xi) Endurance	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(15)	Domestic electric cooking Ovens (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Uniformity of temperature (v) Temperature rise.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(16)	Mains-operated electric shavers. (i) High voltage (ii) Leakage Current (iii) Operation at over and under voltage (iv) Moisture resistance (v) Temperature limit	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(17)	Steam Irons (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature limit	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	—	—

1	2	3	4	5	6
(18)	Flexible Electric Heating pads for Domestic use. (i) Strain relief (ii) Dielectric strength (iii) Insulation resistance (iv) Input (v) Surface temperature (v) Surface temperature (vi) Moisture resistance (vii) Waterproofness (applicable to Waterproof pads only)	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(19)	Portable hand-held mains operated electric massegers (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Operation at over-voltage and under voltage (iv) Moisture resistance (v) Temperature limit (vi) Performance (vii) Operation under overload (viii) Abnormal operation (ix) Input (x) Starting	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	—	—
(20)	Portable low speed food Grinding Machine (i) Finish (ii) Spillage (for wet grinder) (iii) Temperature withstand (for plastic and glass hopper only) (iv) Leakage current (v) High voltage (vi) Moisture resistance i(vii) Input (viii) Temperature-rise (ix) Operation and performance	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation	—	
(21)	Appliance-connectors and Appliance Inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors (i) Guaging of dimensions (ii) High voltage (iii) Effectiveness of contacts (iv) Withdrawal pull (v) Moistur resistance (vi) Temperature limit (vii) Breaking capacity	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
(22)	Appliance-connectors and Appliance inlet non-reversible three pin type) Appliance Inlets (i) Gauging of dimensions (ii) High voltage (iii) Moisture resistance	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—

1	2	3	4	5	6
(23)	Thermostats for use with Electric Water Heaters	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation	—	—
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Temperature limit				
	(v) Thermal characteristics				
(24)	Cartridge Type heating elements (non-embeded type)	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
	(i) Input				
(25)	Resistance Wires, Tapes and strips for heating elements	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(i) Physical condition				
	(ii) Physical dimensions				
	(iii) Maximum working temperature				
	(iv) Tensile properties				
	(v) Resistance				
	(vi) Uniformity of resistance				
	(vii) Wrapping				
	(viii) Endurance				
(26)	Solid embeded type electric heating element.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
(27)	Mineral filled sheathed heating elements.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(i) Leakage current				
	(ii) High voltage				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Insulation resistance				
	(vi) Hydrostatic pressure				
(28)	Thermostats for general purpose electric ovens	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(i) Leakage current				
	(ii) High voltage				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Calibration accuracy				
	(v) Range				

1	2	3	4	5	6
	(29) Mica insulated heating elements (i) Leakage current (ii) High voltage (iii) Moisture resistance	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	—
	(30) 2 Amps. switches for domestic and similar purpose (i) High voltage (ii) Moisture resistance (iii) Contact resistance and temperature-rise (iv) Overvoltage and overcurrent capacity (v) Endurance (vi) Mechanical strength (vii) AC Inductive Circuits	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(31) Electric portable lamp stands and brackets (i) Operational test (ii) High voltage (iii) Leakage current (iv) Moisture resistance (v) Test for switches	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(32) Three pin plugs and socket outlets (i) Interchangeability (ii) High voltage (iii) Moisture resistance (iv) Temperature-rise (v) Breaking capacity (vi) Insulation resistance (vii) Mechanical strength (viii) Effectiveness of contact contact (ix) Endurance (for shutters only) (x) Withdrawal pull.	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(33) Three plugs made of resilient materials (i) Interchangeability (ii) Insulation resistance (iii) High voltage (iv) Moisture resistance (v) Temperature rise (vi) Breaking capacity (vii) Mechanical strength (viii) Effectiveness of contact	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	
	(34) Bayonet Lampholders (i) Gauge Test (ii) Insulation resistance (iii) High voltage (iv) Tension test (v) Plunger depression test (vi) Cord-grip	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—	
	(35) Electric instantaneous water heaters (i) Pressure withstand (ii) Temperature rise (iii) Input (iv) Leakage current (v) High voltage (vi) Operation of flow switch (vii) Outlet water temperature	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		

1	2	3	4	5	6
(36)	Single walled baking oven. (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Uniformity of temperature (v) Temperature rise.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		

4. TYPE TESTS

Depending upon the applicability of the tests as given in the relevant standard specifications, following type tests will be carried out :—

	(i) Fire resisting properties. (ii) Ageing test for rubber (iii) Resistance to breaking (iv) Mechanical hazards. (v) Stability. (vi) Test for multiple supply cables and cord grip. (vii) Cord guard and relative displacement between parts. (viii) Crew and connections (ix) Terminals (x) Mechanical strength (xi) Resistance to rusting. (xii) Test for finish. (xiii) Temperature rise. (xiv) Electrical insulation at operating temperature, leakage current (hot). (xv) Moisture resistance. (xvi) Insulation resistance, leakage current (cold) and electric strength. (xvii) Input xviii) Spillage.	As per standard specification.	To be fixed on the bais of recorded investigation with a minimum of two samples.	—	As and when the type of raw material is changed viz. heatinbg element etc. two samples shall be tested for all the type tests and they shall pass before production of appliance made out of new materrial is commenced
	(xix) Abnormal operation. (xx) Creepage distances and clearances. (xxi) Performance of thermostat and thermal cut-outs. (xxii) Operation under overload conditions and test for overload protective device. (xxiii) Starting of motor-operated appliances. (xxiv) Endurance.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation with a minimum of two samples.		As and when the type of raw material is changed viz. heating element etc. two samples shall be tested for all the type tests and they shall pass before production of appliance made out of new material is commenced.

[No. 6(5)/82-EI & EP]
N.S. HARIHARAN, Director

(टैक्सटाइल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 25 जुलाई, 1984

का. आ 3424.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए, आर्ट सिल्क, टैक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आर्ट सिल्क टैक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1984 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. आर्ट सिल्क टैक्सटाइल (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 में, खण्ड 9 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"9 क. (1) जहां आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत के किसी वर्ग या विनिर्देश के सम्बन्ध में किए जाने वाले चिन्हांकन और उसमें चिन्हांकित करने का समय और रीति खण्ड 9 के साथ पठित खण्ड 4 (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां:—

(क) ऐसे आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत का यथा स्थिति, विनिर्माता या व्यवहारी विनिर्दिष्ट समय पर और रीति से उस पर चिन्हांकन करवाएगा ;

(ख) ऐसे विनिर्माता या व्यवहारी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत पर चिन्हांकन नहीं करवाएगा;

(ग) विनिर्माता से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन कोई ऐसा आर्ट सिल्क कपड़ा या आर्ट सिल्क सूत जो इस प्रकार चिन्हांकित न हो, नहीं होगा, जब तक कि वह वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए न हों;

(घ) कोई भी व्यक्ति उसकी वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अन्यथा, उसके द्वारा धारित किसी ऐसे आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत पर किए गए किसी चिन्हांकन को परिवर्तित या विरूपित नहीं करेगा या परिवर्तित या विरूपित नहीं करवाएगा या करने की अनुज्ञा देगा ;

(ङ) कोई भी व्यक्ति किसी आर्ट सिल्क के कपड़े या आर्ट सिल्क के सूत पर विहित चिन्हांकन से मिलता-जुलता कोई चिन्हांकन नहीं करेगा;

(च) किसी भी व्यक्ति के कब्जे या उसके नियंत्रण के अधीन, उसकी वास्तविक आवश्यकताओं से अन्यथा, कोई ऐसा आर्ट सिल्क कपड़ा या आर्ट सिल्क सूत नहीं होगा जिसमें का चिन्हांकन परिवर्तित हो या विरूपित हो या मद (ङ) में विनिर्दिष्ट स्वरूप का हो।"

[फा. सं. 11011/2/84 ए एण्ड एम० एम० टी]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

(Department of Textiles)

New Delhi, the 25th July, 1984

ORDER

S.O. 3424.—In the exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Central Order, 1962 namely :—

1. (1) This order may be called the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Central Order, 1962 after clause 9, the following clause shall be inserted namely :—

"9A(1) Where the markings to be made and the time and manner of making it in respect of any class or specification of art silk cloth or art silk yarn have been specified under Clause 4(2) read with Clause 9 :—

(a) The manufacture of, or as the case may be, the dealer in such art silk cloth or art silk yarn shall cause the markings to be made thereon at the time and in the manner specified;

(b) no person other than such manufacturer or dealer shall cause the marking to be made on any such art silk cloth or art silk yarn;

(c) no person other than the manufacturer shall have in his possession or under his contral any artsilk cloth or art silk yarn which is not as marked, unless it be or bonafide personal requirements;

(d) no person shall alter or deface or cause or permit to be altered or defaced any marking made on any such art silk cloth or art silk yarn held by him otherwise than for his benefits personal requirements;

(e) no person shall make on any art silk cloth or art silk yarn marking resembling the prescribed marking;

(f) no person shall have in his possession or under his central otherwise than for his bonafide personal requirements any art silk cloth or art silk yarn the marking wherein is altered or defaced or is of a character specified in item (e)".

[F. No. 11011/2/84-A&MMT]

J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1984

आदेश

का. आ. 3425.—सर्वश्री हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० 17, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, बम्बई-20 को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के अधीन लाइसेंस के लिए संलग्न सूची के अनुसार आपटिकल फाइबर केबल कम्यूनिकेशन सिस्टम के आयात के लिए 1,18,71,400 रुपए (एक करोड़ अठारह लाख, इकहत्तर हजार चार सौ रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० आई०/सी० जी/2040824 दिनांक 11-4-84 प्रदान किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाई गई थी। अतः मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक के सम्मुख शपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं तदनुसार संतुष्ट हूं कि फर्म द्वारा आयात लाइसेंस सं० 2040824 दिनांक 11-4-84 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सी सी०) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई को जारी की गई उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सं० 2040824 दिनांक 11-4-84 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सी०जी० II/पी०एण्ड सी०/68/83-84/601]

पाल बेक,

उप मुख्य नियंत्रक (आयात निर्यात)

कृते मुख्य नियंत्रक (आयात-निर्यात)

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1984

S.O. 3425.—M/s. Hindustan Petroleum Corporation Ltd, 17-Jamshedji Tata Road, Churchgate, Bombay-20 were granted an Import Licence No. I/CE/2040824 dated 11-4-84 for Rs. 1,18,71,400 (Rupees One crore eighteen lakhs seventy one thousand and four hundred only) for import of Optical Fibre Cable Communication System as per list attached under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Exchange Cotrol copy of the above mentioned licence on the ground that the original Exchange Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Ex. Control copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Exchange Control copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bombay. I am accordingly satisfied that the original Ex. Control copy of Import Licence No. 2040824 dated 11-4-84 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Ex. Control copy No. 2040824 dated 11-4-84 issued to M/s. Hindusan Petroleum Corporation Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control copy of the said licence is being issued to the party separately.

[CGII/P&C/68/83-84/601]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports, for Chief Controller of Imports & Exports.

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

निरस्त आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1984

का. आ. 3426.—सर्वश्री सुपर एक्सपोर्टस, डी-68, राणा प्रताप बाग, देहली-110007 को अतिरिक्त लाइसेंस सं० पी०डब्ल्यू / 0406790/सी/एक्स-एक्स/89/डी/83 दिनांक 19-10-83 वास्ते रु० 7,13,800 अप्रैल मार्च आयात नीति के अपैन्डिक्स पांच और सात में दर्शाई हुई मदों (अपैन्डिक्स 26 में दर्शाई हुई मदों को छोड़कर) के आयात हेतु जारी किया गया था।

आवेदक फर्म ने यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस की कस्टम प्रयोजन कापी बिना किसी कस्टम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किये एवं बिना बिल्कुल उपयोग किये ही कहीं अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस कुल रकम राशि 7,13,800 रु० के लिये जारी किया गया था एवं डुप्लीकेट कस्टम कापी कुल राशि 7,13,800 रु० के लिये मांगी गई है।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में एक शपथ-पत्र आयात, निर्यात को कार्यविधि पुस्तिका 1984-85 के पैरा 352-354 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल कस्टम प्रयोजन कापी खो गई है / अस्थानस्थ हो गई है।

अतः आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (डी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० 0406790 दि० 19-10-83 की मूल कस्टम प्रयोजन कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्य विधि-पुस्तिका 1984-85 के पैरा 352-354 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं० 0406790 दि० 19-10-83 की कस्टम प्रयोजन कापी की अनुलिपि (डुपलिकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[सं. ऐडीशनल/लाइसेंस/81/एम. 84/एएलएस II/सीएलए125]

एम० एल० चौहान,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

(Central Licensing Area)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 30th August, 1984

S.O. 3426.—M/s. Super Exports D-6/8 Rana Partap Bagh, Delhi-110007, was granted Additional Licence No. P|W| 0406790|C/XX/89/D|83 dt. 19-10-1983 for Rs. 7,13,800 for import of items appearing in Appendices 5 & 7 excluding items appearing in Appendix 26 of AM. 84 Import Policy.

The firm have reported that Custom Clearance Purpose copy of the said licence has been misplaced without having been registered with any custom authorities and unutilised at all. Licence was issued for Rs. 7,13,800 and duplicate Custom Purpose Copy applied for is for Rs 7,13,800.

The firm have filed an affiavit in support of the above statement as required under para 352-354 of Hand Book of Import-Export Procedures, 1984-85. I am satisfied that the original Custom Clearance Purpose Copy of the said licence has been misplaced.

In exercise of the power conferred on me under section 9(d) of *Imports (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955* as amended upto date, I hereby order of cancellation of the said original Custom Clearance Purpose Copy of the licence.

The applicant's case will now been considered for issue of Duplicate Custom Clearance Purpose copy in accordance with paras 352-354 of Hand Book of Import-Export Procedure, 1984-85.

[No. Addl|Lic|81|AM. 84/ALS. II/CLA/1251]

S. L. CHOHAN, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3427.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिए गए हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	गजट अधिसूचना की एसओ संख्या और तारीख जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
1	2	3	4
1.	IS: 1183-1965 दूध के लिए प्रयुक्त घनत्व हाइड्रोमीटर की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 1965-10-02 में एसओ 3059 दिनांक 1965-09-21 में प्रकाशित	क्योंकि अब इस प्रकार के हाइड्रोमीटर देश में प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं और केवल अपेक्षित गुरुत्व लैक्टोमीटर प्रयोग किए जा रहे हैं । लैक्टोमीटर की अपेक्षाएं IS : 9585-1980 में शामिल की गई हैं और इसके प्रयोग संबंधी पद्धतियां IS : 10083-1982 में शामिल की गई है ।

[संख्या सीएमडी/13:7]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 15th October, 1984

S.O. 3427.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is hereby, notified that the Indian Standard, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl. No. & Title of the Indian Standard No. Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
1	2	3	4
1. IS: 1183-1965 Specification for Lactometers for use in milk (revised)	S.O. 3059 dated 1965-09-21 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1965-10-02	Since this type of hydrometers are not being used in the country and only the specific gravity lactometers are being used. The requirements for lactometer are covered in IS: 9585—1980 and the methods of its use is covered in IS : 10083—1982.

[No. CMD/13 : 7]

का. आ. 3428.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिए गए हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या व शीर्षक	भारत के राजपत्र के एस ओ संख्या तथा तारीख जिसके अधीन भा. मानकों के निर्धारण की सूचना छपी थी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 3356–1965 कोट के कपड़े के लिए झूठ रेशम की विशिष्टि	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-04-09 में एस ओ 1981 दिनांक 1966-03-25 के अधीन प्रकाशित	क्योंकि अब देश में झूठ रेशम निर्मित नहीं किया जाता है ।

[संख्या सीएमडी/13 :7]

S.O. 3428.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard, particular of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 3356—1965 Specification for jhoot silk coating	S.O. 1081 dated 1966-03-25 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-04-09	As the jhoot silk coating is no more manufactured in the country.

[No. CMD/13:7]

का. आ. 3429.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम और विनियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) और विनियम 3 के उपविनियम (2) तथा (3) के अनुसार, भारतीय मानक संस्था द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन मानकों के विवरण दिए गए हैं, वे 1981-03-31 को निर्धारित किये गए हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	निर्धारित भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक यदि कोई हो, की पदसंख्या और शीर्षक	टिप्पणी यदि कोई हो ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 7–1980 साधारण ताप कार्य के लिए अग्निसह मिट्टी की ईंटों ग्रुप बी की विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)	IS : 7–1967 साधारण ताप कार्य के लिए अग्निसह मिट्टी की ईंटों ग्रुप बी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	—
2.	*IS : 507–1980 सामान्य कार्य ग्रीज की विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 507–1970 सामान्य कार्य ग्रीज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	*भाना संस्था प्रमाणन मुहर योजना के उद्देश्यों के लिए IS : 507–1980 1981–07–01 से लागू होगा ।
3.	IS : 1080–1980 साधारण ढाली नींवों के डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1980–1962 साधारण ढाली नींवों के डिजाइन, और निर्माण की रीति संहिता	—
4.	IS : 1367 (भाग 5)–1980 इस्पात के चूड़ीदार बंधनों की तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग 5 तनन-प्रतिबल से मुक्त सेट स्क्रू और ऐसे ही चूड़ीदार बंधनों के यांत्रिक गुण और परीक्षण पद्धतियां	—	—
5.	IS : 1448 (भाग 97)–1980 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां भाग 97 विमानन टरबाइन ईंधन की ताप आक्सीकरण सम्बन्धी स्थिरता (जेएफटी ओटी पद्धति)	—	—
6.	IS : 1448 (भाग 100)–1980 पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियां भाग 100 पायसनीय कर्तन तेलों की ताप स्थिरता ज्ञात करना	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	IS : 1528 (भाग 1)—1980 ऊष्मासह वस्तुओं के नमूने लेने और भौतिक परीक्षण की पद्धतियां भाग 1 उत्तापमापी शंकु तुल्यांक (पीसीई) अथवा मार्दव बिन्दु ज्ञात करना (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1528(भाग 1)—1974 ऊष्मासह वस्तुओं के नमूने लेने और भौतिक परीक्षण की पद्धतियां : भाग 1 उत्तापमापी शंकु तुलयांक (पीसीई) अथवा मार्दव बिन्दु ज्ञात करना (पहला पुनरीक्षण)	—
8.	IS : 1528 (भाग 9)—1980 ऊष्मासह वस्तुओं के नमूने लेने और भौतिक परीक्षण की पद्धतियां : भाग 9 यर्थाथ विशिष्टि घनत्व और घनत्व करना (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1528 (भाग 9)—1974 ऊष्मासह वस्तुओं के नमूने लेने और भौतिक परीक्षण पद्धतियां भाग 9 यर्थार्थ विशिष्टि घनत्व और यथार्थ घनत्व ज्ञात करना (पहला पुनरीक्षण)	1981-02-28 को निर्धारित
9.	IS : 1540 (भाग 1)—1980 रसायन उद्योगों के लिए अनबुझे और जलयोजित चूने की विशिष्टि, भाग 1 अनबुझा चूना (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1540 (भाग 1)—1967 रसायन उद्योगो के लिए अनबुझे और जलयोजित चूने की विशिष्टि, भाग 1 अनबुझा चूना (पहला पुनरीक्षण)	—
10.	IS : 1833—1980 डायाजिनोन तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1833—1961 डायाजिनान तकनीकी की विशिष्ट	—
11.	IS : 1905—1980 इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की रीति संहिता : चिनाई दीवार (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1905—1969 इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की रीति संहिता : चिनाई दीवार (पहला पुनरीक्षण)	—
12.	IS : 1963—1981 बुने हुए वस्त्रों में प्रति इकाई लम्बाई में धागे ज्ञात करने की पद्धतियां (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1963—1969 बुने हुए वस्त्रों में प्रति सैंटीमीटर में धागे ज्ञात करने की पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण)	—
13.	*IS : 1970 (भाग 2)—1979 हस्ताचालित नैपसैक दाब फुहारे की विशिष्टि भाग 2 दाब धारक टाइप	IS : 2928—1973 दाबधारक नैपसैक फुहार की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	1980-04-30 को निर्धारित *भामा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के उद्देश्यों के लिए IS: 1970 (भाग 2)—1979 1981-07-15 को लागू होगा ।
14.	IS : 2110—1980 इमारतों में मृदा सीमेंट से दीवारों के स्वस्थान निर्माण की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2110—1962 मृदा सीमेंट से इमारतों में दीवारों के स्वस्थान निर्माण की रीति संहिता	—
15.	IS : 2116—1980 चिनाई मसालों के लिए रेत की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2116—1965 चिनाई मसालों के लिए रेत की विशिष्टि	—
16.	IS : 2119—1980 ईंट और कंक्रीट मिश्रित (मद्रास टरेस) फर्श और छत के निर्माण की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2119—1962 ईंट और कंक्रीट मिश्रित (मद्रास टरेस) फर्श और छत के निर्माण की रीति संहिता	—
17.	*IS 2318—1980 फोटोग्राफी ग्रेड के सिलवर नाइट्रेट की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS: 2318—1974 फोटोग्राफी ग्रेड के सिलवर नाइट्रेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	*भामा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के उद्देश्यों के लिए IS : 2318—1980 1981-07-31 से लागू होगा।
18.	IS : 2446—1980 पिसी हल्दी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2446—1963 पिसी हल्दी की विशिष्टि	—
19.	IS : 2475—1979 धूमित सूकर मांस की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2475—1963 धूमित सूकर मांस की विशिष्टि	1980-11-30 को निर्धारित
20.	IS : 2893—1980 बसूलों के लकड़ी के हत्थों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2893—1964 बसूलों के लकड़ी के हत्थों की विशिष्टि	—
21.	IS : 2930—1980 दमकल प्रयोग के लिए होज वाले टेंडर की कार्यकारिता सम्बन्धी अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2930—1964—दमकल प्रयोग के लिए होज वाला टेंडर	1981-02-20 को निर्धारित
22.	IS : 2974 (भाग 2)—1980 मशीन नीवों के डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता भाग 2 संघट्ट टाइप मशीनों की नीवें (हैमर नीव) (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2974 (भाग 2)—1966 मशीन नीवों के डिजाइन और निर्माण की रीति संहिता भाग 2 संघट्ट टाइप मशीनों की नीव (पात और गढ़ाई हैमर नीव)	—
23.	IS : 3097—1980 मुलम्मा चढ़े पार्टीकल बोर्ड की विशिष्टि	IS : 3097—1965 मुलम्मा चढ़े पार्टीकल बोर्ड की विशिष्टि	—
24.	IS : 3235—1980 चिकित्सा प्रयोग के लिए सिरिंजों की सामान्य अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3235—1965 चिकित्सा प्रयोग के लिए सिरिंजों की सामान्य अपेक्षाएं	—

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	IS : 3338—1980 पत्राचार लिफाफों के आकार (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3338—1965 पत्राचार लिफाफों के आकार	—
26.	IS : 3400 (भाग 2)—1980 वल्कनित रबड़ की परीक्षण पद्धतियां भाग 2 कठोरता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3400 (भाग 2)—1965 वल्कनित रबड़ की परीक्षण पद्धतियां भाग 2 कठोरता	—
27.	IS : 3671 (भाग 1)—1980 वायु परावर्तन परिवर्ती समस्वरण संधारित्रों की विशिष्टि भाग 1 परीक्षण और सामान्य अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3671 (भाग 1)—वायु परावर्तन संधारित्रों की विशिष्टि भाग 1 परीक्षण और सामान्य अपेक्षाएं	—
28.	IS : 4323—1980 एंडोसल्फान पायसनीय सान्द्रों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4323—1967 एंडोसल्फान पायसनीय सान्द्रों की विशिष्टि	—
29.	IS : 4590—1980 द्वितीयक श्रेणी तलमापी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4590—1967 इंजीनियर श्रेणी तलमापी की विशिष्टि	—
30.	IS : 4887—1980 प्रसाधन सामग्री उद्योग के लिए पेट्रोलियम जेली की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4887—1968 प्रसाधन सामग्री उद्योग के लिए पेट्रोलियम जेली की विशिष्टि	—
31.	IS : 4902—1981 सभी प्रकार की ऊनी वस्तुओं का सही बीजक भार ज्ञात करने की पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4902—1968 ऊनी और वर्स्टेड धागों का सही बीजक भार और आर्द्रता ज्ञात करने की पद्धति	—
32.	IS : 5233—1980 आंख की अंतः संपुटी चिमटियों, ओरंग और एल्पनिंग नमूने की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5233—1969 आंख की अंतः संपुटी चिमटियों (ओरंग और एल्पनिंग नमूने की) विशिष्टि	—
33.	IS : 5234—1980 आंख की बाह्य संपुटी की चिमटियां, कापर नमूने की, विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5234—1969 आंख की संपुटी की चिमटियों (कापर नमूने की) की विशिष्टि	—
34.	IS : 5288—1980 बरियम क्लोराइड की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5288—1969 बरियम क्लोराइड की विशिष्टि	*भामा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के उद्देश्यों के लिए IS : 5288—1980 1981-07-01 से लागू होगा।
35.	IS : 5949—1980 ईडीटीए के प्रयोग द्वारा कलशियम और मृगनिशयम के आयतमी निर्धारण की पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5949—1970 ईडीटीए के प्रयोग द्वारा कलशियम और मेगनेशियम के आयतमी निर्धारण की पद्धतियां	—
36.	IS : 6305—(भाग 1)—1980 शक्ति चालित औद्योगिक ट्रकों की सुरक्षा संहिता भाग 1 प्रयोग चालन और रखरखाव (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6305 (भाग 1)—1971 शक्ति चालित औद्योगिक ट्रकों की सुरक्षा संहिता भाग 1 चालन और रखरखाव	—
37.	IS : 6662—1980 लकड़ी की पैकेजबन्दी के उपयुक्त इमारती लकड़ी की प्रजातियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6662—1972 लकड़ी की पैकेजबन्दी के उपयुक्त इमारती लकड़ी की प्रजातियों की विशिष्टि	—
38.	IS : 7018 (भाग 2)—1980 मापकों की तकनीकी पूर्ति शर्तें भाग 2 सादा प्लग मापकों (1 से 250 मिमी आकार वाले) का समुच्चय और पहचान	—	—
39.	IS : 7461—1980 गुंडाकार रोलर बेयरिंग की बाहरी सीमा की मापों की सामान्य रूपरेखा	—	—
40.	IS : 8198; (भाग 10)—1980 संपीडित गैसों के लिए इस्पात सिलिंडरों की रीति संहिता भाग 10 मेथिलब्रोमाइड गैस	—	—
41.	IS : 8674—1980 पालीइथाइलीन रस्सियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 8674—1978 पालीइथाइलीन रस्सियों की विशिष्टि	—

(1)	(2)	(3)	(4)
42.	IS : 8872—(भाग 2, खंड 5)–1980 परिवर्ती प्रतिरोधकों की विशिष्टि भाग 2 सामान्य कार्य : खण्ड 5 टाइप वी आर जी 5 सी	—	—
43.	IS : 9080 (भाग 2/खण्ड 3)—1981 विद्युत ताप संस्थापनाओं से सुरक्षा अपेक्षाएं : भाग 2 प्रतिरोध तापन उपकरणों के लिए विशेष अपेक्षाएं खण्ड 3 पोटाशियम और सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट बाथ भट्टियों में सुरक्षा	—	—
44.	IS : 9298 (भाग 2)—1980 टेलीविजन नमूने के जनित्रों की विशिष्टि भाग 2 मापन पद्धतियां	—	—
45.	IS : 9535—1980 8 मिमी टाइप एस चलचित्र की कच्ची स्टाक फिल्म के माप	—	—
46.	IS : 9551 (भाग 4)—1980 उच्च तदरूपता वाले श्रवण उपस्कर और तंत्रों की विशिष्टि भाग 4 रिकार्ड बजाने वाले उपस्कर	—	—
47.	IS : 9583—1981 आपाती प्रकाश इकाइयों की विशिष्टि	—	—
48.	IS : 9607–1980 तृतीयक श्रेणी तलमापी की विशिष्टि	—	—
49.	IS : 9613–1980 प्रथम श्रेणी तलमापी की विशिष्टि	—	—
50.	IS : 9616–1980 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए सड़क टैंकरों की विशिष्टि	—	—
51.	IS : 9621–1980 कांच के उत्प्लव घनत्वमापियों के निर्माण और समायोजन के सिद्धान्त	—	—
52.	IS : 9624–1980 वायुयान में यात्री सीटों और परिचायिकाओं के डिजाइन सम्बन्धी माप दण्ड	—	—
53.	IS : 9628–1980 "एन" टाइप सुरक्षा वाली तीन फेजी प्रेरण मोटरों की विशिष्टि	—	—
54.	IS : 9634–1980, 25.4 मिमी व्यास वाले ऐरोसाल-वाल्व की विशिष्टि	—	—
55.	IS : 9635–1980 ऐरोसाल वाल्व के नमूने लेने की पद्धतियां	—	—
56.	IS : 9638 (भाग 1)–1980 दिष्टधारा के स्थिर-पालीएस्टर फिल्म परावैद्युत संधारित्रों की विशिष्टि: भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियां ।	—	—
57.	IS : 9639–1980 अल्पदाबपर वेल्ड किए इस्पात के नवनिर्मित गैस सिलिंडरों के दृश्य निरीक्षण की रीति संहिता ।	—	—
58.	IS : 9640–1980 स्प्लिट स्पून सैम्पलर की विशिष्टि	—	—
59.	IS : 9643–1980 टायरों के लिए एकल टाइप फिसल अरोधी चेन समुच्चय की विशिष्टि	—	—
60.	IS : 9646–1980, 1100 वोल्ट तक की वोल्टता वाले केबलों के लिए ढलवां राल से बने टी जोड़ों के लिए उपयुक्त मात्रों के माप	—	—
61.	IS : 9652–1980 विद्युत प्रदाय के लिए प्रयुक्त मैगनेटिक आक्साइड क्रोडों (ईसी क्रोड) और सम्बद्ध कुंडली फरमों के माप	—	—
62.	IS : 9653–1980 मगनेटिक आक्साइड की नलियों, पिनों और छड़ों के मापों में छूटें	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
63.	IS : 9654–1980 ट्रांसफार्मर और प्रेरक क्रोडों के निर्माताओं द्वारा प्रदत्त फेराइट वस्तुओं से सम्बद्ध जानकारी	—	—
64.	IS : 9656–1980 ट्राइबेमार्फ पायसनीय सान्द्रों की विशिष्टि	—	—
65.	IS : 9657–1980 मिल्क पिपेट बुरुशों की विशिष्टि	—	—
66.	IS : 9658–1980 दुग्ध-नमूना बोतलों की बुरुशों की विशिष्टि	—	—
67.	IS : 9659–1980 ब्यूटेरोमीटर बुरुशों की विशिष्टि	—	—
68.	IS : 9669–1980 सीबीधार सांचों और इसके सहायकांगों की विशिष्टि ।		—
69.	IS : 9676–1980 विद्युत उपस्करों के लिए संदर्भ परिवेश तापमाप	—	—
70.	IS : 9679–1980 पर्यावरण मानीटरी कार्य (वायुवाहित प्रदूषक की रीति संहिता)	—	—
71.	IS : 9681–1980 प्रसाधन सामग्री उद्योग के लिए स्टिएरिक अम्ल की विशिष्टि ।	—	—
72.	IS : 9685–1981 असह्य और क्यूप्रामोनियमसह्य रेत के बोरों की विशिष्टि	—	—
73.	IS : 9688–1980 मैंगापन चिकित्सा में प्रयुक्त क्यूबर नमूने के आंकड़े की विशिष्टि	—	—
74.	IS : 9689–1980 माइक्रोटोम चाकुओं की विशिष्टि	—	—
75.	IS : 9692(भाग 1)–1980 उपस्कर अनुरक्षणीयता की मार्गदर्शिका भाग 1 अनुरक्षणीयता परिचय	—	—
76.	IS : 9692 (भाग 2)–1980 उपस्कर अनुरक्षणीयता की मार्गदर्शिका भाग 2 विशिष्टियों और संविदाओं में अनुरक्षणीयता अपेक्षाएं ।	—	—
77.	IS : 9693–1980 फुहार शुष्ककों के लिए खरीदार का आंकड़ा पत्र	—	—
78.	IS : 9694 (भाग 2)–1980 कृषि प्रयोग के लिए क्षतिज अपकेन्द्री पम्पों के चयन, संस्थापन, परिचालन और रखरखाव की रीति संहिता भाग 2 संस्थापना	—	—
79.	IS : 9694 (भाग 3)–1980 कृषि प्रयोग के लिए क्षतिज अपकेन्द्री पम्पों के चयन, संस्थापन, परिचालन और रखरखाव की रीति संहिता भाग 3 परिचालन ।	—	—
80.	IS : 9694 (भाग 4)–1980 कृषि प्रयोग के लिए क्षतिज अपकेन्द्री पम्पों के चयन, संस्थापन, परिचालन और रखरखाव की रीति संहिता, भाग 4 रखरखाव ।	—	—
81.	IS : 9695–1980 हेलमिटों के नमूने लेने की पद्धतियां ।	—	—
82.	IS : 9698–1980 नहरों में अल्प घनत्ववाली पालिएथिलीन परत बिछाने की रीति संहिता ।	—	—
83.	IS : 9701–1980 शक्ति चालित औद्योगिक ट्रकों की ब्रेक कार्यकारिता ।	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110002 और अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

[सं. सीएमडी 13 : 2]

ए.एस. चीमा, अपर महानिदेशक

S.O. 3429.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution Certification Marks) Rules and Regulations, 1966, the Indian Standalds Insttution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1981-03-31:

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard.	Remarks, if any
1	2	3	4
1.	IS : 7—1980 Specification for moderate heat duty fireclay refractories, group B. (fourth revision)	IS : 7—1967 Specification for moderate heat duty fireclay refractories, group B (third revision)	—
2.	IS : 507—1980 Specification for general purpose grease (second revision)	IS : 507—1970 Specification for general purpose grease (first revision)	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 507—1980 shall come into force with effect from 1981-07-01
3.	IS : 1080—1980 Code of practice for design and construction of simple spread foundations (first revision)	IS : 1080—1962 Code of practice for design and construction of simple spread foundations	
4.	IS : 1367 (Part V)—1980 Technical supply conditions for threaded steel fasters Part V Mechanical properties and test methods for set screws and similar threaded fasteners not under tensile stresses.	—	—
5.	IS : 1448 (P:97)—1980 Methods of test for petroleum and its products : P : 97 Thermal oxidation stability of aviation turbine fuels (JFTOT Methods)	—	—
6.	IS : 1448(P:100)—1980 Methods of test for petroleum and its products : P:100 Determination of thermal stability of emulsifiable cutting oils		
7.	IS:1528 (Part I)—1980 Methods of sampling and physical tests for refractory materials : Part I Determination of pyrometric cone equivalent (PCE) or softening point (second revision)	IS:1528 (Part I)—1974 Methods of sampling and physical tests for refractory materials : Part I Determination of pyrometric cone equivalent (PCE) or softening point (first revision)	
8.	IS:1528 (Part IX)—1980 Methods of sampling and physical tests for refractory materials : Part IX Determination of true specific gravity and true density (second revision)	IS:1528 (Part IX)—1974 Methods of sampling and physical tests for refractory materials: Part IX Determination of true specific gravity and true density (first revision)	Established on 1981-02-28
9.	IS:1540 (Part I)—1980 Specification for quick lime and hydrated lime for chemical industries: Part I Quick lime (second revision)	IS:1540 (Part I)—1967 Specification for quick lime and hydrated lime for chemical industries : Part I Quick lime (first revision)	—
10.	IS:1833—1980 Specification for diazinon, technical (first revision)	IS: 1833—1961 Specification for diazinon, technical	—
11.	IS:1905—1980 Code of practice for structural safety of buildings: Masonry walls (second revision)	IS:1905—1969 Code of practice for structural safety of buildings: Masonry walls (first revision)	—
12.	IS:1963—1981 Methods for determination of threads per unit length in woven fabrics (second revision)	IS : 1963—1969 Methods for determination of threads per decimetre in woven fabrics (first revision)	—
13.	*IS:1970 (Part II)—1979 Specification for hand-operated compression knapsack sprayer : Part II Pressure-retaining type	IS : 2928—1973 Specification for pressure-retaining knapsack sprayer (first revision)	Established on 1980-04-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS:1970 (Part II) 1979 shall come into force with effect from 1981-07-15

1	2	3	4
14.	IS:2110—1980 Code of practice for in situ construction of walls in buildings with soil-cement (first revision)	IS:2110—1962 Code of practice for in situ construction of walls in buildings with soil-cement	—
15.	IS:2116—1980 Specification for sand for masonry mortars (first revision)	IS:2116—1965 Specification for sand for masonry mortars	—
16.	IS:2119—1980 Code of practice for construction of brick-cum-concrete composite (Madras terrace) floor and roof (first revision)	IS:2119—1962 Code of practice for construction of brick-cum-concrete composite (Madras terrace) floor or roof.	—
17.	*IS:2318—1980 Specification for silver nitrate, photographic grade (second revision)	IS:2318—1974 Specification for silver nitrate, photographic grade (first revision)	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS:2318—1980 shall come into force with effect from 1981-07-31
18.	IS:2446—1980 Specification for turmeric powder (first revision)	IS-2446—1963 Specification for turmeric powder	—
19.	IS:2475—1979 Specification for smoked bacon (first revision)	IS:2475—1963 Specification for smoked bacon	Established on 1980-11-30
20.	IS:2893—1980 Specification for wooden handles for adzes (first revision)	IS:2893—1964 Specification for wooden handles for adzes	—
21.	IS:2930—1980 Functional requirements for hose laying tender for fire brigade use (first revision)	IS:2930—1964 Hose laying tender for fire brigade use	Established on 1981-02-28
22.	IS:2974 (Part II)—1980 Code of practice for design and construction of machine foundations : Part II Foundations for impact type machines (hammer foundations) (first revision)	IS : 2974 (Part II)—1966 Code of practice for design and construction of machine foundations : Part II Foundations for impact type machines (drop and forge hammer foundations)	—
23.	IS:3097—1980 Specification for veneered particle boards (first revision)	IS:3097—1965 Specification for veneered particle boards	—
24.	IS:3235—1980 General requirements for syringes for medical use (first revision)	IS:3235—1965 General requirements for syringes for medical use	—
25.	IS:3338—1980 Sizes of Correspondence envelopes (first revision)	IS:3338—1965 Sizes of correspondence envelopes	—
26.	IS:3400 (Part II)—1980 Methods of test for vulcanized rubber : Part II Hardness (first revision)	IS:3400 (Part II)—1965 Methods of test for vulcanized rubber: Part II Hardness	—
27.	IS:3671 (Part I)—1980 Specification for air dielectric variable tuning capacitors: Part I Tests and general requirements (first revision)	IS:3671 (Part-I)—1966 Specification for air dielectric capacitors : Part I Tests and general requirements.	—
28.	IS:4323—1980 Specification for endosulfan emulsifiable concentrates (first revision)	IS:4323—1967 Specification for endosulfan emulsifiable concentrates	—
29.	IS:4590—1980 Specification for secondary level (first revision)	IS:4590—1967 Specification for engineers' level	—
30.	IS:4887—1980 Specification for petroleum jelly for cosmetic industry (first revision).	IS:4887—1968 Specification for petroleum jelly for cosmetic industry	—
31.	IS:4902—1981 Method for determination of correct invoice weight of all wool materials (first revision)	IS:4902—1968 Method for determination of correct invoice weight and moisture content of woollen and worsted yarns	—

1	2	3	4
32.	IS:5233—1980 Specification for forceps, eye, intracapsular, Arruga's and Elsching's pattern (revised)	IS:5233—1969 Specification for forceps, eye, intracapsular (Arruga's and Elsching's pattern)	—
33.	IS:5234—1980 Specification for forceps, eye, extra capsule, Couper's pattern (first revision)	IS:5234—1969 Specification for forceps, eye, capsule (Couper's pattern)	—
34.	*IS:5288—1980 Specification for barium chloride (first revision)	IS:5288—1969 Specification for barium chloride	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS:5288—1980 shall come into force with effect from 1981-07-01
35.	IS:5949—1980 Methods for volumetric determination of calcium and magnesium using EDTA (first revision)	IS:5949—1970 Methods for volumetric determination of calcium and magnesium using EDTA	
36.	IS:6305 (Part I)—1980 Safety code for powered industrial trucks: part I Application, operation and maintenance (first revision)	IS:6305 (Part I)—1971 Safety code for powered industrial trucks: Part I Operation and maintenance	
37.	IS:6662—1980 Specification for timber species suitable for wooden packaging (first revision)	IS:6662—1972 Specification for timber species suitable for wooden packaging	—
38.	IS:7018 (Part II)—1980 Technical supply conditions for gauges: Part II Assembly and indentification for plain plug gauges (size range 1 to 250 mm)	—	—
39.	IS:7461—1980 General plan of boundary dimensions for tapered roller bearings (first revision)	IS:7461—1974 General plan of boundary dimensions for tapered roller bearings	—
40.	IS:8198(Part X)—1980 Code of practice for steel cylinders for compressed gases: Part X Methyl bromide gas	—	—
41.	IS:8674—1980 Specification for polyethylene ropes (first revision)	IS:8674—1978 Specification for polyethylene ropes	
42.	IS:8872 (Part II/Sec 5)—1980 Specification for variable resistors: Part II General purpose : Section 5 Type VRG 5C	—	—
43.	IS:9080 (Part II/Sec 3) —1981 Safety requirements in electro-heat installations: Part II Particular requirements for resistance heating equipment: Section 3 Protection in postassium and sodium nitrate and nitrite bath furnaces		
44.	IS:9298 (Part II)—1980 Specification for television pattern generators: Part II Methods of measurements	—	—
45.	IS:9535—1980 Dimensions for 8mm type S motion-picture raw stock film	—	—
46.	IS:9551 (Part IV) —1980 Specification for highfidelity audio-equipment and systems: Part IV Record playing equipment	—	—
47.	IS:9583—1981 Specification for emergency lighting units		
48.	IS:9607—1980 Specification for tertiary level	—	—
49.	IS:9613—1980 Specification for primary level	—	—
50.	IS:9618—1980 Specification for road tankers for liquefied petroleum gas	—	—
51.	IS:9621—1980 Principles of construction and adjustment of glass hydrometers	—	—
52.	IS:9624—1980 Design criteria for aircraft passenger seats and berths	—	—
53.	IS:9628—1980 Specification for three-phase induction motors with type of protection 'n'	—	—

1	2	3	4
54.	IS:9634—1980 Specification for aerosol valve--25.4 mm diameter	—	—
55.	IS:9635—1980 Methods for sampling of aerosol valves	—	—
56.	IS:9638 (Part I)—1980 Specification for fixed polyester film dielectric capacitors for direct current: Part I General requirements and methods of tests	—	—
57.	IS:9639—1980 Code of practice for visual inspection of newly manufactured low pressure welded steel gas cylinders		
58.	IS:9640—1980 Specification for split spoon sampler	—	—
59.	IS:9643—1980 Specification for non-skild type chain assembly for tyres-single type	—	—
60.	IS:9646—1980 Dimensions for moulds suitable for cast resin-based tee-joints for cables for voltages up to and including 1100 V	—	—
61.	IS:9652—1980 Dimensions for magnetic oxide cores and associated coil formers for use in power supplies (EC-cores)	—	—
62.	IS:9653—1980 Tolerances on dimensions of tubes, pins and rods of magnetic oxides		—
63.	IS:9654—1980 Information on ferrite materials to be supplied by manufacturers of transformers and inductors cores	—	—
64.	IS:9656—1980 Specification for tridemorph emulsifiable concentrates	—	—
65.	IS:9657—1980 Specification for brushes, milk pipette		
66.	IS:9658—1980 Specification for brushes, milk sample bottle	—	—
67.	IS:9659—1980 Specification for brushes, butyrometer	—	—
68.	IS:9669—1980 Specification for CBR moulds and its accessories	—	—
69.	IS:9676—1980 Reference ambient temperature for electrical equipment	—	—
70.	IS:9679—1980 Code of practice for work environment monitoring (airborne contaminate)	—	—
71.	IS:9681—1980 Specification for stearic acid for cosmetic industry	—	—
72.	IS:9685—1981 Specification for sand bags, unproofed and cuprammonium proofed	—	—
73.	IS:9688—1980 Specification for hook, strabismus, Culler's pattern	—	—
74.	IS:9689—1980 Specification for micro tome knives	—	—
75.	IS:9692 (Part I)—1980 Guide on maintainability of equipment; Part I Introduction to maintainability	—	—
76.	IS:9692 (Part II)—1980 Guide on maintainability of equipment: Part II Maintainability requirements in specifications and contracts	—	—
77.	IS:9693—1980 Purchaser's data sheet for spray dryers	—	—
78.	IS:9694 (Part II)—1980 Code of practice for the selection, installation operation and maintenance of horizontal centrifugal pumps for agricultural applications : Part II Installation	—	—

1	2	3	4
79.	IS:9694 (Part III)—1980 Code of practice for the selection, installation operation and maintenance of horizontal centrifugal pumps for agricultural applications: Part III Operation	—	—
80.	IS:9694 (Part IV)—1980 Code of practice for the selection, installation, operation and maintenance of horizontal centrifugal pumps for agricultural applications: Part IV Maintenance	—	—
81.	IS:9695—1980 Methods for sampling of helmets	—	—
82.	IS:9698—1980 Code of practice for lining of canals with low density polyethylene	—	—
83.	IS: 9701—1980 Brake performance of powered industrial trucks	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13:2]

A.S. CHEEMA, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3430.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद-14 से डब्ल्यू एच आई अहमदाबाद 18 तक तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पबाद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

975 GI/84—6

अनुसूची

अहमदाबाद 14 से डब्ल्यू एच आई अहमदाबाद 18 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला अहमदाबाद तालुका दस कोई

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	आर	सेन्टीयर
रामोल	241	0	07	60

[सं० O- 12016/100/84 आ एन जी डी. 4]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 15th October, 1984

S.O. 3430.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ahmedabad-14 to WHI Ahmedabad-18 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purposes of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user herein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Divison, Makarpura Road, Vadodra (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Ahmedabad 14 to WHI A' BAD-18.
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascoi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centair
RAMOL	241	0	07	60

[No. O-12016/100/84-ONG-D-4

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3431.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 212 तारीख 7-1-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ;

अनुसूची

कूप नं० एस० एम० ए०ए० से एस० डब्ल्यू० एम० डी० तक

पाइप लाइन

राज्य—गुजरात जिला-भरूच तालुका—अंकलेश्वर

गाँव	ब्लॉक नं०	हेक्टेअर	एआरई	सेंटीआर
रोहिद	416	0	02	60
	415	0	10	40
	414	0	13	65
	446	0	06	63
	445	0	15	21
	444	0	10	79
	449	0	08	58
	450	0	07	80
	453/ए	0	03	90
	454/बी	0	04	81
	455	0	04	03
	456	0	02	60
	457/ए	0	10	01

[सं० ओ-12016/152/83-प्रोड]

New Delhi, the 17th October, 1984

S.O. 3437.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 212 dated 7-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. SMAA to SWMD.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
ROHID	416	0	02	60
	415	0	10	40
	414	0	13	65
	446	0	06	63
	445	0	15	21
	444	0	10	79
	449	0	08	58
	450	0	07	80
	453/A	0	03	90
	454/B	0	04	81
	455	0	04	03
	456	0	02	60
	457/A	0	10	01

[No.O-12016/152/83-Prod.]

का० आ० 3432.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० सं० 4144 तारीख 24-10-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस० ई० ऐन० से एस० बी० ए० बी० तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गाँव	ब्लॉक नं०	हेक्टेअर	एआरई	सेंटीअर
कांचवा	कार्ट ट्रैक	0	00	84
	3	0	21	24
	9	0	20	64
	12	0	08	16
	14	0	03	00
	13	0	06	24
	कार्ट ट्रैक	0	00	96

[सं० ओ-12016/127/83-प्रोड]

S.O. 3432.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4144 dated 24-10-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared it tention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from S.E.N. to S.B.A.B.

State : Gujarat District & Taluka : Mchsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KOCHVA	Cart track	0	00	84
	3	0	21	24
	9	0	20	64
	12	0	08	16
	14	0	03	00
	13	0	06	24
	Cart track	0	00	96

[No. O-12016/127/83-Prod]

का० आ० 3334.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 276 तारीख 9-1-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन० के० डी० एक्स० से पाईपलाइन-65 से सीटी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

मेमदपुरा	80/1	0	04	80
	81/2	0	08	05
	32	0	09	10

[सं० O-12016/150/83-प्रोड]

S.O. 3433.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 276 dated 9-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Nkdx to Pipeline 65 to CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiar
Memadpura	80/1	0	04	80
	81/2	0	08	05
	32	0	09	10

[No. O. 12016/150/83-Prod.]

का० आ० 3434.—यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ सं० 210 तारीख 7-1-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जे० एन० ए० डी० से जोटाणा-1 जी० जी० एस०

राज्य—गुजरात जिला और तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हक्टेअर	एआरई	सेंटीअर
मोदीपुर	126	0	11	52
	125	0	03	00

[सं० ओ-12016/154/83-प्रोड]

S.O. 3434.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 210 dated 7-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands s[illegible] instead of vesting in Central Government vests on this [illegible] of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Jnad to Jotana-1 GGS

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
Modipur	126	0	11	52
	125	0	03	00

[No. O. -12016/154/83-Prod.]

का० आ० 3435.—यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ सं० 211 तारीख 7-1-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलानों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० ए० डी० से मोटवान जी० सी० एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला—भरुच: तालुका: अंकलेश्वर

गाँव	जिला	हैक्टेअर	एआरई	सेंटीअर
रोहिद	292	0	07	80
	309	0	02	60
	292	0	04	55
	316	0	39	65
	326	0	50	70

[सं० ओ-12016/155/83-प्रोड]

S.O. 3435.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 211 dated 7-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Sdad to Motwan GCS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Rohid	292	0	07	80
	309	0	02	60
	292	0	04	55
	316	0	39	65
	326	0	50	70

[No. O. 12016/155/83-Prod]

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3436.— यतः, पट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पट्रोलियम से विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 3620 तारीख 6-9-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

एस.एन.बी.जी. से एस.एम.बी.जे. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गांव	स नं.	हैक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
संथाल	644	0	02	16
	851/2	0	00	60
	851/1	0	07	92
	850	0	01	08
	854/2(2)	0	04	20
	854/1	0	11	40
	855	0	03	80

[सं. 0-12016/104/83-प्रोड.]

New Delhi, the 19th October, 1984

S.O. 3436.—Whereas, by notification of the Government of S. O. 3620 dated 6-9-83 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to ths notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall insted of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pi peline from D.S. No. SNBG To SNBJ.

State : Gujarat		District & Taluka : Mehsana		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Santhal	644	0	02	16
	851/2	0	00	60
	851/1	0	07	92
	850	0	01	08
	854/2(2)	0	04	20
	854/1	0	11	40
	855	0	01	80

[No. O-12016/104/83-Prod.]

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3437.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्र-फल एक ड में	
				1	0	03
जालोन	जालोन	जालोन	करतलापुर	2	0	37
				3	0	43
				4	4	60
				5	0	02
				11	0	02

[सं० 14016/33/84-जी०पी०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 3437.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdispur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipellne under the land to the Competent Authorty, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline.

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalun	Jalun	Kartalapur	1	0.03
				2	0.37
				3	0.43
				4	0.60
				5	0.02
				11	0.02

[No. 14016/33/84-GP]

का०आ० 3438.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग में अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्र-फल एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	
जालौन	जालौन	जलौन	घिलौवा	19	0	03
				30	0	42
				31	0	42
				32	0	20
				33	0	03
				34	0	11
				35	0	08
				39	0	02
				43	0	60
				44	0	70
				45	0	01
				49	0	02
				51	0	36
				53	0	02
				54	0	78
				55	0	80
				56	0	45
				172	0	02
				173	0	21
				174	1	03
				176	0	03
				168	0	03
				164	0	02
				165	0	15

[सं० O-14016/34/84-जी०पी०]

S.O. 3438.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline.

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Ghilava	19	0.03
				30	0.42
				31	0.04
				32	0.20
				33	0.03
				34	0.11
				35	0.08
				39	0.02
				43	0.60
				44	0.70
				45	0.01
				49	0.02
				51	0.36
				53	0.02
				54	0.78
				55	0.80
				56	0.45
				172	0.02
				173	0.21
				174	1.03
				176	0.03
				168	0.03
				164	0.02
				165	0.15

[No. O-14016/34/84 GP]

का०आ० 3439.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
जालौन	कोंच	कोंच	नगेपुरा	37	0 03
				33	0 04
				34	1 26
				43	0 95
				40	0 03
				44	0 02
				45	1 20
				47	1 02
				48	0 39
				49	0 01
				50	0 30
				51	0 30
				52	0 03
				58	1 75
				57	0 01
				56	0 40
				55	0 15

[सं० O–14016/35/84-जी.पी.]

S.O. 3439.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira—Bareilly—Jagdishpur Pipeline

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acreas
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Konch	Konch	Nagepura	37	0 03
				33	0 04
				34	1 26
				43	0 95
				40	0 03
				44	0 02
				45	1 20
				47	1 02
				48	0 39
				49	0 01
				50	0 30
				51	0 30
				52	0 03
				58	1 75
				57	0 01
				56	0 40
				55	0 15

[No. O-14016/35/84-GP]

का०आ० 3440.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाट	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
झांसी	झांसी	झांसी	डंगरवाहा	927/3	0 30
				929	0 05
				930/2	1 71
				933	0 80
				934/2	1 07
				943	0 17
				945/3	0 16
				946/1	0 34
				948	0 03
				1108	0 02
				1109/1	0 20
				1109/3	0 60
				1113	0 32
				1114/2	0 15
				1115/1	0 25
				1116/2	0 58

1	2	3	4	5		6
झांसी	झांसी	झांसी	डंगरवाहा	1118	0	78
				1119	0	03
				1124/1	0	06
				1135	0	30
				1136/10	0	80
				1137/1	0	30
				1138/2	0	90
				1139	0	12
				1140	0	06
				1141/1	0	60
				1142/1	0	15
				1143	0	70
				1144/2	1	94
				1146/1	0	02
				1147/1	0	27
				1369/2	0	10
				1439/1	1	75
				1442/2	0	60
				1441	0	05
				1445/2	0	01
				1446	0	60
				1448	0	25
				1449	0	05
				1450/1	0	45
				1451/1	0	45
				1462	0	02
				1464/2	0	02
				1515	0	47
				1517	0	65
				1535	1	90
				1536	1	00
				1537	0	08
				1538	0	80
				1539	0	18
				1646	0	15
				1547	0	75
				1549/1	2	59
				1550/1	0	04
				1559	1	42
				1560/1	0	10
				1648/2	0	03
				1649/1	1	10
				1651	0	95
				1655	0	15
				1658	0	45
				1659	0	90
				1661	0	15
				1369/2	0	40
				1463	0	10
				1589/1	0	01
				1657/1	0	01
				1660	0	07
				1663/2	0	01
				1668	0	03

[सं. O-14016/37/84-जी. पी.]

S.O. 3440.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

INDEX FOR O.N.G.C., H.B.J. GAS PIPE LINE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired in acres
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Dangar-waha	927/3	0.30
				929	0.05
				930/2	1.71
				933	0.80
				934/2	1.07
				943	0.17
				945/3	0.16
				946/1	0.34
				948	0.03
				1108	0.02
				1109/1	0.20
				1109/3	0.60
				1113	0.32
				1114/2	0.15
				1115/1	0.25
				1116/2	0.58
				1118	0.78
				1119	0.03
				1124/1	0.06
				1135	0.30
				1136/10	0.80
				1137/1	0.30
				1138/2	0.90
				1139	0.12
				1140	0.06
				1141/1	0.60
				1142/1	0.15
				1143	0.70
				1144/2	1.94
				1146/1	0.02
				1147/1	0.27
				1369/2	0.10
				1439/1	1.75
				1442/2	0.60
				1441	0.05
				1445/2	0.01
				1446	0.60
				1448	0.25
				1449	0.05
				1450/1	0.45

1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Dangar-waha	1451/1	0.45
				1462/	0.02
				1464/2	0.02
				1515	0.47
				1517	0.65
				1535	1.90
				1536	1.00
				1537	0.08
				1538	0.80
				1539	0.18
				1546	0.15
				1547	0.75
				1549/1	2.59
				1550/1	0.04
				1559	1.42
				1560/1	0.10
				1648/2	0.03
				1649/1	1.10
				1651	0.95
				1655	0.15
				1658	0.45
				1659	0.90
				1661	0.15
				1369/2	0.40
				1463	0.10
				1589/1	0.01
				1657/1	0.01
				1660	0.07
				1663/2	0.01
				1668	0.03

[No. O-14016/37/84-GP]

का.आ. 3441 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ;

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया क्षेत्रफल एकड़ में	
इटावा	बरैया		फरीदपुर	124	1	28
				126	0	08
				127	0	86
				129	1	15
				142	0	08
				143	0	16
				144	0	30
			योग 7		3.91 एकड़/ 1.580 है.	

[सं. O-14016/39/84-जी.पी.]

S.O. 3441.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujrat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, U.P. (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Viillage	Plot No.	Area Taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Farid-pur	124	1.28
				126	0.08
				127	0.86
				129	1.15
				142	0.08
				143	0.16
				144	0.03
		Total		7	3.91 1.580 H.

[No. O-14016/39/84-GP]

का.आ. 3442— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरैया	औरैया	भरतपुर	1	0 13
				4	0 58
				5	0 92
				7	0 03
				11	0 38
				62	0 73
				63	0 01
				64	0 01
				65	0 42
				66	0 55
				67	0 21
				68	0 03
				12	0 01
				17	0 01
				69	0 36
				योग 15	4.38/ 1.773 है.

[सं० O-14016/40/84-जी.पी.]

S.O. 3442.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission. H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, 226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Bharat-pur	1	0.13
				4	0.58
				5	0.92
				7	0.03
				11	0.38
				62	0.73
				63	0.01
				64	0.01
				65	0.42
				66	0.55
				67	0.21
				68	0.03
				12	0.01
				17	0.01
				69	0.36
	Total			15	4.38
					1.773 H.

[No. O-14016/40/84-G. P.]

का.आ. 3443—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया क्षेत्रफल विवरण एकड़ में	
1	2	3	4	5		6
इटावा	औरैया		कखावतू	21	0	09
				17	1	94
				42	0	24
				44	0	15
				33	0	14
				54	0	11
				65	0	03
				66	0	78
				77	0	02
				83	0	59
				82	0	01
				84	0	23
				80	0	57
				79	0	35
				90	0	07
				91	0	86
				92	0	12
				133	0	03
				134	1	44
				142	0	01
				135	0	02
				143	0	19
				131	1	22
				148	0	13
				124	0	02
				123	1	53
				120	0	24
				121	0	21
योग				28	11. 34/ 4. 591 हैक्टर	

[सं० O-14016/45/84-जी०पी०]

S.O. 3443.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, 226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in ares
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Kakha-vatu	21	0.09
				17	1.94
				42	0.24
				44	0.15
				33	0.14
				54	0.11
				65	0.03
				66	0.78
				77	0.02
				83	0.59
				82	0.01
				84	0.23
				80	0.57
				79	0.35
				90	0.07
				91	0.86
				92	0.12
				133	0.03
				134	1.44
				142	0.01
				135	0.02
				143	0.19
				131	1.22
				148	0.13
				124	0.02
				123	1.53
				120	0.24
				121	0.21
	Total			28	11.34

40591 H.

[No. O-14046/45/84-G.P.]

का.आ. 3444.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया क्षेत्र फल एकड़ में
इटावा	औरैया	औरैया	रुदौली	34	0.28
				35	0.55
				36	0.02
				44	0.01
				45	0.54
				46	1.34
				47	0.64
				48	0.02
				50	1.46
				261	0.02
				248	0.04
				247	0.59
				245	0.13
				249	0.46
				254	0.02
				231	0.40
				230	0.13
				228	0.67
				273	0.03
				225	0.16
				226	0.24
				224	1.63
				215	0.03
				207	0.11
				206	0.76
				204	0.91
				203	0.39
				201	0.02
				253	0.01
			कुल योग		30 एकड़ 11.61/
					हैक्टेयर 4.700

[सं. O-14016/46/84-जी.पी.]

S.O. 3444.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/8 Aliganj Lucknow-226020, U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Rudauli	34	0.28
				35	0.55
				36	0.02
				44	0.01
				45	0.54
				46	1.34
				47	0.64
				48	0.02
				50	1.46
				261	0.02
				248	0.04
				247	0.59
				245	0.13
				249	0.46
				254	0.02
				231	0.40
				230	0.13
				228	0.67
				273	0.03
				225	0.16
				226	0.24
				224	1.63
				215	0.03
				207	0.11
				206	0.76
				203	0.91
				204	0.39
				201	0.02
				253	0.01
	Total			30	11.61
					4.700 H.

[No. O-14016/46/84-G.P.]

का. आ. 3445.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तरप्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया क्षे. फ. एकड़ में
इटावा	औरैया	औरैया	जौरा	411	0.05
				423	0.30
				424	0.02
				427	0.39
				428	0.32
				429	0.32
				430	0.22
				431	1.39
				439	0.01
				450	0.01
				451	0.53
				452	0.01
				458	0.36
				459	1.08
				461	0.10
				466	0.01
				478	0.57
				480	0.49
				481	0.02
				482	0.23
				483	0.09
				486	0.01
				487	0.50
				488	0.60
				494	0.66
				510	0.01
				513	1.20
				539	1.04
				538	0.12
				546	0.20
				547	0.57
				548	1.60
				556	0.01
			योग—33		13.04/5.279 हे.

[सं 0-14016/47/84-जी. पी.]

S.O. 3445.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, 226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Jaura	411	0.05
				423	0.30
				424	0.02
				427	0.39
				428	0.32
				429	0.32
				430	0.22
				431	1.39
				439	0.01
				450	0.01
				451	0.53
				452	0.01
				458	0.36
				459	1.08
				461	0.10
				466	0.01
				478	0.57
				480	0.49
				481	0.02
				482.	023.
				483	0.09
				486	0.01
				487	0.50
				488	0.60
				494	0.56
				510	0.01
				513	1.20
				539	1.04
				538	0.12
				546	0.02
				547	0.57
				548	1.60
				556	0.01
	Total :			33	13.04
					5.279 H.

[No. O-14016/47/84-G.P.]

का. आ. 3446.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया क्षे. फ. (एकड़ में)
इटावा	औरैया	औरैया	माल्हेपुर	40	0.75
				41	0.08
				42	0.33
				51	0.63
				53	0.03
				145	0.65
				147	0.25
				148	0.20
				149	0.32
				150	0.32
				154	0.80
				169	0.06
				170	0.04
				178	0.80
				179	0.01
				180	0.51
				181	0.18
				182	1.37
				260	0.36
				171	0.12
				261	1.32
				262	0.03
				263	0.73
				264	0.30
				265	0.05
				266	2.19
				267	0.03
				279	0.10
				257	0.10
				258	0.02
				259	1.34
				282	0.03
				283	0.02
				289	1.70
				291	1.04
				292	0.80
				293	0.10
			योग :	37	17.44/7.061 हेक्टे.

[सं. ओ. 14016/48/84-जी. पी.]

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, U.P. (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Malhe-pur	40	0.75
				41	0.08
				42	0.33
				51	0.63
				53	0.03
				145	0.65
				147	0.25
				148	0.20
				149	0.32
				150	0.32
				154	0.80
				169	0.06
				170	0.04
				178	0.80
				179	0.01
				180	0.51
				181	0.18
				182	1.37
				260	0.36
				171	0.22
				261	1.32
				262	0.03
				263	0.73
				264	0.03
				265	0.05
				266	2.19
				267	0.03
				279	0.10
				257	0.10
				258	0.02
				259	1.34
				282	0.03
				283	0.02
				289	1.70
				291	1.04
				292	0.80
				293	0.10
			Total :	37	17.44
					7.061 H.

[No. O-14016/48-/84-G.P.]

S.O. 3446.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujrat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

का0 आ0 3447.--यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी अलीगंज, लखनऊ-226020, यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	पर. ग्राम	गाटा सं0	लिया गया क्षे0 फ0 एकड़ में
इटावा	औरैया	आसेपुर	256	0.95
			258	0.20
			259	0.18
			250	0.20
			263	0.03
			264	0.01
			265	0.01
			266	0.30
			267	0.30
			268	0.30
			269	0.20
			270	0.01
			271	0.01
			284	0.01
			285	0.01
			286	0.01
			287	1.60
			294	0.01
			296	0.03
			299	0.03
			324	0.50
			326	0.89
			329	0.05
			292	0.02
		योग	24	5.86/2.372 हेक्टर

[सं. ओ.-14016/49/84-जी. पी.]

S.O. 3447.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujrat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, U.P. (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana Village	Plote No.	Area taken in acres	Remark
Etawah	Auraiya	Auraiya	Aneypur	256	0.95
				258	0.20
				259	0.18
				250	0.20
				263	0.03
				264	0.01
				265	0.01
				266	0.30
				267	0.30
				268	0.30
				269	0.20
				270	0.01
				271	0.01
				284	0.01
				285	0.01
				286	0.01
				287.	1.60
				294	0.01
				296	0.03
				299	0.03
				324	0.50
				326	0.89
				329	0.05
				292	0.02
		Total :		24	5.86/2.372 Hector

[No. O-14016/49/84-GP]

का. आ. 3448.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परं०	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया क्षे०फ०एकड़ में
इटावा	औरैया	औरैया	खरका	480	1.44
				484	0.43
				508	1.63
				509	0.22
				510	1.09
				561	0.35
				522	0.74
			योग :	7	5.90/2.389 हैक्टर

[सं. O-14016/50/84-जी०पी०]

S.O. 3448.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujrat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, 226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Annexure

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Kharka	480	1.44
				484	0.43
				508	1.63
				509	0.22
				510	1.09
				561	0.35
				522	0.74
			Total :	7	5.90/2.389 Hactare

[No. O-14016/50/84-G.P.]

का. आ. 3449:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी अलीगंज, लखनऊ-226020, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा	बि
1	2	3	4		5	6		
कानपुर शहर	कानपुर शहर	कानपुर शहर	सैन पश्चिम पारा		1301	0	3	10
					1302	4	0	0
					1303.	0	1	5
					1304	0	7	5
					1305	1	2	0
					1306	0	0	10
					1307	0	7	12
					1308	0	15	12
					1320	0	5	8

1	2	3	4		5	6
			1347	0	13	0
			1348	1	4	7
			1350	1	1	0
			1363	0	17	10
			1365	0	1	0
			1366	0	18	0
			1375	0	2	0
			1379	0	1	16
			1388	1	5	0
			1389	0	8	0
			1390	1	7	0
			1453	1	17	0
			1454	0	17	0
			1455	0	9	10
			1456	0	1	0
			1457	0	2	0
			1462	1	5	0
			1468	0	8	0
			1469	0	11	0
			1470	0	1	6
			1471	1	6	8
			1482	0	4	0
			1483	0	1	0
			1484	0	11	10
			1485	1	11	0
			किता 34		24-7-9 या 12-34 एकड़	

[सं० O-14016/51/84-जी० पी०]

S.O. 3449.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira to Bareilly Jagdishpur Pipeline Project in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission H. B. J. Pipeline Project B-58|B-Aliganj Lucknow, 226020 U.P. :

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

District	Tahsil	Pargana	Village name	Gata No.	Area Big-ha	Area Biswan
1	2	3	4	5	6	
Kanpur city	Kanpur city	Kanpur city	Sainpaschhaim Para	1301	0	3 10
				1302	4	0 0
				1303	0	1 5
				1304	0	7 5
				1305	1	2 0
				1306	0	0 10
				1307	0	7 12
				1308	0	15 12
				1320	0	5 8
				1347	0	13 0
				1348	1	4 7
				1350	1	1 0
				1363	0	17 10
				1365	0	1 0
				1366	0	18 0
				1375	0	2 0
				1379	0	1 16
				1388	1	5 0
				1389	0	8 0
				1390	1	7 0
				1453	1	17 0
				1454	0	17 0
				1455	0	9 10
				1456	0	1 0
				1457	0	2 0
				1462	1	5 0
				1468	0	8 0
				1469	0	11 0
				1470	0	1 6
				1471	1	6 8
				1482	0	4 0
				1483	0	1 0
				1484	0	11 10
				1485	1	11 0
				Kitta 34	24	7 9 Or 12-34 acre

[No. O-14016/51/84-G.P.]

का. आ. 3450.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	नाम ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल		
					बीघा	विस्वा	वि.
1	2	3	4	5	6		
कानपुर शहर	कानपुर शहर (सदर)	कानपुर शहर	अहिरवा	675	0	9	4
				696	0	14	8
				697	0	1	15
				698	0	8	0
				701	0	17	10
				702	0	8	0
				712	0	2	5
				713	0	2	4
				714	0	10	0
				717	0	11	6
				718	0	2	0
				719	0	6	0
				726	0	16	0
				728	0	11	5
				729	0	17	0
				763	0	6	10
				764	0	4	16
				765	0	6	10
				787	0	2	16
				818	0	15	0
				819	0	3	0
				823	0	18	18
				828	0	5	0
				829	0	10	11
				838	0	15	0
				843	0	10	14
				844	0	10	0
				851	0	15	0
				852	0	1	0
				855	0	13	2
				948	0	10	0
				949	0	1	10
				974	0	2	10
				975	0	8	0
				980	0	18	0
				981	0	3	4
				982	0	4	0
				983	0	1	12
				984	0	4	3
				985	0	18	0
				986	0	2	0
				987	0	4	1
				988	0	1	0
				989	0	2	11
				990	0	9	0
				993	0	2	0
				999	0	4	16
				1001	0	3	16
				1420	0	1	16
				1421	0	17	0
				1422	0	17	0
				976	0	0	16
				979	0	3	12
				1423	0	3	0
				1424	0	9	0
				1425	0	4	16
				1436	0	14	15
				1428	0	2	16
				1429	0	14	16
				1432	0	15	0
				1433	0	0	16
				1440	0	14	17
				1441	0	3	6
				1455	0	3	5
				1456	0	19	15
				1457	0	14	0
				1458	0	0	10
				1459	0	9	0
				1460	1	4	0
				1461	0	4	0
				1475	0	18	0
				1476	0	3	7
				1477	0	1	0
				1478	0	6	0
				1479	0	5	2
				1480	0	15	0
				1045	0	6	10
				1046	0	2	8
				1047	0	6	10
				692	0	1	10
				80 गाटा	31	17	18
				या			
				16	15	एकड़	

[सं. O-14016/52/84-जी.पी.]

S.O. 3450.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira to Bareilly Jagdishpur Pipeline Project in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow, 226020 U.P.;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Area		
					B.	B.	B.
1	2	3	4	5	6		
Kanpur City	Kanpur city	Kanpur city	Ahirwan	675	0	9	4
				696	0	14	8
				697	0	1	15
				698	0	8	0
				701	0	17	10
				702	0	8	0
				712	0	2	5
				713	0	2	4
				714	0	10	0
				717	0	11	6
				718	0	2	0
				719	0	6	0
				726	0	16	0
				728	0	11	5
				729	0	17	0
				763	0	6	10
				764	0	4	16
				765	0	6	10
				787	0	2	16
				818	0	15	0
				819	0	3	0
				823	0	18	18
				828	0	5	0
				829	0	10	11
				838	0	15	0
				843	0	10	14
				844	0	10	0
				851	0	15	0
				852	0	1	0
				855	0	13	2
				948	0	10	0
				949	0	1	10
				974	0	2	10
				975	0	8	0
				980	0	18	0
				981	0	3	4
				982	0	4	0
				983	0	1	12
				984	0	4	1
				985	0	18	0
				986	0	2	0
				987	0	4	1
				988	0	1	0
				989	0	2	11
				990	0	9	0
				993	0	2	0
				999	0	4	16
				1001	0	3	16
				1420	0	1	16
				1421	0	17	0
				1422	0	17	0
				976	0	0	16
				979	0	3	12
				1423	0	3	0
				1424	0	9	0
				1425	0	4	16
				1426	0	14	15
				1428	0	2	16
				1429	0	14	16
				1432	0	15	0
				1433	0	0	16
				1440	0	14	17
				1441	0	3	6
				1455	0	3	5
				1456	0	19	15
				1457	0	14	0
				1458	0	0	10
				1459	0	9	0
				1460	1	4	0
				1461	0	4	0
				1475	0	18	0
				1476	0	3	7
				1477	0	1	0
				1478	0	6	0
				1479	0	5	2
				1480	0	15	0
				1045	0	6	10
				1046	0	2	8
				1047	0	6	10
				692	0	1	10
				80 Kitta	31	17 Or 16	18 15 acre

[No. O-14016/52/84-GP]

का. आ. 3451.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा	बि०
1	2	3	4	5	6		
कानपुर शहर	कानपुर (सदर)	कानपुर शहर	कटरी जाना	46	3	17	0
				47	1	6	0
				48	0	15	0
				3 किता	5—18—0 या 2—99 एकड़		

[सं. 0—14016/53/84—जी. पी.]

S.O. 3451.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira to Bareilly Jagdishpur Pipeline Project in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow, 226020 U.P. ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village name	Gata No.	Area Brigha	Big' Biswansi	
1	2	3	4	5	6		
Kanpur city	Kanpur city (Sadar)	Kanpur city	Katri Jana	46	3	17	0
				47	1	6	0
				48	0	15	0
				3 Kitta	5	18	0
						Or	
					2	99 acre	

[No. O.-14016/53/84-G.P.]

का. आ. 3452.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020, यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची
हाजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा क्षेत्रफल बी.	बि.	बि.
1	2	3	4	5	6		
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	मनोहरपुर	247	0	7	0
				248	0	4	10
				249	0	4	0
				250	0	12	10
				251	0	8	10
				268	0	6	0
				269	0	8	0
				279	0	1	10
				280	0	14	0
				281	0	0	5
				282	0	10	0
				284	0	5	10
				291	0	3	0
				292	1	0	0
				293	0	14	0
				494	0	1	15
				495	0	18	0
				496	0	2	5
				498	0	11	0
				499	0	8	8
				486	0	6	0
				487	0	5	10
				501	0	4	10
				502	0	8	0
				503	0	7	0
				515	0	5	0
				516	0	1	1
				512	0	12	0
				517	0	15	12
				518	0	3	15
				514	0	1	0
				513	0	0	5
				570	0	5	10
				663	0	13	16
				660	1	2	16

1	0	3	4	5			6
उन्नाव		हड़हा	मनोहरपुर	661	0	6	10
				662	0	12	8
				490	0	0	5
			योग	38	14	11	1 बीघा
						या	
						3.6818 हेक्टेयर	

[सं ओ-14016/55/84-जी. पी.]

S.O. 3452.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Gatta No.	Area in Bighas.		
1	2	3	4	5			6
Unnao	Unnao	Haraha	Manohar pur.	247	0	7	0
				248	0	4	10
				249	0	4	0
				250	0	12	10
				251	0	8	10
				268	0	6	0
				269	0	8	0
				279	0	1	10
				280	0	14	0
				281	0	0	5
				282	0	10	0
				284	0	5	10
				291	0	3	0
				292	1	0	0
				293	0	14	0
				494	0	1	15
				495	0	18	0
				496	0	2	5
				498	0	11	0
				499	0	8	8
				486	0	6	0
				487	0	5	10
				501	0	4	10
				502	0	8	0
				503	0	7	0
				515	0	5	0
				516	0	1	1
				512	0	12	0
				517	0	15	12
				518	0	3	15
				514	0	1	0
				513	0	0	5
				570	0	5	10
				663	0	13	16
				660	1	2	16
				661	0	6	10
				662	0	12	8
				490	0	0	5
			Total	38	14	11	1 Bighas
				3	68	OR 18	Hectares

[No. O-14016/55/84-GP]

का. आ. 3453—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 / बी, अलीगंज, लखनऊ 226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	क्षेत्रफल में	बीघा
1	2	3	4	5	6	
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	बेहटा	797	1-0-10	
				795	0-6-10	
				798	0-9-17	
				796	0-7-16	
				808	0-13-0	
				804	0-2-5	
				829	0-12-7	
				830	0-15-12	

1	2	3	4	5	6
				835/1	0-19-5
				836	0-9-15
				837	0-4-16
				839	0-7-13
				840	0-2-0
				841	0-1-10
				986	0-7-5
				988	0-7-0
				991/4,5	0-13-5
				1029	0-3-0
				1024	0-0-10
				1028	0-16-10
				1027	0-3-8
				1026	0-0-10
				1025	0-10-15
				806	0-0-10
				788	0-0-5
				827	0-0-5
				992	0-1-16
			योग	27	9-17-15 Bighas 2-5016 Hectares

[सं. O-14016 / 56/ 84 -जी. पी.]

S.O. 3453.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur to in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira-Bareilly-Jagdishpur pipeline

District	Tehsil	pargana	Village	Gatta No. No.	Area in Bighas.
Unnao	Unnao	Haraha	Behat	797	1-0-10
				795	0-6-10
				798	0-9-17
				796	0-7-16
				808	0-13-0
				804	0-2-5
				829	0-12-7
				820	0-15-12
				835/1	0-19-5
				836	0-9-15
				837	0-4-16
				839	0-7-13
				840	0-2-0
				841	0-1-10
				986	0-7-5
				988	0-7-0
				991/4, 5	0-13-5
				1029	0-3-0
				1024	0-0-10
				1028	0-16-10
				1027	0-3-8
				1026	0-0-10
				1025	0-10-15
				806	0-0-10
				788	0-0-5
				827	0-0-5
				992	0-1-16
				27	9-17-15 Bighas 2-5016 Hectares

[No. O-14016/56/84-GP]

का. आ. 3454—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली— जगदीशपुर पाईप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यत:, प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत:, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी- 58 /बी, अलीगंज- लखनऊ 226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाईप लाईन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
झांसी	मोठ	मोठ	करई	578	0-35
				579	0-43
				580	0-02
				581	0-4
				586	0-76
				604	0-02
				645	0-39
				646	0-04
				647	0-98

1	2	3	4	5	6
				648	0-05
				649	0-80
				655	0-02
				659	1-78
				660	0-04
				661	0-10
				662	0-03
				687	0-26
				688	0-56
				692	0-02
				693	0-04
				694	0-20
				697	0-03
				698	2-08
				703	0-03
				885	1-59
				887	0-02
				889	0-78
				890	0-80
				891	0-09
				892	0-04

[सं.फा.-14016/64/84 जी. पी.]

S.O. 3454.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bereilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-50/B Aliganj Lucknow, 226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Index For O.N.G.C. HBJ Gas pipe Line

District	Tehsil	Pargana	Village	Gatta No.	Area Acquired in Acres.
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Moth	Moth	Karai	578	0.35
				579	0.43
				580	0.02
				581	0.04
				586	0.76
				604	0.02
				645	0.39
				646	0.04
				647	0.98
				648	0.05
				649	0.80
				655	0.02
				659	1.78
				660	0.04
				661	0.10
				662	0.03
				687	0.26
				688	0.56
				692	0.02
				693	0.04
				694	0.20
				697	0.03
				698	2.08
				703	0.03
				885	1.59
				887	0.02
				889	0.78
				890	0.80
				891	0.09
				892	0.04

[No. O-14016/64/84-GP]

का. आ. 3455 यत:- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत : अब, पेट्रोलियम और और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ -226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाय की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाईन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित एकड़ में क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
झांसी	झांसी	झांसी	कोटखेरा	134	1-65
				131	0-36

1	2	3	4		
झांसी–जारी	झांसी	झांसी	कटखोरा	132	0 02
				123	0 03
				122	0 45
				121	0 02
				119	0 02
				118	0 82
				117	0 03
				116	0 02
				115	0 22
				114	0 75
				111	0 02
				110	1 25
				108	0 04
				107	0 03
				106	0 15
				105	0 55
				104	0 10
				103	0 32
				102	0 08
				179	0 17
				339	0 27
				339	0 90
				337	0 03
				332	0 55
				334	0 48
				331	0 14
				330	0 30
				328	0 09
				325	0 30
				299	1 60
				301	0 11
				304	0 25
				293	0 10
				294	0 05
				305	0 02
				292	0 30
				306	0 45
				307	0 08
				308	0 03
				309	0 30
				286	0 20
				287	0 51
				285	0 03
				278	0 31
				279	0 46
				276	0 04
				272	0 10
				273	0 33
				274	0 42
				270	0 06
				255	0 65
				268	0 10
				504	0 06
				505	0 10
झांसी–जारी	झांसी	झांसी	कोटखोरा	506	0 08
				507	0 14
				508	0 09
				509	0 03
				510	0 05
				512	0 20
				513	0 25
				514	0 10
				521	0 63
				522	0 09
				533	0 45
				536	0 40
				537	0 15
				535	0 21
				569	0 54
				568	0 55
				567	0 80
				566	0 02
				565	0 02
				551	1 60
				1	0 15
				112	0 02
				269	0 06

[सं. O-14016/65/84-जी. पी]

S.O. 3455.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B-Aliganj Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Index for O.N.G.C. H.B.J. Gas Pipe Line

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired in Acres.
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Kotkhera	134	1.65
				131	0.26
				132	0.02
				123	0.03
				122	0.45
				121	0.02
				119	0.02
				118	0.02
				117	0.03

1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Kotkhera	116	0.02
				115	0.22
				114	0.75
				111	0.02
				110	1.25
				108	0.02
				107	0.03
				106	0.15
				105	0.55
				104	0.10
				103	0.32
				102	0.08
				179	0.17
				339	0.27
				338	0.90
				337	0.03
				332	0.55
				334	0.48
				331	0.14
				330	0.30
				328	0.09
				325	0.30
				299	1.60
				301	0.11
				304	0.25
				293	0.10
				294	0.05
				305	0.02
				292	0.30
				306	0.45
				307	0.08
				308	0.03
				309	0.30
				286	0.20
				287	0.51
				285	0.03
				278	0.31
				279	0.46
				276	0.04
				272	0.10
				273	0.33
				274	0.42
				270	0.06
				255	0.65
				268	0.10
				504	0.06
				505	0.10
				506	0.08
				507	0.14
				508	0.09
				509	0.03
				510	0.05
				512	0.20
				513	0.25
				514	0.10
				521	0.63
				522	0.09
				533	0.45
				536	0.40
				537	0.15
				535	0.21
				569	0.54
				568	0.55
				567	0.80
				566	0.02
				565	0.02
				551	1.60
				[illegible]	0.15
				112	0.02
				269	0.06

[No. O-14016/65/84-GP]

का. आ. 3456 :— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी- 58/बी, अलीगंज, लखनऊ -226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाईन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
झांसी	झांसी	झांसी	रकसा	120	0 32
				121	0 33
				122	0 35
				123	0 32
				127	1 15
				150	0 16
				120	0 03
				143	0 13
				144	0 32
				145	0 01
				147	0 65
				149	0 02
				155	0 06
				371	0 12
				372	0 16
				373	0 16
				375	0 04
				376	0 32
				380	0 04
				381	0 22
				382	0 16
				384	[illegible] 09
				385	0 37
				388	0 25
				396	0 11
				400	0 91
				401	0 12
				124	0 02
				560	0 7

1	2	3	4	5	6
झांसी			रक्सा	398	0.90
				399	1.50
				410	0.40
				509	0.69
				510	0.02
				513	0.17
				514	0.54
				515	0.16
				519	0.66
				522	0.62
				523	0.49
				524	0.81
				640	0.95
				642	0.80
				682	0.61
				683	0.37
				684	0.18
				688	0.32
				690	0.75
				692	0.06
				689	0.46
				693	0.32
				694	1.53
				627	0.08
				628	0.08
				629	0.08
				411	0.30

[सं०-14016/66/84-जी० पी०]

S.O. 3456.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-50/B Aliganj Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Index for O.N.G.S. H.B.J. Gas Pipe Line

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired in Acres
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Raksa	120	0.32
				121	0.33
				122	0.35
				123	0.32
				127	1.15
				150	0.16
				128	0.03
				143	0.13
				144	0.32
				145	0.0
				147	0.65
				149	0.02
				155	0.06
				371	0.12
				372	0.16
				373	0.16
				375	0.04
				376	0.32
				380	0.04
				381	0.22
				382	0.16
				384	0.09
				385	0.37
				388	0.25
				396	0.11
				400	0.91
				401	0.12
				124	0.02
				560	0.70
				398	0.90
				399	1.50
				410	0.40
				509	0.69
				510	0.02
				513	0.17
				514	0.54
				515	0.16
				519	0.66
				522	0.62
				523	0.49
				524	0.81
				640	0.95
				642	0.80
				682	0.61
				683	0.37
				684	0.18
				688	0.32
				690	0.75
				692	0.06
				689	0.46
				693	0.32
				694	1.53
				627	0.08
				628	0.08
				629	0.08
				411	0.30

[No. O-140/6/66/84-GP]

का०आ० 3457 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए तत्पश्चात् अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा

2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	71	0 02
				72	0 90
				73	0 03
				75	0 09
				76	0 60
				79	0 25
				87/1	1 90
				91	0 08
				92	0 70
				106	0 50
				109	0 03
				110	0 80
				111	0 50
				113	0 92
				114	0 40
				120/1	0 03
				121	0 70
				129	0 92
				138	0 37
				139	0 63
				140	0 08
				141	0 20
				327	0 30
				328	0 75
				329	0 75
				330	0 80
				432	0 88
				433	0 05
				434	1 03
				435	0 50
				469	0 50
				485	0 30
				486	0 02
				487	0 80
				488	0 40
				489	0 40
				83	0 02
				468	0 03
				430	0 15
				382	0 50
				390	0 50
				484	0 11
				29	0 01
				307	0 05
				378	0 08
				379	0 01
				431	0 20
				74	0 05
				84	0 03
				133	0 03
				430	0 01

[सं O—14016/07/84–जी. पी]

S.O. 3457.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow-226020 ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Index ONGS GAS pipeline Hazira-Bareilly-Jagdishpur

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired in Acres
1	2	3	4	5	6
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Rajapur	71	0.02
				72	0.90
				73	0.03
				75	0.09
				76	0.60
				79	0.25
				87/1	1.90
				91	0.08
				92	0.70
				106	0.50
				109	0.03
				110	0.80
				111	0.50
				113	0.92
				114	0.40
				120/1	0.03
				121	10.70
				129	0.92
				138	0.37

1	2	3	4	5	6
				139	0.63
				140	0.08
				141	0.20
				327	0.30
				328	0.75
				329	0.75
				330	0.80
				432	0.88
				433	0.05
				434	1.03
				435	0.50
Jhansi	Jhansi	Jhansi'Rajapur		469	0.50
				485	0.30
				486	0.02
				487	0.80
				488	0.40
				49	0.40
				83	0.02
				468	0.03
				480	0.15
				382	0.50
				380	0.50
				484	0.11
				29	0.01
				307	0.05
				378	0.08
				379	0.01
				431	0.20
				74	0.05
				84	0.03
				133	0.03
				490	0.01

[No. O-14016/67/84-GP]

का० आ० 3458:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा -बरेली- दीशपुर पाईप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी- 58 बी, अलीगंज, लखनऊ 226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाईन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	लिया गया रकबा वि० वि० वि०
1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराज गंज	हरदोई	पुरासी	110	0—10—10
				111	0—18—15
				127	0—15—0
				126	0—3—0
				159	0—0—17
				134	0—11—5
				160	0—3—0
				161	0—3—10
				162	0—2—10
				163	0—14—0
				178	0—0—2
				179	0—14—0
				181	0—5—6
				182	0—0—15
				180	0—0—9
				183	0—2—0
				184	0—0—1
				185	0—19—0
				187	0—0—5
				188	0—9—10
				190	0—3—5
				199	0—15—0
				200	0—4—0
				201	0—3—0
				202	0—2—0
				204	0—0—3
				205	0—3—0
				206	0—4—0
				210	0—0—10
				211	1—4—0
				212	0—13—0
				322	0—1—12
				327	0—6—16
				328	0—11—10
				329	1—2—0
				332	0—0—2
				331	0—0—2
				333	0—0—7
				354	0—16—0
				355	0—4—0
				365	0—7—0
				366	0—5—0
				367	0—6—15
				368	0—1—0
				370	0—6—0
				373	0—6—0
				374	0—7—0
				386	0—7—0

1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराज गंज	हरदोई	पुरासी	387	0–2–10
				389	0–9–5
				166	0–0–18
				337	0–0–11
				338	0–0–10
			योग	53	16–7–11
					10–236 एकड़
					4–1462 हैक्टर

[सं. O –14016/21/ 84 जी. पी.]

S.O. 3458.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Barelly-Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B. Aliganj Lucknow 226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Pagdishpur Pipeline

District	Tehsil	pargana	Village	No.	Area Acquired B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Raebareli	Maharaj Ganj.	Hardoi	Purasi	110	0–10–10
				111	0–18–15
				127	0–15–0
				126	0–3–0
				134	0–11–5
				159	0–0–17
				160	0–3–0
				161	0–3–10
				162	0–2–10
				163	0–14–0
				178	0–0–2
				179	0–14–0
				181	0–5–6
				182	0–0–15
				180	0–0–9
				183	0–2–0
				184	0–0–1
				185	0–19–0
				187	0–0–5
				188	0–9–10
				190	0–3–5
				199	0–15–0
				200	0–4–0
				201	0–3–0
				202	0–2–0
				204	0–0–3
				205	0–3–0
				206	0–4–0
				210	0–0–10
				211	1–4–0
				212	0–13–0
				322	0–1–12
				327	0–6–16
				328	0–11–10
				329	1–2–0
				331	0–0–2
				332	0–0–2
				333	0–0–7
				354	0–16–0
				355	0–4–0
				365	0–7–0
				366	0–5–0
				367	0–6–15
				368	0–1–0
				370	0–6–0
				373	0–6–0
				374	0–7–0
				386	0–7–0
				387	0–0–11
				338	0–0–10
			Total	53	16–7–11
					(10—236) Acre. (4–1462) Hectares.

[No. O-14016/21/84-GP]

का. आ. 3459.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली/जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर-पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	लिया गया रकबा बि. वि. वि.
1	2.	3	4	5	6
रायबरेली	महाराज गंज	सेमरौता	कडरिया	1	0 0 15
				4	0 1 10
				5	0 11 0
				6	0 15 0
				31	0 1 2
				32	0 2 0
				33	0 0 9
				34	0 9 10
				35	0 17 0
				40	0 13 0
				41	0 4 16
				44	0 9 10
				48	1 6 0
				49	0 0 6
				50	0 1 1
				51	0 18 0
				52	0 1 16
				53	0 1 10
			योग	18	6 14 5 (4-195) एकड़ (1.6993) हैक्टेयर

[सं. O-14016/22/84-जी.पी.]

INDEX

Hajira Barelly Jagdishpur Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Gattea No.	Area Acquired B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Raebareli	Maharaj Ganj.	Semra-uta.	Kararia	1	0-0-15
				4	0-1-10
				5	0-11-0
				6	0-15-0
				31	0-1-2
				32	0-2-0
				33	0-0-9
				34	0 9 10
				35	0 17 0
				40	0 13 0
				41	0 4 16
				44	0 9 .0
				48	1 6 0
				49	0 0 6
				50	0 1 1
				51	0 18 0
				52	0 1 16
				53	0 1 10
			Total	18	6-14-5 (4-195) Acre. (1-6993) Hectare.

[No. O-14016/22/84-GP

S.O. 3459.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barcilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow 226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

का.आ. 3460.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिर –बरेली–जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
जालौन	जालौन	जालौन	इटवाकनार	183/1	0 05
				184	0 04
				211	0 65
				212	0 58
				210	0 04
				209	1 20
				208	0 04
				250	0 39
				251	0 02
				256	1 00
				257	0 02
				260	0 48
				261	0 03
				262	0 27
				263	0 42
				264	0 63
				266	0 18
				268/1	0 24
				281	0 74
				313	0 12

[सं. O-14016/30/84-जी.पी.]

S.O. 3460.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessery in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H. B. J. Pipeline Project B-58/B Aliganj Lucknow (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline.

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Itawa Kanar	183/1	0.05
				184	0.04
				211	0.65
				212	0.58
				210	0.04
				209	1.20
				208	0.04
				250	0.39
				251	0.02
				256	1.00
				257	0.02
				260	0.48
				261	0.03
				262	0.27
				263	0.42
				264	0.63
				266	0.18
				268/1	0.24
				281	0.74
				313	0.12

[No. O-14016/30/84-GP]

का. आ. 3461.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)' की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ 226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
जालौन	जालौन	जालौन	रसूलपुर	1	0 03
				19	0 27
				20	0 10
				21	0 03
				160	0 03
				164	0 16
				165	0 93
				166	0 03

1	2	3	4	5	6
				167	0 03
				173	0 18
				174	0 10
				175	0 10
				176	0 49
				151	1 15
				152	0 02
				147	0 03
				146	0 57
				229	0 03
				230	0 03
				242	0 31
				243	0 33
				244	0 03
				249	0 69
				250	0 03
				259	0 64
				260	0 57
				261	0 03
				264	0 83
				289	0 03
				290	0 05

[सं. O-14016/31/84-जीoपीo]

S.O. 3461.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-sectino (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE)

Hazira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Rasulpur	1	0.03
				19	0.27
				20	0.10
				21	0.03
				160	0.03
				164	0.26
				165	0.93
				166	0.03

1	2	4	5	6
			167	0.03
			173	0.18
			174	0.10
			175	0.10
			176	0.49
			151	1.15
			152	0.02
			147	0.03
			146	0.57
			229	0.03
			230	0.03
			242	0.31
			243	0.33
			244	0.03
			249	0.69
			250	0.03
			259	0.64
			260	0.57
			261	0.03
			264	0.83
			289	0.03
			290	0.05

[No. O-14016/31/84-GP]

का.आ. 3462.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानो भाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गीस आयोग बी-58-बी, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल एकड़
1	2	3	4	5	6
जालौन	कोंच	कोंच	मीड़ा-पेड़ा	1	0
				2	0
				5	0
				6	0
				17	0

1	2	3	4	5	6
			16	0	60
			15	0	77
			19	0	01
			21	0	35
			22	0	96
			31	0	02
			43	0	06
			44	0	02
			79	0	11
			78	0	02
			77	0	50
			76/1	0	08
			76/2	0	50
			65	0	20
			65/252	0	42
			66	0	08
			67	0	41
			59	0	01
			47	0	60
			46	0	04
			45	0	65
			18	0	01
			60	0	01

[सं. O-14016/32/84-जी.पी.]

S.O. 3462.—Whereas it appears to the Central Govern-:nt that it is necessary in the public interest that for the nsport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in tar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil an tural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying ch pipeline, it is necessary to acquire the right of user in : land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by -sectino (1) of the Section 3 of the Petroleum and nerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the id) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government eby declares its intention to acquire the right of user rein;

rovided that any person interested in the said land may, iin 21 days from the date of this notification, object to laying of the pipeline under the land to the Competent hority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline ct B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

nd every person making such an objection shall also specifically whether he wishes to be heard in person or egal practitioner.

SCHEDULE

Hazira-Bareilly Jagdishpur Pipeline

trict	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
un	Konch	Konch	Khera	1	0.35
			Bora	2	0.18
				5	0.01
				6	0.30
				17	0.55

1	2	3	4	5	6
				16	0.60
				15	0.77
				19	0.01
				21	0.35
				22	0.96
				31	0.02
				43	0.06
				44	0.02
				79	0.11
				78	0.02
				77	0.50
				76/1	0.08
				76/2	0.50
				65	0.10
				65/252	0.42
				66	0.08
				67	0.41
				59	0.01
				47	0.60
				46	0.04
				45	0.65
				18	0.01
				60	0.01

[No. O-14016/32/84-GP]

का.आ. 3463.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली/जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और यह आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	लिया गया रकबा बि.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	फक्कीपुर	139	0 3 8
				151	0 0 1
				153	0 1 0
				154	0 16 6

1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	कक्केपुर	155	1 8 15
				159	0 5 5
				165	0 0 17
				166	1 7 6
				167	0 0 4
				168	1 1 1
				169	0 0 6
				187	0 3 8
				188	0 8 2
				190	0 7 10
				191	0 16 0
				192	0 2 15
				193	0 1 15
				241	0 2 14
				212	0 5 3
				243	0 9 5
				244	0 0 4
				192/273	0 2 15
				57	0 12 6
				59	0 7 0
				60	0 6 8
				56	0 15 10
				185	0 1 10
			योग	27	10 6 14 (6-459) एकड़ (2-6159) हैक्टेयर्स
				139	0 3 8
				151	0 0 1
				153	0 1 0
				154	0 16 6
				155	1 8 15
				159	0 5 5
				165	0 0 17
				166	1 7 6
				167	0 0 4
				168	1 1 1
				169	0 0 6
				187	0 3 8
				188	0 8 2
				190	0 7 10
				191	0 16 0
				192	0 2 15
				193	0 1 15
				241	0 2 14
				242	0 5 3
				243	0 9 5
				244	0 0 4
				192/273	0 2 15
				57	0 12 6
				59	0 7 0
				60	0 6 8
				56	0 15 10
				185	0 1 10
			योग	27	10 6 14 (6-459) एकड़ (2-6159) हैक्टेयर्स

[सं. O-14016/9/84-जी.पी.]

S.O. 3463.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to aquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	No.	Area acquired B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Raebareli	Maharaj Ganj	Simrauta	Kakkey Pur.	139	0-3-8
				151	0-0-1
				153	0-1-0
				154	0-16-6
				155	1-8-15
				159	0-5-5
				165	0-0-17
				166	1-7-6
				167	0-0-4
				168	1-1-1
				169	0-0-6
				187	0-3-8
				188	0-8-2
				190	0-7-10
				191	0-16-0
				192	0-2-15
				193	0-1-15

1	2	3	4	5	6
			241	0-2-14	
			242	0-5-3	
			243	0-9-5	
			244	0-0-4	
			192/273	0-2-15	
			57	0-12-6	
			59	0-7-0	
			60	0-6-8	
			56	0-15-10	
			185	0-1-10	
		Total	27	10-6-14 (6-459) Acre. (2-6159 Hectare)	

[No. O-14016/9/84GP].

का.आ. 3464. यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है, कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 22 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	लिया गया रकबा वि.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराज गंज	सेमरौता	गंगापुर	66	0 0 5
				68	0 7 0
				69	0 8 10
				70	0 3 0
				71	0 5 10
				72	0 1 5
				75	0 5 0
				76	0 0 15
				102	0 3 10
				107	0 6 5
				108	1 3 0
			योग	11	3 3 0 (1-969) एक ड़ (0-7944) हैक्टेयर

[सं. O-14016/10/84-जी.पी.]

S.O. 3464.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Gatta No.	Area Acquired B.B.B.
1	2	3	4	5	6
Raebareli	Maharaj Ganj.	Semrauta.	Gangapur	66	0-0-5
				68	0-7-0
				69	0-8-10
				70	0-3-0
				71	0-5-10
				72	0-1-5
				75	0-5-0
				76	0-0-15
				102	0-3-10
				107	0-5-5
				108	1-3-0
			Total	11	3-3-0 (1-969) Acre. (0-7944) Hectare.

[No. O-14016/10/84-GP]

का.आ. 3465.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा/बरेली/जगदीशपुर पाइप लाइन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ 2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा, कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	लिया गया क्षेत्रफल बीघा में		
1	2	3	4	5	6		
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	विशुन खेड़ा	5	0	6	0
				6	0	9	0
				7	0	2	0
				9	0	8	0
				10	0	11	0
				11	0	1	0
				17	0	2	0
				18	0	12	0
				20	0	16	0
				21	0	8	0
				22	0	0	5
			योग	11	3 बीघा	15	5
					0.9424 हैक्टेयर्स		

[सं. O-14016/11/84-जी. पी.]

S.O. 3465.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to aquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sectino (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagdispur Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Gatta No.	Area in Bighas		
1	2	3	4	5	6		
Unnao	Purwa	Purwa	Vishun Khera	5	0	6	0
				6	0	9	0
				7	0	2	0
				9	0	8	0
				10	0	11	0
				11	0	1	0
				17	0	2	0
				18	0	12	0
				20	0	16	0
				21	0	8	0
				22	0	0	5
				11	3 Bighas	15	5
					(0.9424) Hectares		

[No. O-14016/11/84—GP]

का.आ. 3466.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने का प्रयोजन के के लिए एकत्रित एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	क्षेत्रफल बीघा		में
1	2	3	4	5	6		
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	गोकुल पुर	234	0	0	15
				239	0	8	0
				240	0	17	0
				257/3	0	1	10
				259	1	2	0
				276	0	0	16
				281	0	0	3
				283	0	0	3
				284	0	1	0
				285	0	11	0
				286	0	0	7
				287	0	6	0
				288	0	5	12
				289	0	2	16
				242	0	4	10
		योग		15	4 बीघा	1	12
					1.0321 हेक्टेयर		

[सं. ओ-14016/12/84-जी. पी.]

S.O. 3466.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to aquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sectino (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagdispur Pipe Line

District	Tahsil	Par-gana	Village	Gatta No.	Area in Bighas		
1	2	3	4	5	6		
Unnao	Purwa	Purwa	Gokul-pur	234	0	0	15
				239	0	8	0
				240	0	17	0
				257/3	0	1	10
				259	1	2	0
				276	0	0	16
				281	0	0	3
				283	0	0	3
				284	0	1	0
				285	0	11	0
				286	0	0	7
				287	0	6	0
				288	0	5	12
				289	0	2	16
				242	0	4	10
			Total	15	4 Bighas 1.0321 Hectares	1	12

[No. O-14016/12/84—GP]

का.आ. 3467 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	क्षेत्र फल बीघों		में
1	2	3	4	5	6		
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	टिकरी-	50	0	0	10
				49	1	9	10
				48	0	7	4
				47	0	17	0
				45	0	18	0
				42	0	0	15
				36	0	4	11

1	2	3	4	5	6		
				89	1	8	0
				24	0	3	4
				91	0	4	4
				92	0	0	16
				23	0	9	10
				22	0	5	16
				20	0	1	15
				18	0	13	5
				17	0	10	10
				16	0	4	0
				15	0	12	3
				14	0	7	0
				8	3	11	15
				9	0	8	9
				97	0	8	9
				139	0	12	12
				141	0	3	10
			योग	24	14	2	9
					बीघा		
					2-5730		
					हेक्टेयर		

[सं. ओ-14016/13/84-जी.पी.]

S.O. 3467.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to aquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagispur Pipe Line

District	Tahsil	Par-gana	Village	Gatta No.	Area in Bighas		
1	2	3	4	5	6		
Unnao	Unnao	Harahà	Tikri Padb-bhata	50	0	0	10
				49	1	9	10
				48	0	7	4
				47	0	17	0
				45	0	18	0

1	2	3	4	5	6		
				42	0	0	15
				36	0	4	11
				89	1	8	0
				24	0	3	4
				91	0	4	4
				92	0	0	16
				23	0	9	10
				22	0	5	16
				20	0	1	15
				18	0	13	5
				17	0	10	10
				16	0	4	0
				15	0	12	3
				14	0	7	0
				8	3	11	16
				9	0	8	9
				97	0	8	9
				139	0	12	12
				141	0	3	10
			Total	24	14	2	9
					Bighas		
					2.5730 Hectares		

[No. O-14016/13/84—GP]

का.आ. 3468.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिग गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा : बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नम्बर	लिया गया रकबा,		
					बि.	बि.	बि.
1	2	3	4	5	6		
राय बरेली	महाराज गंज	हल्होना	सिठौली	25	0	19	5
				26	0	16	10
				27	0	6	5

1	2	3	4	5		6	
				28	0	3	15
				29	0	1	16
				30	0	1	10
				34	0	4	15
				50	0	1	10
				58	1	16	15
				64	0	3	10
				65	0	2	10
				66	0	4	15
				67	0	3	0
				68	0	2	5
				69	0	4	8
				70	1	15	10
				71	0	1	0
				79	1	0	10
				81	0	19	0
				103	0	18	10
				1214	1	1	15
				1216	0	2	0
				1220	0	9	10
				1221	0	13	10
				1222	0	2	10
				1230	0	3	5
				1232	0	11	0
				1255	0	10	0
				1256	0	3	0
			कुल :	29	14	3	9
						(8-858) एकड़	
						(3-5874) हेक्टेयर	

[सं. ओ-14016/14/84-जी.पी.]

S.O. 3468.—Whether it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to aquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagdispur Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Gatta No.	Area acquired B.B.B.		
1	2	3	4	5	6		
Rae-bareli	Maharaj Ganj	Inhauna	Sithauli	25	0	19	5
				26	0	16	10
				27	0	6	5
				28	0	3	15
				29	0	1	16
				30	0	1	10
				34	0	4	15
				50	0	1	10
				58	1	16	15
				64	0	3	10
				65	0	2	10
				66	0	4	15
				67	0	3	0
				68	0	2	5
				69	0	4	8
				70	1	15	10
				71	0	1	0
				79	1	0	10
				81	0	19	0
				103	0	18	10
				1214	1	1	15
				1216	0	2	0
				1220	0	9	10
				1221	0	13	10
				1222	0	2	10
				1230	0	3	5
				1232	0	11	0
				1255	0	10	0
				1256	0	3	0
			Total	29	14 (8-858) Acres 3-5874 Hectares.	3	9 £

[No. O-14016/14/84—GP]

का.आ. 3469—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नम्बर	लिया गया रकबा बि.	बि.	बि.
1	2	3	4	5	6		
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	जमुरावा	655	0	9	0
				656	0	7	10
				657	0	16	10
				662	0	1	7
				765	0	1	10
				766	0	7	0
				767	0	12	10
				769	0	5	15
				1723	0	11	0
				1724	0	2	0
				1725	0	6	4
				1726	0	18	10
				1727	0	0	10
				1728	0	6	0
				1729	0	9	10
				1738	0	15	10
				1739	0	7	12
				1747	0	4	10
				1748	0	11	0
				1749	0	11	10
				1750	0	12	0
				1755	0	18	10
				1756	0	4	10
				1764	0	14	5
				1793	0	5	5
				1794	0	2	0
				1797	0	3	0
				1798	0	7	5
				1799	0	8	0
				1800	0	6	0
				1801	0	7	10
				1802	0	2	0
				1829	0	6	10
				1830	0	8	0
				1831	0	5	10
				1832	0	16	0
				1833	0	5	0
				1834	0	13	0
				1867	0	7	0
				1869	0	7	0
				1871	0	1	10
				1872	0	6	0
				1880	0	9	10
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	जमुरावा	1881	0	11	10
				1887	0	9	10
				1888	0	3	0
				1889	0	9	10
				1890	0	1	15
				1891	0	1	10
				1893	0	5	10
				1895	0	2	10
				1899	0	7	0
				1900	0	3	0
				1902	0	1	10
				1904	0	5	10
				1905	0	13	0
				1907	0	1	10
				1908	0	12	10
				1910	0	2	5
				1914	0	10	10
				1915	0	0	10
				1916	0	8	10
				1917	0	3	15
				1919	0	1	10
				1928	0	4	10
				1929	0	8	0
				1931	0	2	10
				1932	0	0	13
				1933	0	11	10
				1934	0	1	2
				1792	0	0	2
				1962	0	1	19
				1866	0	0	2
				1722	0	1	0
			कुल	74	24	7	6
					(15–229) एकड़		
					(6–165) एकटेयर्स		

[सं. ओ–14016/15/84–जी.पी.]

S.O. 3469.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow 226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagdispur Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Gattea No.	Area Acquired B.B.B.		
1	2	3	4	5	6		
Rae-bareli	Maha-raj Ganj	Sem-rauta	Jamu-rawan	655	0	9	0
				656	0	7	10
				657	0	16	10
				662	0	1	7
				765	0	1	10
				766	0	7	0
				767	0	12	10
				769	0	5	15
				1723	0	11	0
				1724	0	2	0
				1725	0	6	4
				1726	0	18	10
				1727	0	0	10
				1728	0	6	0
				1727	0	9	10
				1738	0	15	10
				1739	0	7	12
				1747	0	4	10
				1748	0	11	0
				1749	0	11	10
				1750	0	12	0
				1755	0	18	10
				1756	0	4	10
				1764	0	14	5
				1793	0	5	5
				1794	0	2	0
				1797	0	3	0
				1798	0	7	5
				1799	0	8	0
				1800	0	6	0
				1801	0	7	10
				1802	0	2	0
				1829	0	6	10
				1830	0	8	0
				1831	0	5	10
				1832	0	16	0
				1833	0	5	0
				1834	0	13	0
				1867	0	7	0
				1869	0	7	0
				1871	0	1	10
				1872	0	6	0
				1880	0	9	10
				1881	0	11	10
				1887	0	9	10
				1888	0	3	0
				1889	0	9	10
				1890	0	1	15
				1891	0	1	10
				1893	0	5	10
				1895	0	2	10
				1899	0	7	0
				1900	0	3	0
				1902	0	1	10
				1904	0	5	10
				1905	0	13	0
				1907	0	1	10
				1908	0	12	10
				1910	0	2	5
				1914	0	10	10
				1915	0	0	10
				1916	0	8	10
				1917	0	3	15
				1919	0	1	10
				1928	0	4	10
				1929	0	8	0
				1931	0	2	10
				1932	0	0	13
				1933	0	11	10
				1934	0	1	2
				1792	0	0	2
				1962	0	1	19
				1866	0	0	2
				1722	0	1	0
			Total	74	24 (15-229) Acre. (6-165) Hectare.	7	6

[No. O-14016/15/84-GP]

का॰ भा॰ 3470.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाने जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू॰ पी॰ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नंबर	लिया गया रकबा		
					बि॰	बि॰	बि॰
1	2	3	4	5	6		
रायबरेली	महाराज गंज	सेमरौता	हिलहा	133	0	2	0
				134	0	11	0
				135	0	11	0

1	2	3	4	5		6	
				137	0	7	0
				139	0	17	5
				144	0	3	0
				147	1	3	10
				232	0	12	0
				278	0	1	10
				275	0	3	0
				276	0	7	0
				277	1	2	2
				279	1	1	0
				280	0	2	0
				284	0	0	10
				285	0	6	10
				286	0	1	0
				138	0	1	0
			योग	18	7	12	7
							(4-761) एकड़
							(1-9282) हेक्टेयर

[सं० O-140/2616/84-जी०पी०]

S.O. 3470.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barellly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow (226020);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Barelly Jagdispur Pipe Line

District	Tahsil	Pargana	Village	Gattea No.	Area Acquired B.B.B.		
1	2	3	4	5	6		
Rae-bareli	Maha-raj Ganj	Sen-rauta	Hilha	133	0	2	0
				134	0	11	0
				135	0	11	0
				137	0	7	0
				139	0	17	5
				144	0	3	0
				147	1	3	10
				232	0	12	0
				278	0	1	10
				275	0	3	0
				276	0	7	0
				277	1	2	2
				279	1	1	0
				280	0	2	0
				284	0	0	10
				285	0	6	10
				286	0	1	0
				138	0	1	0
			Total	18	7 (4-761) Acre	12	7

[No. O-14016/16/84-GP]

का० आ० 3471.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच० बी० जे० पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म० प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम सुन्दराबाद तहसील बड़नगर जिला—उज्जैन राज्य (म०प्र०)

अनुसूची

अनु० क्र० 1	खातरा नं० 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	302	0.220
2.	301	0.420
3.	305	0.700
4.	268/1	0.110
5.	262	0.120
6.	267/1	0.250
7.	267/3	0.070
8.	259/2	0.080
9.	266	0.730
10.	142 143	0.380
11.	141	0.220
12.	139/1	0.030

1	2	3
13.	138	0.120
14	139/2	0.430
15.	156	0 070
16.	157	0.270
17.	80	0.070
18.	82/2	0-110
19.	83/3	0.220
20.	83/2	0.100
21.	85	0.370
22.	100	0.400
23.	99	0.030
24.	414 415	0.590
25.	417	0.170
26.	420	0.640
27/1	422	0.010
27/2	424	0.400
28	298	0.150
29	304	0 100
30.	313	0.060
31.	272/1	0.120
32.	267/2	0.070
33.	182	0.110
34.	135	0.130
35.	117	0.030
36.	114	0.160
37.	72	0.030
38.	81	0.040
39	102 मी०	0.050
40.	416	0.080
41.	418	0.010
42.	458/1	0-190
43.	300	0.025
44.	144	0.015
	कुल क्षेत्रफल	8.690

[सं० 14016/70/84-जी० पी०]

S.O. 3471.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the pipeline of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroueum and Minerals (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83. Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M. P.)

And every person making such an objection shall also state specfically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PRODUCT

VILLAGE SUNDA Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

RABAD SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1.	302	0.220
2.	301	0.420
3.	305	0.700
4.	268/1	0.110
5.	262	0.120
6.	267/1	0.250
7.	267/3	0.070
8.	259/2	0.080
9.	266	0.720
10.	142 143	0.380
11.	141	0.220
12.	139/1	0.030
13.	138	0.120
14.	139/2	0.430
15.	156	0.070
16.	157	0.270
17.	80	0.070
18.	82/2	0.110
19.	83/3	0.220
20.	83/2	0.100
21.	85	0.370
22.	100	0.400
23.	99	0.030
24.	414 415	0.590
25.	417	0.170
26.	420	0.640
27./1	422	0.010
27./2	424	0.400
28.	298	0.150
29.	304	0.100
30.	313	0.060
31.	272/1	0.120
32.	267/2	0.070
33.	182	0.110
34.	135	0.130
35.	117	0.030
36.	114	0.160
37.	72	0.030
38.	81	0.040
39.	102 Mt.	0.050
40.	416	0.080
41.	418	0.010
42.	458/1	0.190
43.	300	0.025
44.	144	0.015
	Total Area	8.690

[No. O-14016/70/84-GP]

का० आ० 3472.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कर हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि में नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	अर्जित क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
जालौन	कोंच	कोंच	परधानी	264	0 02
				269	0 12
				270	1 40
				272	0 04
				273	0 01
				285	1 60
				287	0 02
				288	0 90
				289	0 65
				290	0 01
				296	0 02
				299	0 42
				300	0 26
				301	0 04
				302	0 15
				303	0 45
				309	0 90
				313	0 03
				314	0 22
				315	0 48
				316	0 60
				317	0 10
				318	0 20
				319	0 01
				335	0 02
				336	0 05
				300/350	0 01

[सं० O-14016/72/84-जी० पी०]

S.O. 3472.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow 226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whetner he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira—arilly Jagdishpur Pipeline

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Konch	Konch	Pardhani	264	0.02
				269	0.12
				270	1.40
				272	0.04
				273	0.01
				285	1.60
				287	0.02
				288	0.90
				289	0.65
				290	0.01
				296	0.02
				299	0.42
				300	0.26
				301	0.04
				302	0.15
				303	0.45
				309	0.90
				313	0.03
				314	0.22
				315	0.48
				316	0.60
				317	0.10
				318	0.20
				319	0.01
				335	0.02
				336	0.05
				300/350	0.01

[No. O-14016/72/84-GP]

का०आ० 3473—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक

गैस आयोग, एच बी जेड पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म०प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच० बी०जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : सींगवासा तहसील : गुना जिला : गुना राज्य : मध्य प्रदेश

अनुक्रम 1	खसरा सं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	276	0.679
2.	274	0.042
3.	287	0.261
4.	288	0.157
5.	273	0.470
6.	289	0.031
7.	270	0.105
8.	290	0.010
9.	272	0.209
10.	292	0.105
11.	231	0.050
12.	253/2	0.200
13.	241	0.146
14.	219	0.052
15.	240	0.157
16.	239	0.188
17.	212	0.105
18.	220	0.523
19.	222	0.177
20.	221	0.314
21.	218/2	0.300
22.	238	0.418
23.	237/1/1	0.470
24.	237/2	
25.	401/1/2	0.261
26.	400	0.076
27.	402	0.031
28.	403/1	0.105
29.	232	0.470
30.	230/2	0.345
31.	218/1	0.300
32.	251	0.052
33.	252	0.010
34.	66/4	0.021
35.	213	0.031
36.	234/1	0.052
37.	256	0.010
	कुल क्षेत्र	6.933

[सं० O-14016 73/84-जी० पी०]

S.O. 3473.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipeline, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Singwasa Tehsil : Guna Distt. : Guna

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	276	0.679
2.	274	0.042
3.	287	0.261
4.	288	0.157
5.	273	0.470
6.	289	0.031
7.	270	0.105
8.	290	0.010
9.	272	0.209
10.	292	0.105
11.	231	0.050
12.	253/2	0.200
13.	241	0.146
14.	219	0.052
15.	240	0.157
16.	239	0.188
17.	212	0.105
18.	220	0.523
19.	222	0.177
20.	221	0.314
21.	218/2	0.300
22.	238	0.418
23.	237/1/1	0.470
24.	237/2	
25.	401/1/2	0.261
26.	400	0.076
27.	402	0.031
28.	403/1	0.105
29.	232	0.470
30.	230	0.345
31.	218/1	0.300
32.	251	0.052
33.	252	0.010
34.	66/4	0.021
35.	213	0.031
36.	234/1	0.052
37.	256	0.010
	Total Area	6.933

[No. O-14016/73/84-GP]

का०आ० 3474.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच बी जे पाइप लाईन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म०प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच०बी०जे० गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम संवला तहसील बदनावर जिला धार राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	92/1	1.126
2.	107	0.013
3.	126/1	0.506
4.	91/1/1	0.746
5.	91/1/2	0.557
6.	91/1/3	1.556
7.	241/1	0.278
8.	595/1	0.721
9.	591/1	0.584
10.	590	0.240
11.	589/2	0.114
12.	585/4	0.091
13.	385/5	0.226
14.	584	0.331
15.	583	0.065
16.	559/1/1	0.455
17.	576	0.078
18.	575	0.292
19.	574	0.278
20.	573	0.318
21.	579/1	0.013
22.	579/1/2	0.126
23.	572	0.013
24.	571	0.506
25.	580/1	0.734
26.	608/2	0.039
27.	569	0.089
28.	568	0.089
29.	709/1/1	1.517
30.	566	0.075
31.	556/1	0.152
32.	751	0.152
33.	798/1	0.039
34.	770	0.202
35.	774	0.126
36.	776	0.187
37.	777	0.114
38.	780	0.392
39.	791	0.039
40.	792	0.025
41.	794	0.126
42.	949	0.025
43.	961	0.113
44.	959	0.126
45.	960	0.078
46.	962	0.189
47.	956/2 981/2	0.266
48.	983	0.075
49.	982	0.130
50.	978	0.065
51.	984	0.039
52.	985	0.051
53.	986	0.114
54.	994/2	0.266
55.	995	0.025
56.	1040	0.253
57.	1036/2	0.051
	1041/1	0.114
58.	1047/1	0.304
59.	1047/2	0.165
60.	1059	0.089
61.	1056	0.025
62.	1057	0.304
63.	1058	0.139
64.	1064	0.331
65.	1145	0.139
66.	1146	0.126
67.	1147	0.089
68.	1149	0.367
69.	1151/1	0.266
70.	1152	0.089
71	1153	0.039
72.	1151/2	0.202
	कुल क्षेत्रफल	17.987

[सं० O-14016/76/84-जी पी]

S.O. 3474.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine-

rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83 Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sandala Tehsil : Bandawar Dist. : Dhar

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	92/1	1.126
2.	107	0.013
3.	126/1	0.506
4.	91/1/1	0.746
5.	91/1/2	0.557
6.	91/1/3	1.556
7.	241/1	0.278
8.	595/1	0.721
9.	591/1	0.584
10.	590	0.2407
11.	589/2	0.114
12.	585/4	0.091
13.	585/5	0.226
14.	584	0.331
15.	583	0.065
16.	559/1/1	0.455
17.	576	0.078
18.	575	0.092
19.	574	0.278
20.	573	0.318
21.	579/1	0.013
22.	579/1/2	0.126
23.	572	0.01
24.	571	0.506
25.	570/1	0.734
26.	608/2	0.039
27.	569	0.089
28.	568	0.09
29.	709/1/1	1.58
30.	566	0.075
31.	556/1	0.152
32.	751	0.152
33.	798/1	0.039
34.	770	0.202
35.	774	0.126
36.	776	0.187
37.	777	0.114
38.	780	0.392
39.	791	0.039
40.	792	0.025
41.	794	0.126
42.	949	0.025
43.	961	0.113
44.	959	0.126
45.	960	0.078
46.	962	0.189
47.	956/2	0.266
	981/2	
48.	983	0.078
49.	982	0.130
50.	978	0.065
51.	984	0.039
52.	985	0.051
53.	986	0.114
54.	994/1	0.266
55.	995	0.025
56.	1040	0.253
57.	1036/2	0.051
	1041/1	0.114
58.	1047/1	0.304
59.	1047/2	0.165
60.	1059	0.089
61.	1056	0.025
62.	1057	0.304
63.	1058	0.139
64.	1064	0.331
65.	1145	0.139
66.	1146	0.126
67.	1147	0.089
68.	1140	0.367
69.	1151/1	0.266
70.	1152	0.089
71.	1153	0.039
72.	1151/2	0.202
	Total Area	17.987

[No. 0-14016/76/84-GP]

का० आ० 3475.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	पर०	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया क्षे०फ०	विवरण
इटावा	औरेया	औरेया	गबल सिंह ससेमपुर			
				246	0	04
				293	0	88

1	2		3
	296	0	03
	298	0	01
	299	0	57
	300	0	01.
	301	0	39
	302	0	76
	303	0	12
	307	0	03
	308	0	28
	309	0	19
	310	0	02
	321	0	45
	324	0	02
	311	0	05
	320	0	60
	322	0	02
	1	0	32
	2	0	44
	3	0	02
	14	0	21
	19	0	08
कुलयोग	23	एकड़ 5.54	
		हैक्टेयर 2-242	

[सं० ओ-14016/77/84-जी० पी०]

S.O. 3475.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58|B Aliganj, Lucknow, U.P. (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

ANNEXURE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres	Remark
Etawah	Auraiya	Auraiya	Salem-pur Nawal Singh	246	0.04	
				293	0.88	
				296	0.03	
				298	0.01	
				299	0.57	
				300	0.01	

1	2	3
	301	0.39
	302	0.76
	303	0.12
	307	0.03
	308	0.28
	309	0.19
	310	0.02
	321	0.45
	324	0.02
	311	0.05
	320	0.60
	322	0.02
	1	0.32
	2	0.44
	3	0.02
	14	0.21
	19	0.8
	23	5.54/2-242 Hectire

[No. O-14016/77/84-GP]

का० आ० 3476.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	पर०	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया एकड़ में	क्षे०फ०
इटावा	औरेया	औरेया	मछूपुर			
				65	0	08
				74	0	42
				76	0	74
				77	0	02
				80	0	62
				81	0	01
				82	0	23
				86	0	32
				87	0	31

1	2	3	4	5	6
				104	0 01
				105	0 01
				106	0 01
				107	0 11
				108	0 47
				113	0 12
				114	0 42
				116	0 54
				118	0 15
				117	0 02
				122	0 02
				123	0 81
				268	0 71
				270	0 46
				272	0 5
				274	0 31
				85	0 02
				109	0 36
			योग	27	7.35/2.476 हेक्टेयर

[सं० ओ-14016/78/84-जी० पी०]

S.O. 3476—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira in Gujarat State to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58|B Aliganj, Lucknow, U.P. (226020).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

ANNEXURE

Distrcit	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres	Remarks
Etawah	Auraiya	Auraiya	Madhupur	65	0.08	
				74	0.42	
				76	0.74	
				77	0.02	
				80	0.62	
				81	0.01	
				82	0.23	
				86	0.32	
				87	0.31	
				104	0.01	
				105	0.01	
				106	0.01	
				107	0.11	
				108	0.47	
				113	0.12	
				114	0.42	
				116	0.54	
				118	0.15	
				117	0.02	
				122	0.02	
				123	0.81	
				268	0.71	
				270	0.46	
				272	0.5	
				274	0.31	
				85	0.02	
				109	0.36	
			Total	27	7.35/2.476 Hector	

[No. O-14016/78/84-GP]

का० आ० 3477.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी, अलीगंज लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	माटा सं०	लिया गया क्षे० फ० एकड़ में
इटावा	औरेया	औरेया	बसन्तपुर	99	0 06
				102	0 29
				103	0 12
				104	0 01
				106	0 27
				103	0 01
				112	0 21
				113	0 54
				114	0 09
				116	0 52

1	2	3	4	5		6
				117	0	35
				119	0	34
				120	0	52
				143	0	01
				144	0	15
				146	0	01
				155	0	45
				156	0	15
				157	0	81
				181	0	25
				182	0	81
				183	1	75
				184	1	62
				185	2	35
				137	1	95
				191	2	48
				192	1	21
				193	0	86
				2/3	0	22
				योग 29	17.41/7/049	हेक्टर

[सं० O-14016/79/84-जी० पी०]

S.O. 3477.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petrolium from Hazira Barielly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project, B-58/B Aliganj, Lucknow U.P. (226020).
83, Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall, also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

ANNEXURE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area taken in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	
Etawah	Auraiya	Auriaya	Basantpur	99	0.06	
				102	0.29	
				103	0.12	
				104	0.01	
				106	0.27	
				108	0.01	
				112	0.21	
				113	0.54	
				114	0.09	
				116	0.52	
				117	0.35	
				119	0.34	
				120	0.52	
				143	0.01	
				144	0.15	
				146	0.01	
				155	0.45	
				156	0.15	
				157	0.81	
				181	0.25	
				182	0.81	
				183	1.75	
				184	1.62	
				185	2.35	
				187	0.95	
				191	2.48	
				192	1G21	
				193	0.86	
				2/3	0.22	
				Total 29		17.41/7.049 Hectar

[No. O-14016/79/84-GP]

का० आ० 3478—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

शर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक, गैस आयोग ए. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड उज्जैन (म० प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम जियाजी तहसील खाचरौद जिला-उज्जैन राज्य (म० प्र०)

अनुसूची

अनुक्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)।
1.	1	0-094
2.	2	0-355
3.	3	0-031
4.	4	0-569
5.	6	0-042
6.	41	0-533
7.	52	0-439
8.	60	0-125
	कुल क्षेत्रफल	2-188

[सं०-14016/80/84-जी०पी०]

S.O. 3478.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83 Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Jiyajigarh Tehsil : Khachraud Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectar
1.	1	0.094
2.	2	0.355
3.	3	0.031
4.	4	0.569
5.	6	0.042
6.	41	0.533
7.	52	0.439
8.	60	0.125
	Total Area	2.188

[No. O-14016/ 84-GP]

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3479.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि या उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम खोकरी तहसील खाचरोद जिला उज्जैन राज्य (म.प्र.)

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	14/1	0.293
2.	44	0.084
3.	47	0.010
4.	49	0.125
5.	58	0.732
6.	50	0.063
7.	51	0.021
8.	52	0.334
9.	53	0.408
10.	54	0.230
11.	55	0.491
12.	56	0.031
13.	59	0.042
14.	60	0.136
15.	61	0.314
16.	62	0.115
17.	66	0.042
18.	65	0.031
19.	105	0.031
20.	106	0.251
21.	123 की०	0.073
22.	125	0.031
23.	126	0.439
24.	127	0.073
25.	128	0.052
26.	131	0.073
27.	130	0.042
28.	168	0.073
29.	173	0.219
30.	133	0.084
31.	135	0.031
32.	180	0.178
33.	163	0.021
34.	170	0.031
35.	164	0.052
36.	165	0.125
37.	169	0.272
38.	171	0.168
39.	177	0.219
40.	180	0.972
41.	185	0.021
42.	192	0.010
43.	172	0.005
	कुल क्षेत्रफल :—	7.048

[सं. O-14016/87/84-जी. पी.]

S.O. 3479.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83 Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Khokari Tehsil : Khachraud Distt. Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired ro R.O.U. in Hectare
1.	14/1	0.293
2.	44	0.084
3.	47	0.010
4.	49	0.125
5.	58	0.732
6.	50	0.063
7.	51	0.021
8.	52	0.334
9.	53	0.408
10.	54	0.230
11.	55	0.491
12.	56	0.031
13.	59	0.042
14.	60	0.136
15.	61	0.314
16.	62	0.115
17.	66	0.042
18.	65	0.031
19.	105	0.031
20.	106	0.251
21.	123M	0.073
22.	125	0.031
23.	126	0.439
24.	127	0.073
25.	128	0.052
26.	131	0.073
27.	130	0.042
28.	168	0.073
29.	173	0.219
30.	133	0.084
31.	135	0.031
32.	160	0.178
33.	163	0.021
34.	170	0.031
35.	164	0.052
36.	165	0.125
37.	169	0.272
38.	171	0.168
39.	177	0.219
40.	180	0.972
41.	185	0.021
42.	192	0.010
43.	172	0.005
	Total Area :	7.048

[No. O-14016/87/84-GP]

का.आ. 3480.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम खखतपुरा तहसील बदनावर जिला धार राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	72	0.076
2.	68	0.379
3.	61/2	0.063
4.	61/3	0.089
5.	61/1	0.177
6.	61/4	0.126
7.	55	0.266
8.	56	0.139
9.	54	0.038
10.	48	0.721
11.	237/1	0.316
12.	239	0.013
13.	246	0.139
14.	247	0.025
15.	248	0.089
17.	249	0.114
18.	293/1/2	0.367
18.	294	0.038
19.	381/1	0.203
20.	474	0.038
21.	473	0.063
22.	383	0.025
23.	470	0.126
24.	384	0.342
25.	398/2	0.089
26.	398/1/1	0.051

(पेट्रोलियम विभाग)

27.	399/1	0.063
28.	399/2	0.089
	400/	
29.	406	0.126
30.	401	0.114
31.	405	0.038
32.	404	0.063
33.	402	0.101
34.	403	0.126
35.	468/1/1	0.051
36.	412	0.038
37.	413/2	0.013
38.	413/3	0.025
39.	467/2	0.051
40.	760/412	0.063
41.	464/1	0.038
42.	465	0.266
43.	69	0.008
44.	293/2	0.025
45.	471	0.025
46.	411	0.010
47.	413/1	0.025
	कुल क्षेत्रफल :-	4.549

[सं०ओ०-14016/88/84-जी. पी.]

S.O. 3480.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line 83, Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bakhatpura Tehsil : Badnawar Distt. : Dhar.

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	72	0.076
2.	68	0.079
3.	61/2	0.063
4.	61/3	0.089
5.	61/1	0.177
6.	61/4	0.126
7.	55	0.266
8.	56	0.139
9.	54	0.038
10.	48	0.721
11.	237/1	0.316
12.	239	0.013
13.	246	0.139
14.	247	0.025
15.	248	0.089
16.	249	0.114
17.	293/1/2	0.367
18.	294	0.038
19.	381/1	0.203
20.	474	0.038
21.	473	0.063
22.	383	0.025
23.	470	0.126
24.	384	0.342
25.	398/2	0.089
26.	398/1/1	0.051
27.	399/1	0.063
28.	399/2	0.089
	400	
29.	406	0.126
30.	401	0.114
31.	405	0.038
32.	404	0.063
33.	402	0.101
34.	403	0.126
35.	468/1/1	0.051
36.	412	0.038
37.	413/2	0.013
38.	413/3	0.025
39.	467/2	0.051
40.	760/412	0.063
41.	464/1	0.038
42.	465	0.266
43.	69	0.008
44.	293/2	0.025
45.	471	0.025
46.	411	0.010
47.	413/1	0.025
	Total Area	4.549

[No. O 14016/88/84-GP]

का.आ. 3481.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के धारा अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा का (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन किसी करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल वि.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	हड़हा	548	0-13-13
				549	0-1-4
				551	0-4-11
				552	0-3-12
				553	0-1-4
				555	2-11-0
				572	1-4-18
				576	0-0-12
				578	0-4-7
				580	0-18-10
				581	1-16-0
				614	0-3-12
				615	1-5-0
				621	0-6-10
				622	0-1-16
				623	0-10-12
				639	1-2-7
				640	0-6-10
				643	0-1-8
				644	1-1-5
				645	0-0-5
				646	0-0-10
				650	0-11-16
				655	0-0-5
				658	0-10-5
				659	0-2-10
				661	0-18-0
				662	0-8-0
				667	0-3-10
				672	0-18-6
				673	0-3-15
				675	1-0-8
				685	0-19-16
				686	1-2-16
				689	0-2-14
				728	0-3-0
				729	0-16-0
				731	0-1-0
				745	1-5-16
				746	0-4-1
				749	0-2-15
				750	0-14-0
				1288	0-7-3
				1289	0-17-2
				1295	0-19-16
				1296	0-3-0
				1298	0-2-8
				1299	0-12-0
				1303	0-7-10
				1304	0-2-5
				1305	0-18-0
				1308	0-9-12
				1357	0-1-10
				1358	0-3-15
				1359	1-0-0
				1360	0-12-0
				1361	0-3-10
				1362	1-3-2
				1365	1-0-8
				1366	0-4-1
				624	0-2-8
				580	1-3-0
				579	1-0-15
				647	0-0-10

[सं. 90-14016/93/84-जी.पी.]

S.O. 3481.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line Project B-58/B, Aliganj, Lucknow—226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Schedule Hazira—Bareilly—Jagdishpur Gas Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in B.B.B.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Harha	Harha	548	0-13-13	
				549	0-1-4	
				551	0-4-11	
				552	0-3-12	
				553	0-1-4	
				555	2-11-0	
				572	1-4-18	
				576	0-0-12	
				578	0-4-7	
				580	0-18-10	

1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Harha	Harha	581	1-16-0	
				614	0-3-12	
				615	1-5-0	
				621	0-6-10	
				622	0-1-16	
				623	0-10-12	
				639	1-2-7	
				640	0-6-10	
				643	0-1-8	
				644	1-1-5	
				645	0-0-5	
				646	0-0-10	
				650	0-11-15	
				655	0-0-5	
				658	0-10-5	
				659	0-2-10	
				661	0-18-0	
				662	0-8-0	
				667	0-3-10	
				672	0-18-6	
				673	0-3-15	
				675	1-0-8	
				685	0-19-16	
				686	1-2-16	
				589	0-2-14	
				728	0-3-0	
				729	0-16-0	
				731	0-1-0	
				745	1-5-16	
				746	0-4-1	
				749	0-2-15	
				750	0-14-0	
				1288	0-7-3	
				1289	0-17-2	
				1295	0-10-16	
				1296	0-3-0	
				1298	0-2-8	
				1299	0-12-0	
				1303	0-7-10	
				1304	0-2-5	
				1305	0-18-0	
				1308	0-9-12	
				1357	0-1-10	
				1358	0-3-15	
				1359	1-0-0	
				1360	0-12-0	
				1361	0-3-10	
				1362	1-3-2	
				1365	1-0-8	
				1366	0-4-1	
				624	0-2-8	
				550	1-3-0	
				579	0-1-15	
				647	0-0-10	

[No. O-14016/93/84-G.P.]

का. आ. 3482.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक आयोग बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-2260 20 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या विधि व्यवसाई की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल वि.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हसनगंज	अचलगंज	189	0-14-0
			सकोरा	188	0-13-15
				182	0-16-0
				181	0-0-10
				183	0-0-15
				186	0-18-10
				173	0-15-0
				172	0-14-0
				171	0-16-15
				166	0-5-0
				50	0-8-5
				11	0-2-0
				12	0-3-0
				10	0-2-5
				9	0-2-0
				8	0-0-10
				7	0-0-10
				13	0-17-10
				15	0-2-10
				16	0-3-0
				36	0-12-10
				34	0-14-0
				26	1-8-0
				167	0-0-10
				6	0-0-5

[सं० ओ-14016/94/84-जी.पी.]

S.O. 3482.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land)

Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelne under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Schedule

Hazira—Bareilly—Jagdishpur Gas Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in B.B.B.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Unnao	Harha	Achalganj	189	0-14-0	
				188	0-13-15	
			Sakora	182	0-16-0	
				181	0-0-10	
				183	0-0-15	
				186	0-18-10	
				173	0-15-0	
				172	0-14-0	
				171	0-16-15	
				166	0-5-0	
				50	0-8-5	
				11	0-2-0	
				12	0-3-0	
				10	0-2-5	
				9	0-2-0	
				8	0-0-10	
				7	0-0-10	
				13	0-17-10	
				15	0-2-10	
				16	0-3-0	
				36	0-12-10	
				34	0-14-0	
				26	1-8-0	
				167	0-0-10	
				6	0-0-5	

[No. O-14016/94/84-GP]

का. आ. 3483.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और अतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बी-58 बी अलीगंज लखनऊ-2260 20 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित क्षेत्रफल वि.वि.वि.
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	पल्हरी	311	1-5-10
				312	0-2-0
				315	0-14-0
				316	0-4-0
				349	1-6-0
				350	0-1-0
				382	0-1-0
				425	1-2-0
				423	1-4-0
				464	0-3-0
				465	0-8-0
				487	0-3-0
				499	0-16-0
				500	0-9-0
				502	0-13-0
				503	0-1-0
				504	0-3-10
				505	0-13-0
				506	0-1-10
				510	0-17-10
				511	0-12-0
				512	0-7-0
				513	0-1-0
				514	0-10-0
				520	0-16-0
				498	0-0-5

[सं. 0-14016/93/84-जी.पी.]

S.O. 3483.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira—Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Pipeline Project B-58/ Aliganj, Lucknow (226020), U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Schedule Hazira—Bareilly—Jagdishpur Gas Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village				
1	2	3	4	5	6	7	8
Unnao	Purva	Purva	Palhari	311	1	5	10
				312	0	2	0
				315	0	14	0
				316	0	4	0
				349	1	6	0
				350	0	1	0
				382	0	1	0
				425	1	2	0
				423	1	4	0
				464	0	3	0
				465	0	8	0
				487	0	3	0
				499	0	16	0
				500	0	9	0
				502	0	13	0
				503	0	1	0
				504	0	3	10
				505	0	13	0
				506	0	1	10
				510	0	17	10
				511	0	12	0
				512	0	7	0
				513	0	1	0
				514	0	10	0
				520	0	16	0
				498	0	0	5

[No. O-14016/95/84-GP]

का. आ. 3484.--यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या कसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम रामा बागोदा तहसील खाचरौद जिला-उज्जैन राज्य (म.प्र.)

अनु० क्र०	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्ट० में)
1	2	3 4
1.	445	0-899
2.	446	0-31
3.	447	0-920
4.	451	1-097
5.	452	0-053
6.	463	0-188
7.	457	0-544
8.	453	0-042
9.	455	0-544
10.	456	0-010
11.	458	0-408
12.	461/1	0-052
13.	461/2	0-209
14.	462	0-345
15.	465	0-209
16.	466	0-501
	कुल क्षेत्रफल :--	6-062

[सं. O-14016/104/84-जी.पी.]

S.O. 3484.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira Bareilly to Jadishpur in M. P. State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority, Oil & Nautral Gas Commission, H.B.J. gas pipeline, 83, Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Rama Baloda Tahsil Khachraud Distt. Ujjain

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	445	0.899
2.	446	0.031
3.	447	0.920
4.	451	1.097
5.	452	0.063
6.	463	0.188
7.	457	0.544
8.	453	0.042
9.	455	0.544
10.	456	0.010
11.	458	0.408
12.	461/1	0.052
13.	461/2	0.209
14.	462	0.345
15.	465	2.209
16.	466	0.501
	Total Area :	6.062

[No. O-14016/104/84-GP]

का.आ. 3485.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : एवं तालुका : भरुच

गांव	सर्वे नं.	हे.	आ.	से.
1	2	3	4	5
कविथा				
	516	0	28	40
	519	0	18	00
	518	0	64	00
	527	0	27	20
	530	0	32	00
	515	0	26	40
	514	0	04	00
	513	0	00	32
	कार्ट ट्रैक	0	18	40
	493	0	68	00
	459	0	15	20
	458	0	04	00
	457	0	07	20
	456	0	04	80
	460	0	02	70
	453	0	37	60
	452	0	01	92
	440	0	08	80
	431	0	01	28
	432	0	10	40
	433	0	09	60
	434	0	12	80
	435	0	36	00
	419	0	20	00
	418	0	28	80
	417	0	40	00
	412	0	21	60
	411	0	14	40
	410	0	22	40
	398	0	30	40
	396	0	36	00
	कार्ट ट्रक	0	01	60
	397	0	01	92
	392	0	19	20

[सं. O-14016/109/84-जी.पी.]

एम.एम. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 3485.—Whereas it apears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petrolium from Hazira Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And, whereas, it apears that for the purpose it laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of his notification, object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority, Oil & Natnral Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District & Taluka : Baruch

Village	Survey No.	H	A	Ca.
1	2	3	4	5
Kavitha	516	0	28	00
	519	0	18	40
	518	0	64	00
	527	0	27	20
	530	0	32	00
	515	0	26	40
	514	0	04	00
	513	0	00	32
	Cart track	0	18	40
	493	0	68	00
	459	0	15	20
	458	0	04	00

1	2	3	4	5
	457	0	07	20
	456	0	04	80
	460	0	02	70
	453	0	37	60
	452	0	01	92
	440	0	28	80
	431	0	01	28
	432	0	10	40
	433	0	09	60
	434	0	12	80
	435	0	36	00
	419	0	20	00
	418	0	28	80
	417	0	40	00
	412	0	21	60
	411	0	14	40
	410	0	22	40
	398	0	30	40
	396	0	36	00
	Cart track	0	01	60
	397	0	01	92
	392	0	19	20
	253	0	17	55
	252	0	11	55
	242	0	04	05
	247	0	01	35
	246	0	03	30
	245	0	10	78
	214	0	04	50
	216	0	17	97
	217/1	0	04	43
	218/2	0	04	50
	218/1	0	02	82
	219/1	0	14	75
	219/2	0	01	05

[No. O-14016/109/84-G.P.]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1983

का.आ. 3486.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द-65 से जी.जी.एस 1 सानन्द तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं. सानंद 65 से जी.जी. एस-1 सानंद तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना		तालुका : कलोल	
गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सानंद	72/1	0	04	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	90
	1/2	0	13	50

[सं. 12016/120/83-प्रोड.]

राजेन्द्र सिंह निर्देशक

New Delhi, the 23rd September, 1983

S.O. 3486.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the tarnsport of petroleum from Sandard-65 to OGS-I Sanand in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road; Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from well No. Sanand 65 to GGS 1 Sanand

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiar
Sanand	72/1	0	04	00
	Cart Track	0	00	90
	1/2	0	13	50
	253	0	17	55
	252	0	11	55
	242	0	04	05
	247	0	01	35
	246	0	03	30
	245	0	10	78
	214	0	04	50
	216	0	17	97
	217/1	0	04	43
	218/2	0	04	50
	218/1	0	02	82
	219/1	0	14	75
	219/2	0	01	05

[No. 12016/120/83—Prod]

RAJENDRA SINGH, Director

परमाणु उर्जा विभाग

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद, 15 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3487—मैं, स.य. गोखले, वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी, परमाणु खनिज प्रभाग, हैदराबाद एतद्द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियमावली 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत इस प्रभाग के अस्थायी हल्का वाहन चालक, श्री के. बाबू किशोर की सेवाएं 27 सितम्बर, 1984 के अपराह्न से समाप्त करता हूं।

[सं. प. ख. प्र./2/2997/80-प्रशासन]

स.य. गोखले, वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(Atomic Minerals Division)

Hyderabad, the 15th October, 1984

S.O. 3487.—I, S. Y. Gokhale, Sr: Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division, Hyderabad hereby terminate the services of Shri K. Babu Kishore, a temporary Light Vehicle Driver of this Division with effect from the afternoon of September 27, 1984 in terms of sub-rule (i) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965.

[No. AMD/2/2997/80-Adm.]

S. Y. GOKHALE, Sr. Adm. & Acctts. Officer

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3488.—चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए, केन्द्रीय सरकार सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों को उक्त अधिनियम के भाग 2 में फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित उपबंधों तथा तदंर्गत बनाये गये नियमों से इस शर्त पर एतद्द्वारा छूट देती है कि कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करते समय महानिदेशक, दूरदर्शन या संबंधित निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5ख (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को जारी किये गये फिल्म प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।

[फाइल संख्या 806/27/83-एफ (सी)]

के० एस० वेंकटरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 3488.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby exempts all Doordarshan Programmes from the provisions relating to certification of films in Part II of the said Act and the rules made thereunder subject to the condition that while clearing programmes for telecast, the Director General, Doordarshan or the concerned Director, Doordarshan Kendra, shall keep in view the film certification guidelines issued by the Central Government to the Board of Film Certification under section 5-B(2) of the said Act.

[File No. 806/27/83-F(C)]

K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3489.—चूंकि श्री मोहन नायर को, जिन्हें नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में अधिसूचना सं० का० आ० 2969 दिनांक 10 अगस्त, 1982 द्वारा मुरगांव गोदी श्रम बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था, 2 जुलाई, 1984 को मृत्यु हो गयी।

और चूंकि उक्त सदस्य की मृत्यु के कारण उक्त गोदी श्रम बोर्ड में जगह खाली हुई है,

अतः केन्द्रीय सरकार गोदी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त जगह को खाली अधिसूचित करती है।

[फाइल सं० एल०डी०जी०/6/84-यू०एस० (एल)]

सुदेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi the 10th October, 1984

S.O 3489.—Whereas Shri Mohan Nair who was appointed as a member of the Mormugao Dock Labour Board by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2969 dated the 10th August, 1982, expired on the 2nd July, 1984;

And whereas the vacancy has thus occurred on the said Dock Labour Board by the death of the said member;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDG/6/84-US(L)]

SUDESH KUMAR, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1984

का. आ. 3490:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पिम्पलगांव टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/84-पी.एच.बी.]

यो. रा. भसीन, सहायक महानिदेशक (पी. एच. बी.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 19th October, 1984

S.O. 3490.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-11-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pimpalgaon Telephone Exchange Maharashtra Circle.

[No. 5-7/84-PHB]

Y. R. BHASIN, Asstt. Director General (PHB)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3491.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नियोजकों और (i) राजबन सीमेंट फैक्टरी, जिला सिरमुर, हिमाचल प्रदेश और (ii) बोकाजन सीमेंट फैक्टरी, बोकाजन जिला कारबी, आंगलोंग, असम में कार्यरत उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और यह विवाद ऐसी प्रकृति का भी है जिसमें सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अभिरुचि होने या उनके इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार :

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और न्यायमूर्ति श्री एम० पी० सिंह को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करती है। उक्त अधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2-क) के अनुसार, उक्त विवाद के विषय में अपना पंचाट छह माह की अवधि के भीतर देगा।

अनुसूची

क्या कर्मकार निम्नलिखित भत्तों की अदायगी पाने के लिए हकदार है :—

(i) पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, जहाँ कहीं भी लागू होता हो;

(ii) तैनाती भत्ता, (उचित पदनाम के साथ);

(iii) खनन कठिनाई भत्ता (खदान कर्मकारों के संबंध में)

[एल० 51032/5/84-आई० एंड ई० (एस०एस०)]

वी० एस० एलावादी, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 3491.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employer of Cement Corporation of India and their workmen at (i) Rajban Cement Factory, Distt. Sirmur, Himachal Pradesh and (ii) Bokajan Cement Factory, Bokajan, Distt. Karbi Anglong; Assam in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed.

And whereas the said disputes involve a question of national importance and is also of such a nature that Industrial establishments of Cement Corporation of India situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such disputes.

And whereas the Central Government is of opinion that the said disputes should be adjudicated by National Tribunal.

Now, therefore the Central Government :—

(i) In exercise of the powers conferred by Sec. 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitute a National Industrial Tribunal with Headquarters at Calcutta and appoints justice Shri M. P. Singh as its Presiding Officer, and

(ii) In exercise of powers conferred by sub-sertion (IA) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication. The said Tribunal shall submit its award in the said disptue within a period of 6 months in accordance with sub-section (2A) of section 10 of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workers are entitled for the payment of the following allowances :

(i) Hill compensatory allowance, wherever applicable .

(ii) Place allowance (with proper nomenclature) ;

(iii) Mining difficulties allowance (in respect of Quarry workers).

[No. L-51032/5/84-I&E (SS)]

V. S. AILAWADI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1984

का० आ० 3492:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत प्रेसीजन टूल्स, 17/1, इंडस्ट्रीयल एरिया, आजमाबाद, हैदराबाद-500020, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस. 35019 (378)/84-पीएफ-2]

New Delhi, the 16th October, 1984

S.O. 3492.—Wherever it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Precision Tools, 17/1 Industrial Area, Azamabad, Hyderabad-20; Andhra Pradesh have agreed that the proivsions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/378/84-PF. II]

का० आ० 3493 :--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री मीनाक्षी बस सर्विस, दुरुगम रोड, कल्लाकुरीची-600202, जिला साउथ आरकाट, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एस-35019 (337/84-पी. एफ० -2]

S.O. 3493.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Meenakshi Bus Service, Durugam Road Kallakurichi-606202, South Arcot District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(337)/84-PF. II]

का. आ. 3494:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार प्रासेस्सर्स, पारप्पालायम मंगलम रोड, तिरूप्पुर-638604, तमिलनाडू, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(335)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3494.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Kumar Processors, Parappalayam Mangalam Road, Tiruppur-638604, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(335)/84-P.F. II]

का. आ. 3495:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस. एस. मनियन एण्ड कंपनी, 188, एन. एच. रोड, कोयम्बटूर-1, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(336)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3495.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri S. S. Manian and Company 188 N. H. Road, Coimbatore-1, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(336)/84-PF. II]

का. आ. 3496:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पोलीकोट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, 636, टी. एच. रोड, मद्रास-19, तमिलनाडु, तथा 5, टी. एच. रोड, मद्रास-17, पर स्थित इसके प्रशासन कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

[सं. एस-35019(334)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3496.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Polycoat Packaging Industries, 636, T. H. Road, Madras-19, Tamil Nadu including its Administrative Office at 5, T. H. Road, Madras-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(334)/84-PF. II]

का. आ. 3497:--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैड.-81 कूथुर को-आपरेटिव एग्रीकल्चरल, सर्विस सोसाइटी, कूथुर पोस्ट, थीरूवरूर तालुक, तन्जूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(333)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3497.—Whereas it apears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Z. A. 81 Koothur Co-operative Agricultural Service Society, Koothur Post, Thiruvarur T K. Tanjore District, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscllaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(333)/84-PF. II]

का. आ. 3498:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलास्टोकेम प्राइवेट लिमिटेड, एम-2, इंडस्ट्रीयल एरिया, सोनीपत, हरियाणा, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एम-35019(375)/84- पी. एफ.-2]

S.O. 3498.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Elastochem Private Limited, M-2, Industrial Area, Sonepat, Haryana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishmest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/375/84-PF. II]

का. आ० 3499.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पैन्सर कंज्यूमर प्रोडक्टस एण्ड सर्विसिज लिमिटेड, 784 बी, येरावालम डाकघर मंगलगिरि तालुक गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश तथा 769, अन्ना सलाई, मद्रास 600002, स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019/(374)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3499.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shri Spencer Consumer Products and Service Limited, 784-B, Jerrabalem Post Office Mangalagiri TQ., Guntur District Andhra Pradesh including its Registered Office at 769, Annasalal, Madras, 600002 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/374/84-PF. II]

का० आ० 3500.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेल क्लाथ सेंटर, 419, बिगबाजार स्ट्रीट सालेम-636001, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(372)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3500.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Vel Cloth Centre, 419, Big Bazar, Street, Salem-636001. Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(372)/84-PF. II]

का० आ० 3501.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुरूदेव इंजीनियरिंग कम्पनी आजमाबाद, इंडस्ट्रीयल एरिया, हैदराबाद-500020, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एस-35019(371)/84 पी. एफ.-2]

S.O. 3501.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gurudev Engineering Co. Azamabad, Industrial Area, Hyderabad-500020, have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(371)/84-PF. II]

का० आ० 3502.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मैडिकान सी.-3, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कृष्णगिर-635001, तमिलनाडु, तथा गामती वैस्टबरो राड़, ऊटाकमण्ड 643001, तमिलनाडु स्थित इसके प्रधान कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं. एस.-35019(370)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3502.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Medicon Industries, C-3, Industrial Estate, Karishnagiri-635001, Tamil Nadu Including its Head Office at Gomathij Westburg Road, Octacamud-643001, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(370)/84-PF. II]

का० आ० 3503.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओबराय एपारटमैंटस मेंटेनेन्स मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली-54 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(365)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3503.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Oberoi Apartments, Maintenance Management Committee, 2, Shamnath Marg, Delhi-54, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/365/84-PF. II]

का. आ. 3504.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कर्नाटका इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज, "सी 26, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, येय्यादी, मंगलौर-575008, कर्नाटका नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(364)/84-पी. एफ.-2)]

S.O. 3504.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karnataka Engineering Enterprises, C-26, Industrial Estate, Yeyyddi Mangalore-57008, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/364/84-PF. II]

का. आ० 3505.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पार्वती इंडस्ट्रीज, 3-ए, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोला ग्राउंड, इन्दौर (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(363)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 3505.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Parwati Industries, 3-A, Industrial Estate, Polo Ground, Indore (M.P.) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferre sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Cen Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(363)/84-PF. II]

का० आ० 3506.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब डिजिटल इंडस्ट्रीयल सिस्टमज लिमिटेड, सी.-30, इंडस्ट्रीयल फोकल प्वाईन्ट, मोहाली (रोपर) पंजाब, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(262)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3506.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Punjab Digital Industrial Systems Ltd., C-30, Industrial Focal Point Mohali (Ropar) Punjab have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(362)/84-PF. II]

का. आ. 3507.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर. एन. सामी टैक्सटाइल मर्चेन्टस, 6 और 10 नैमना स्ट्रीट, आरी-632301, नार्थ आरकोट, डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(340)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3507.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, R. N. Samy Textiles, Cloth Merchants, 6 and 10 Naima Street, Arani-632301, North Arcot District, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(340)/84-PF. II]

का. आ. 3508.--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स काली मैटीरियल हैंडलिंग सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड, 42/6-बी, मद्रास रोड, मेलाकावेरी-612002, कुम्बाकोणम, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(339)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3508.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Kali Material Handling Systems Private Limjted, 42/6B, Madras Road, Melakeveri-612002, Kambakonam, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(339)/84-PF. II]

का. आ. 3509 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि सकरूर सुगर मिल्स एम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पी-165, एन एच. एस. मिल्स कम्पाउंड, आरी और कन्डामंगलम पोस्ट, पांडिचेरी स्टेट, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस.-35019(338)/84 पी. एफ.-2]

S.O. 3509.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, The Secrur Sugar Mills Employees' Cooperative Society Ltd., P. 165, N. H. S. Mills Compound, Ariours Kandamangalam, Post, Pondicherry State Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(338)/84-PF. II]

का. आ० 3510.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब इंडस्ट्रीयल सेफ्टी कौन्सिल, 538 फेज-1, मोहाली, रोपड़ पंजाब नामक स्थान सम्बद्ध, के नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(373)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3510.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Punjab Industrial Safety Council, 538, Phase-I, Mohali Ropar Punjab have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/373/84-PF. II]

का. आ० 3511.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैक्सटाइल सर्विसिज कार्पोरेशन, उद्यावरा, उडूपी तालुक, डी. के. (कर्नाटक) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(369)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3511.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Textile Services Corporation, Udyavaru, Udipi Taluk, D. K. (Karnataka) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(369)/84-PF. II]

का. आ० 3512.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनीटूल्स, गोपाल बाग, अवनाणी रोड, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(368)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3512.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Unitools, Gopal Bagh, Avanashi Road, Coimbatore-641018, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(368)/84-PF. II]

का. आ० 3513.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए. कुमार एण्ड एसोसिएशन, 820, जोशी पथ, करोलबाग नई दिल्ली नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(366)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3513.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Kumar and Associates, 820, Joshi Path Karol Bagh, New Delhi have agred that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(366)/84-PF. II]

का. आ० 3514.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश मर्यादित, 89, नगर निगम रोड, इन्दौर मध्य प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(367)/84-पी एफ.-2]

S.O. 3514.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sahekari Karya Sanstha Shiksha Vibhag M. P. Maryadit, 89, Nagar Nigam Road, Indore (M. P.), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/367/84-PF. II]

का. आ० 3515.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स जी. प्रिन्ट प्राइवेट लिमिटेड, गोपाल बाग, 317 अवनाशी रोड, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(376)/84- पी. एफ.-2]

S.O. 3515.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, G. Print Private Popal Bagh, 317, Avanashi Road, Coimbatore-641018, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/376/84-PF. II]

का. आ. 3516.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स के. सी. हल्दर डायमण्ड हरबौर रोड, 24, प्रगना (वेस्ट बंगाल) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस-35017(68)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3516.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. K. C. Halder Diamond Harbour Road, 24-Parganas (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[S-35017/68/84-PF.II]

का० आ० 3517.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स सक्सपियर सारनी कोप्रेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 11, गुरुसादे रोड, कलकत्ता-19 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(69)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3517.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Prakasika Ltd., Co-operative Housing Society Ltd. II, Gurusaday Road, Calcutta-19 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/69/84-PF.II]

का० आ० 3518.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नाग बोटलिंग एण्ड पैकिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सीटी सैंटर दुर्गापुर-9 और आफिस तियोली कोर्ट, ब्लाक-11, चौथी मंजिल, फ्लेट (III)ए बेलिगंज सर्कलर रोड कलकत्ता-19 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम, 1952(1952का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(67)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3518.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Nag Bottling and Packaging Co. Pvt. Ltd. (Factory) City Centre, Durgapur-9 and its office at Tivoli Court, Block A, 4th Floor, Flat-III IA, Ballygunge Circular Road have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/67/84-PF.II]

का० आ० 3519 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राम० एन प्रमाणिक एण्ड ब्रोदर्स, 3 आर० आर० रोड, कलकत्ता-13 पश्चिम बंगाल) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(70)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3519.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M. N. Pramanik and Others, 3, R. R. Road, Calcutta-13, (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies he provisions of he said Act to the said establishment.

[No. S-35017/70/84-PF.II]

का० आ० 3520 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रकाशिका लिमिटेड 3, रामानाथ मंजूमदार स्ट्रीट, कलकत्ता-9 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागी करती है।

[सं० एस-35017(71)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3520.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation o the establishment known as Messrs. Prakasika Ltd., 3, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/71/84-PF.II]

का० आ० 3521 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए०के० चटर्जी एण्ड ब्रादर्स 39-एल, सुरेन सरकार रोड, कलकत्ता-10 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त हस्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(73)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3521.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Brothers, 39-L, Suren Sarkar Road, Calcutta-10 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estalbishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/73/84-PF.II]

का० आ० 3522 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राजदा पी०एण्ड०पी० कार्पोरेशन 1, प्रोय्यगर्डस, चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-1, और खाखा सिन्हा लायब्रेरी रोड पटना-1, (बिहार) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35017/76/84-पी० एफ-2]

S.O. 3522.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Rajda P&P Corporation 1, Portuguese Church Street, Calcutta-1 including Branch at Sinha Library Road, Patna-800001 (Bihar) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/76/84-PF.II]

का० आ० 3523 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बर्दवान डिस्ट्रिक फिस फार्मर्ड्स डीवलोपमेंट एजेंसी 66/1, बरियल ग्राउण्ड रोड, जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35017/77/84-पी० एफ-2]

S.O. 3523.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Burdwan District Fish Farmers Development Agency, 66/1, Burial Ground Road, P.O. and District Burdwan (West Bengal) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(77)/84-PF.II]

का० आ० 3524—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन 2/9 एस० एन० राय रोड, कलकत्ता-38 और प्रधान कार्यालय 10 जैक्सन लेन, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017(78)/84-पी०एफ.-2]

S.O. 3524.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hindustan Industries Corporation 2/9, S. N Roy Road, Calcutta-38 including Head Office at 10-Jackson Lane, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(78)/84-PF.II]

का०आ० 3525:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सन्गुईन इंजीनियरिंग वर्कस 172/13, एम.एस. पालचौधरी लेन, हावड़ा, (पश्चिम बंगाल) और फैक्ट्री पालटिकुड़ी बुकुलताला, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी और भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(79)/84-पी.एफ. 2]

S.O. 3525.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Sanguine Engineering Works, 172/13, M. S. Palchowdhury Lane, Howrah (WB) including factory at Paltjcuri, Bukultala, (WB) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(79)/84-PF.II]

का. आ० 3526.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेघालय टीम्बर प्रा. लिमिटेड 8 और 9, बैनटिन्क स्ट्रीट कलकत्ता-1 और शाखा कार्यालय 15 माईल पोस्ट, जी.एस. रोड पो. आफिस बर्नीहट (ईस्ट खासी हिल्ज डिस्ट्रक्ट) मेघालय स्टेट नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(80)/84-पी.एफ. 2]

S.O. 3526.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, Meghalaya Timber Pvt. Ltd., 8 and 9, Bentinck Street, Calcutta-1 including Branch Office at 15th Mile Post, G. S. Road, P.O. Burnihat (East Khasi Hills Distt.) Meghalaya State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35017(80)/84-PF.II]

का० आ० 3527:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब प्रैस, 264 एम, बिपिन बेहारी गंगोली स्ट्रीट, कलकत्ता-12, डब्ल्यू.बी.-16439, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(81)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3527.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Punjab Press, 264-M Bipin Behari Ganguli Street, Calcutta-12 (WB/16439)

have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(81)/84-PF.II]

का.आ 3528:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आवमेक इंजिनियर्स—2ए, एण्ड 2 बी, आपनगढ़, 7, ब्राइट स्ट्रीट कलकत्ता—19, और वर्क्स 13/2ए, सनकारिया पारा रोड, कलकत्ता 25 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस—35017(82)/84—पी.एफ.—2]

S.O. 3528.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Avomec Engineers, 2A, and 2B, Aapanghar, 7, Bright Street, Calcutta-19 including its works at 13/2A, Sankaripara Road, Calcutta-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(82)/84-PF.II]

का.आ. 3529:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी. के. आर. साड़ी सेन्टर, बाजार स्ट्रीट पोल्लाची तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस—35019(377)/84—पी.एफ.—2]

S.O. 3529.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. V.K.R. Saree Centre, Bazar Street, Pollachi, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/377/84-PF. II]

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3530:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डायना केशमेंट्स, 46, नेल्सन मैनिका मुदालियर रोड, मद्रास-600029, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस—35019/388/84—पी.एफ.—2)]

New Delhi, the 19th October, 1984

S.O. 3530.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Diana Casements, 46, Nelson Manicaka Mudaliar Road, Madras-600029, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(388)/84-PF.II]

का.आ. 3531:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पलास्टो रबर इंडस्ट्रीज 12/23, साउथ कूलिया रोड, बेलीघाटा, कलकत्ता—10 और यूनिट 21, चावलपट्टी रोड, कलकत्ता—10 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा—1 की उपधारा—4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस—35017/85/84—पी.एफ.—2]

S.O. 3531.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Plasto Rubber Industries, 12/23, South Coolia Road, Beleghatta, Calcutta-10 and its unit at 21, Chaulpaty Road, Calcutta-10 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/85/84-PF-II]

का.आ. 3532:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोन्टीनेंटल स्टील स्टार 58/5 बी, बी.टी. रोड कासीपुर कलकता–2 एण्ड आफिस 4, नारायण प्रसाद बाबुलेन, कलकत्ता–17 नामक स्थापन के साबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस–35017(83)/84–पी.एफ.–2]

S.O. 3532.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Continental Steel Star, 58/58, B.T. Road, Cossipore, Calcutta-2 and office at 4, Naryan Prasad Babu Lane, Calcutta-7 have agreed that the provisions of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(83)/84-PF.II]

का.आ. 3533.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स इंजीनियर्स प्रोडक्टस 14, रफी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-55 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35017/84/84 पी. एफ-2]

S.O. 3533.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Engineering Products, 14, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-55, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the Act to the said establishment.

[No. S-35017(84)/84-PF.II]

का.आ. 3534.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स काल सर्विसिज 1122, सालापोश रोड़, नियर करन्ज पोलिस स्टेशन, अहमदाबाद (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/389/84-पी० एफ-2]

S.O. 3534.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Cal Services 1122, Salapose Road, Near Karanj Police Station, Ahmedabad (Gujarat) have agreed that provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(389)/84-PF.II]

का.आ. 3535.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होती कि मसर्स गोल्डविन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 22, महात्मा गांधी मार्ग लाजपत नगर, 4 नई दिल्ली-24, और रजि. आफिस 6 सी, मिडलटन स्ट्रीट, 3 तिसरी मंजिल कलकत्ता-71 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019 (379)/84 पी एफ-2]

S.O. 3535.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Goldwyn Traders Pvt. Ltd., 22, Mahatma Gandhi Marg, Lajpat Nagar-IV New Delhi-24 including Registered Office at 6-C, Middleton Street 3rd Floor, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(379)/84-PF.II]

का.आ. 3536.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे बी. लेखाविया लेखा दियावादी, सिन्धी सेहरी, सलाबतपुरा सुरत (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बन्द्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस. 35019(380)/पी एफ० 2]

S.O. 3536.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. J. B. Lekhadia, Lekhadiawadi, Sindhi Sheri, Salabat Pura, Surat, (Gujarat) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, threfore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(380)/84-PF. II]

का. आ. 3537.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड एम्पलायमेंट एजेंसी वादुथल्ला कोचीन-23, कन्यानुर तालुक ऐरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(381)/84-पी एफ-2]

S.O. 3537.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Industrial Security Training and Employment Agency, Uaduthala, Cochin 23, Kanayannur Taluk, Ernakulam District, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said esablishment.

[No. S-35019(381)/84-PF.II]

का. आ. 3538.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजयलक्ष्मी केमिकल्स एच. ओ. नं. 4, सैकिंड लाईन बीच मद्रास-600001 और नं 3, ओरसी बिल्डिंग-II मंजिल, बी०वी०के० आईनगर रोड, बंगलौर 53 स्थित उसकी शाखा सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस 35019(382)/84-पी एफ-2]

S.O. 3538.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establisnment known as Messrs Vijayalakshmi Chemicals H.O. No. 4, Second Line Beach Madras-600001 and its branch at No. 3, Orrcee Building, II Floor, B.V.K. Iyengar Road, Bangalore-53 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(382)/84-PF.II]

का. आ. 3539.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स सर्वेयर्स ब्यूरा नं 179, लिंघी चेटी स्ट्रीट मद्रास 600001, तमिल नाडु और अनन्तपुर एण्ड विशाखापत्तनम स्थित उसकी शाखाओं सहित नाम स्थापन के सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/383/84-पी एफ-2]

S.O. 3539.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relaion o he esablishment known as Messrs. Serveyours Bureau No. 179, Lingli Chety Street, Madras-600001, Tamil Nadu including its branch at Anantapur P-Visakapatnam have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(383)/84-PF.II]

का० आ. 3540.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स सी० आई० सी० इंवस्टमेंट्स प्राइवेट लि., 210 सफाली सेंटर, नियर पालदी चार रास्ता आश्रम रोड, अहमदाबाद नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस० 35019/384/84-पी एफ 2]

S.O. 3540.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. C.I.C. Investments Pvt. Ltd., 210-Shefali Centre, Near Paldi Char Rasta, Ashram Road, Ahmedabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952),should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(386)/84-PF. II]

का०आ० 3541.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी सहयोग कोआपरेटिव बैंक लि०, मिर्जापुर रोड़, अहमदाबाद-1 (गुजरात) नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 9) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/385/84 पी० एफ 2]

S.O. 3541.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Sahyog Cooperative Bank Ltd., Mirzapur Road, Ahmedabad-1, Gujarat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(385)/84-PF. II]

का० आ० 3542.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनि क्लोजर्स शैड सं० 11, स्कीम,- III फैज-II अंबला इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली और रजि० आफिस बी०- 157 ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-48 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/386/84/पी० एफ०-2)]

S.O. 3542.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Uni Closures, Shed No. 11, Scheme-III, Phase-II, Okhla Industrial Area, New Delhi including Registered Office at B-157, Greater Kailash-I, New Delhi-48, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(386)/84-PF. II]

का० आ० 3543.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंडियन प्रैस सर्विस 16-ए फ्रैन्डस कालोनी नई दिल्ली नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/387/85 पी० एफ-2]

S.O. 3543.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indian Press Service, 16-A, Friends Colony, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(387)/84-PF. II]

का० आ० 3544.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम० एम० पब्लिक स्कूल (रिकगनाजर्ड) डब्ल्यू, जैड-4 राजा पार्क दिल्ली-34 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/390/84/पी० एफ०-2]

S.O. 3544.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M. M. Public School (Recognised) WZ-4. Raja Park, Delhi-34 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(390)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

का०आ० 3545.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि आन्ध्रा बैंक फार्मर्स सर्विस को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ए० आर० नं० 103, कानेकल रयादुर्ग (तालूक) अनन्ता पुर (डिस्ट्रिक्ट) आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को को लागू करती है।

[सं. एस-35019/410/84-पी. एफ.-2]

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3545.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Andhra Bank Farmer's Service Co-operative Society Ltd. A. R. No. 103, Kanekal. Anantapur (dist) Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Goverment hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/410/84-PF. II]

का.आ. 3546 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिलट्रोनिक्स (इंडिया) लिमिटेड, प्लाट नं. 107, सिपकोट इंडस्ट्रीयल कम्पलेक्स, होसूर-635126, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (425)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 3546.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Siltronics (India) Ltd. Plot No. 107, Sipcot, Industrial Complex, Hosur-635126, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(425)/84-PF.II]

का.आ. 3547.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केरला स्टेट प्रोडक्टिविटि कौंसिल, एच. एम. टी. रोड, कालमसेरी, केरला और त्रिवेन्द्रम क्विलोन रीजनल ब्रांच म्यूजियम बेन्स कम्पाउण्ड, कोडियार (पो) त्रिवेन्द्रम-695003 और कन्नौर कालिकट रीजनल ब्रांच, केयर आफ स्टील इंडस्ट्रीज केरला लि. ओमकार बिल्डिंग चेरती रोड, कालीकट-673001 स्थित उसकी शाखा सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(439)/84 पी.एफ.-2]

S.O. 3547.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kerala State Productivity Council. H. M. T. Road, Kalamassery, Kerala and its branches at Trivandrum Quilon Regional branch museum-Banes Compound, Kowdiar (B), Trivandrum-695003 and Cannore-Callicut Regional Branch, C/o Steel Industries Kerala Ltd. Omkar Buildings Cherootty Road, Calicut-673001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/439/84-PF. II]

का०आ० 3548.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिरिगेरी इण्डस्ट्रीज राइस मिल. पोस्ट ओदाराहट्टी-583235, टी०क्यू० गंगावती, डिस्ट्रिक्स रायचूर, कर्नाटक नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हे कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का वर्णन करते हुए उक्त अधिनियम उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है :

[सं० एस० 35019/408/84-पी०एफ.-2)]

S.O. 3548.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sir ge i Industries Rice Mill, Post, Oddarahatti-583235, Tq. Gangavati District Raichur, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Mis.ellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019|408|84-PFII]

का०आ० 3549.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जीडी, इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, गोपाल बाग, अवनाशी रोड कोयम्बटूर-641018, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती ।

[सं० एस-35019/409/84-पी. एफ.]

S.O. 3549.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gedee Investments (P) Ltd., Gopal Bagh, Avanashi Road, Coimbato e-641018, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-33019/409/84-PF.II]

का०अ.० 3550.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माइक्रोपैक लिमिटेड, प्लाट नं० 16, जिगानी इंडस्ट्रीयल एरिया, एनीकल तालुक बंगलौर डिस्ट्रिक, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/392/84-पी० एफ०-2]

S.O. 3550.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estabilshment known as Messrs Micropack Limited, Plot No. 16, Jagani Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore District Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No.S-35019(392)/84-PF.II]

का०आ० 3551.—देश केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दामनी ट्रेडर्स 24-ए, शैक्सपियर सारनी कलकत्ता-17, और रजिस्टर्ड आफिस 40-काली कृष्ण टैगोर स्ट्रीट कलकत्ता-70 और फैक्ट्री-30 तारातला रोड कलकत्ता-53 में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017/72/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3551.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Damani Traders 24-A, Shakespeare Sarani, Calcutta-17 including Registered Office at 40, Kali Krishna Tagore Street, Calcutta-70 and Factory at 30, Taratalla Road, Calcutta-53 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(72)/84-PF.II]

का०आ० 3552.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आई०बी० कंशट्रक्शन, 22 के०जी० बोस सारनी, कलकत्ता -85 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(74)/84-पी०एफ-2]

S.O. 3552.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estabilshment known as Messrs. I.B. Construction, 22, K.G. Bose Sarani, Calcutta-85 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(74)/84-PF.II]

का० आ० 3553.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिमालुक्स प्रा० लिमिटेड 47/2 बी, सुहासिनी गाँगुली सारनी कलकत्ता-25, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35017(75)/84-पी०एफ० 2]

S.O. 3553.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estabilshment known as Messrs. Himalux (P) Ltd., 43/2-B, Suhasini Ganguli Sarani, Calcutta-25 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(75)/84-PF.II]

का० आ० 3554—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सीधो मल ऐजंसी ए/6, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/391/84-पी०एफ० 2]

S.O. 3554.—Whereas it appears to the Central Government and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should relation to the establishment known as Messrs. Sidho Mal Agencies, A/6, Connaught Place, New Delhi-110001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(391)/84-PF.II]

का० आ० 3555—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीरकाम इंडस्ट्रीज, 47, सिडको इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुरीची, कोइम्बटूर-641021, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

975 GI/84—16

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम, के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(442)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 3555.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estabilshment known as Messrs. Vircom Industries, 47, Sidco Industrial Estate, Kurichi, Coimbatore-641021 Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(442)/84-PF.II]

का० आ० 3556—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सर्विस केयर, नं. 160, कोडामबाकम हाई रोड, मद्रास-600034, तमिल नाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचा भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनयम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस–35019/419/84–पी० एफ० 2]

S.O. 3556.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Service Care No. 160, Kodambakkam High Road, Madras-34, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(419)/84/PF. II]

का० आ० —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अमरादीपम ब्रिक वर्क्स, नं०–1 यादवा स्ट्रीट पूनामाली, मद्रास-600056 तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस० 35019(443)/84–पी. एफ–2]

S.O. 3557. —Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Amaradeepam Brick Works, No. 1, Yadava Street, Poonamalee, Madras-600056 Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said estabilshment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(443)/84-PF.II]

का. आ. 3558.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटो कम इंजीनीयर्स, 41, कोरामंगला इंडस्ट्रीयल लेआउट बंगलौर 560034, कर्नाटक नाम स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम, के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(444)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 3558.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Auto Cum Engineers, 41, Koramangala Industrial Layout, Bangalore-560034, Karnaktaka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(444)/84-PF.II]

का.आ. 3559—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ही-टन-फोरगे 18, डी. एल. एफ. इंडस्ट्रीयल एरिया, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस-35019(445)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 3559.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hi-Ton-Forge, 18, D L.F. Industrial Area, Najafgarh Road, New Delhi-110015 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(445)/84-PF.II]

का. आ. 3560—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामू थियेटर, एम.सी. रोड, अम्बूर, नार्थ आरकोट डिस्ट्रीक्ट, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस. 35019(420)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 3560.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the maority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ramu Theatre, M.C. Road, Ambur North Arcot, Distt., Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(420)/84-PF. II]

का. आ. 3561.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जेड-577, पालाकुरिचि ऐगरीकलचरल सर्विस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड पालाकुरिची पी. ओ. नागापीरनम तालुक, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस. 35019(421)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 3561.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Palakkurichi Agricultural Service Co-operative Society Ltd., Palakkurichi Post Nagapattinam Taluk, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019 (421)/84-PF-II]

का. आ. 3562.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शर्मीला मोटर्स, 12/203, मेडिकल कालेज रोड, मंगलापुरम, थन्जावूर-613997, तमिलनाडु नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(423)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 3562.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sharmila Motors, 12/203, Medical College Road, Mangalapuram, Thanjavur-613997, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(423)/84-PF II]

का. आ. 3563.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी. श्रीनिवास एंड कंपनी (एजेंसीज) 30, वी. वी. कोइल स्ट्रीट, पैरियामेट, मद्रास-3, तमिलनाडु, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(424)/84-पी. एफ. 2]

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

S.O. 3563.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. V. Sreenivas & Co. 30, (Agencies) V. V. Koil Street, Periamet, Madras-3, Tamil Nadu have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(424)/84-PF.II]

CHITRA CHOPRA, Director

New Delhi, the 20th October, 1984

S.O. 3564.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of CMD's Office of Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

CALCUTTA

Reference No. 40 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of CMD's Office of Eastern Coalfields Limited.

AND

Their workmen

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Management—Mr. N. R. Chatterjee, Deputy Personnel Manager.

On behalf of Union—Mr. S. Chatterjee, President of the union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY Coal

AWARD

By Order No. L-19012(139)/82-D.IV(B) dated 13th June, 1983 the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour referred the following dispute for adjudication :

"Whether action of the management of M/s. Eastern Coalfields Ltd. in reduction of the basic salary of Shri K. C. Laha, Clerk employed in CMD's Office Sanctoria from Rs. 746 (Rupees seven hundred and forty six only) per month to Rs. 717 (Rupees seven hundred and seventeen) per month w.e.f. March, 82 and ordering recovery of Rs. 1220.20 paise (Rupees one thousand two hundred and twenty and twenty paise) was legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from what date ?"

2. The facts in brief are that Sri K. C. Laha was in clerical grade II in telecommunication department from some time in July 1978. He remained in that grade upto 31-12-1978. At that time his pay was 468 p.m. His annual increment was Rs. 23. It is his case that he had not received his annual increment, namely, Rs. 23 which he ought to have received on 1-1-1979. It so happened that he was promoted from clerical grade II to grade I under office order dated 28-3-79 (Ext.M-3—W-8) with effect from 1-1-79. Admittedly he got the promotional increment of Rs. 29+1 with effect from 1-1-79, The further fact that happened was that the NCWA—II which was signed on 11 August 1979 became effective from 1-1-79 and under that agreement (Ext. M-4) the pay scale of the employees was revised. A new scale of pay of grade II clerks as per NCWA—II was Rs. 508-23-692-808 and that of grade I clerk was Rs. 572-29-804-35-944. In persuance of the implementation of the said wage agreement (Ext. M-4) K. C. Laha became first entitled on 1-1-79 to have revision of his wage in grade II which came to Rs. 600. He was also entitled to his fitment in grade I with effect from that very date because of his promotion. He became entitled to one promotional increment and as such his basic pay was fixed at Rs. 630 in clerk grade I with effect from 1-1-1979. That state of affairs continued for about 15 months i.e. upto April 1980. On 30th April 1980 K. C. Laha made an application (Ext W-1) to the chief personnel officer, Sanctoria for re-fixation of pay expressing his grievance that he has lost the benefit of annual increment which was due on 1-1-1979 and normally to be effected from 1st March 1979 as per NCWA-II and that the promotion had not given him the normal benefit to the tune of one increment which was a must for fixation of his pay on promotion. He also said in that application that he was going to draw his annual increment after a lapse of about 28 months in view of the fact in the last time he had drawn his increment on 1-1-78. Thereafter a dispute was raised first by the Colliery Mazdoor Congress. The management of the ECL contended that by

mistake or by inadvertence one increment was paid to Sri Laha on 1-3-1979 in grade I i.e. within three months of his getting promotion and on the basis of that wrong payment his basic pay was wrongly fixed at Rs. 659 with effect from 1-3-79 and hence it was a case of overpayment by mistake to Sri Laha. From the aforesaid facts it will appear that the main question to be determined is as to whether or not a mistake had been committed by the management in fixing the basic pay of Sri Laha at Rs. 659 with effect from 1-3-1979 in clerical grade-I. The answer to the issue in the schedule to the reference will depend upon a finding on this aspect of the case.

3. Sri S. Chatterjee appearing for the union contended that the concerned workman Sri Laha had lost the benefit of his annual increment which was due to him on 1-1-79 and that the promotion had not given him his normal yearly benefit upto the tune of one increment which was a must for fixation of his pay on promotion. He submitted that if Sri Laha had not been promoted, his normal basic pay would stand at Rs. 623 with effect from 1-3-79 and thus the promotion had not given him the normal benefit of annual increment —his pay having been fixed only at Rs. 630 with effect from 1-1-79 ignoring his normal yearly increment of Rs. 23 which also was due on 1-1-79. In my opinion the grievance of the union is not genuine. Rs. 23 was the increment of the old scale under National Coal Wage Agreement-I when his pay was Rs. 468. That pay scale was revised and a new pay scale as above-mentioned came into existence. I am of the opinion that the old increment of the old scale cannot be tagged to the new revised pay scale. The enhanced amount of the new increment (Rs. 29) was payable in March or September under NCWA-II and the next due date as per decision of JBCCI was 1-1-1980 (see Ext. M-14). It is thus clear that no increment was payable on 1st March 1979. Realising difficulty in its way the union argued that no increment whatsoever was paid to the concerned workman on 1-3-79. The argument is not sound. The management of the ECL clearly stated in para 4(5) of their written statement dated 11th August 1963 that wrongly due to inadvertence Sri Laha was given another increment in grade I as on 1-3-79 within 3 months of receipt of one increment in grade I and thereby his basic pay was wrongly raised to Rs. 659 per month in place of Rs. 630 per month. There is no denial of this fact in the written statement of the union dated 19-9-83. The union's written statement is silent on this point. This fact therefore shall be deemed to have been admitted by the union under the law of pleading. In other words it must be held that another increment of Rs. 29 (besides the promotional increment) was paid to the concerned workman, namely to Sri K. C. Laha on 1-3-79. I have already referred to the decision of the JBCCI (Ext. M-14 dated 22 June 1980). In clause 5 of annexure B to Ext. M-14 it is clearly stated that the next increment will be due on 1-1-1980. Sri S. Chatterjee for the union submitted that the matter had not gone to JBCCI. His submission is not correct. Annexure B to Ext.-14 is the decision of JBCCI. Ext. M-8 and M-10 also go to show that the matter was decided by the JBCCI. I may also refer to the fact that 59 other employees were promoted on the same date (1-1-79) along with Sri Laha and their pay was correctly fixed and none of them made any grievance on that score. Grievance, if any, was made by three workmen. M. C. Ghosh, B. M. Banerjee and N. B. Mondal by filing a representation (Ext. M-5) dated 23 October 1981 claiming the same increment as given to Sri Laha. This put the management on enquiry into the matter and then the mistake was discovered.

4. Sri S. Chatterjee next referred to 4.3.2 of NCWA-II and contended that under that clause the due date of payment of the increment was 1-3-1979. In the first instance he argued that no increment was paid to the concerned workman on 1-3-79. I have already said that he is wrong to say so. Any way clause 4.3.2 of NCWA-II relates to annual increment to be sanctioned to the wage board staff in normal cases and is not applicable to an employee who is promoted. In case of promotion the decision of JBCCI will govern the case. The argument to this effect, thus fails.

5. Sri S. Chatterjee for the union next argued that no notice was given to the concerned workman about the reduction in his basic pay and that section 9A was not complied with. In my opinion the argument is misconceived. It is true that the schedule to the reference speaks of reduction of basic salary of Sri Laha from Rs. 746 to Rs. 717 with effect from March 1982 but the word 'reduction' is to be understood in the context ofthe facts of this case. There can be actual reduction in the basic pay of an employee and we can say that the pay has been reduced but there can be another situation also. If the basic pay has been wrongly fixed due to mistake and there has been over-payment of the increment and if it is then corrected then also we can say that the amount has been reduced but this reduction is not in actual sense of the term 'reduction but simply because there was a mistake. Every authority has inherent power to correct a mistake which is apparent on the face of the record. The order of reference is to be construed reasonably and not pidementally. In the present case I think that it is a clear case of over-payment of another increment by mistake to the concerned workman on 1-3-79. No service condition therefore was changed and section 9A is not attracted. I may mention that section 9A has not been pleaded by the union and I think rightly. The contention of Sri S. Chatterjee is rejected.

6. Sri S. Chatterjee next relied heavily on Ext. W-4 dated 25 August 1980 relating to arrear payment which is a memo issued by the chief of the telecommunication department. As this document is the sheet anchor of the case of the union. I would like to quote it in full.

MEMO

(Telecommunication Deptt.)

Ref. No. ECL/C-2(D)/PRS-3/1427 Dated 25-8-80

Sub.—Arrear Annual Increment due for 1979 in respect of Sri K. C. Laha 1st Gr. Clerk.

(1) Please find enclosed a pay roll amendment advice form in respect of Sri K. C. Laha U/Man No. 46144, 1st Grade Clerk of this Department which he had not earned his annual increment from 1st January, 1979.

(2) His basic was fixed as per N.C.W.A. II of Rs. 630 from 1st January'79 without considering his normal yearly increment. He is entitled to get his normal increment from 1st January'79 and his basic would be Rs. 659 w.e.f. 1st January'79. Further he has earned one increment from 1st January'80 and basic would be Rs. 688 instead of Rs. 659.

(3) Amounting of arrear increment will be showing in August'80 combined sheet from 1st January'79 to 31st June, 1980 in the basic adjustment column by putting * + Mark @ Rs. 29 per month for 19 months.

(4) The amendment may please be effected in the month of August'80.

Sd/-

(I. Jayakaran)

Chief of Telecommunication.

In my view this merely represents the opinion of the chief of the telecommunication department and cannot be held to be conclusive. It is not known under what circumstances this memo was issued. The union have not clarified the position either by adducing evidence on this point or otherwise. wise. I may refer to the endorsement of the chief of the telecommunication made on Ext. M-7 as deposed to by MW-1 A. K. Bhattacharya which is as under :—

"Case forwarded this being a peculiar problem for applicant. This case may please be referred to JBCCI for ruling."

There is also another remark on Ext. W-1, Sri Laha has said about it which is as below :—

"This case of annual increment which may be decided at your end please."

7. Sri N. R. Chatterjee for the management raised a point of locus standi of the present union, namely, West Bengal Colliery Mazdoor Congress (HMS). He raised this preliminary point in the written statement also. My attention was drawn to the management's petition file on 7th November 1938 before this Tribunal calling for the following documents :—

(i) Membership Register of the union in respect of the workmen employed at C.M.D's Office Establishment.

(ii) The Resolution Book of the union showing its competence to raise the instant dispute.

(iii) The subscription receipt counterfoils in respect of the members in relation to the workmen of C.M.D's Office establishment.

(iv) The office copy of the union's Annual Return in Form-I under the Trade Unions Act, 1926.

He contended that the onus was on the union to prove their locus standi and this they have not done. In my opinion this contention also has substance. The union have filed only one document, namely, Ext. W-6 a subscription receipt from Sri K. C. Laha dated 5-3-83, no other document has been filed. Even the concerned workman Sri Laha (WW-1) has said in his cross-examination that he has no document to show that he became a member of this union prior to 25th March 1983. Neither the President of the union has been examined to prove their locus standi. According to the decision in Deepak Industries Ltd. Vs. State of West Bengal, 1975 Lab. IC 1153 the onus is on union to establish their locu standi by producing relevant evidence and this has not been done. I therefore, hold that the union have no locus standi. The present union, namely, the West Bengal Colliery Mazdoor Congress (HMS) have no locus standi to represent the concerned workman. It follows that there was no industrial dispute to be referred to and the reference must held to be incompetent.

8. Even on merits of the case my concluded award is that the action of the management of M/s. Eastern Coalfields Ltd. in reduction of the basic salary of Sri K. C. Laha, clerk employed at CMD's office Sanctoria from Rs. 746 (Rupees seven hundred and forty-six only) per month to Rs. 717 (Rupees seven hundred and seventeen) per month w.e.f. March, 82 and ordering recovery of Rs. 1220.20 paise (Rupees one thousand two hundred and twenty paise) was legal and justified. It follows that the workman is not entitled to any relief.

Dated, Calcutta,

29th September, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(139)/82-D.IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1984

का.आ. 3565—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रम विभाग के अवर सचिव, श्री राजीत मित्र को 22 अक्टूबर, 1984 से अगले आदेश जारी होने तक उत्प्रवासी संरक्षी-1, बम्बई के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. ए-22012/3/84-एमीग्रेशन-2]

नवेद मसूद, अवर सचिव

New Delhi, the 20th October, 1984

S.O. 3565.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 5 of the Emigration Act 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Rajeet Mitter, Under Secretary, Department of Labour to perform all functions of Protector of Emigrants-I, Bombay with effect from 22nd October, 1984, till further orders.

[No. A/22012/3/84-Emig. II]

NAVED MASOOD, Under Secy.

New Delhi, the 22nd October, 1984

S.O. 3566.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of India Cements Ltd., Sankarnagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1984.

BEFORE THIRU K. S. GURUMURTHY,
B. A., B. L.,
PRESIDING OFFICER,
INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU.

MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Friday, the 28th day of September, 1984.

Industrial Dispute Nos. 17 of 1984, 32 of 1984 and 36 of 1984.

(In the mater of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of India Cements Limited, Sankarnagar, Tirunelveli District.)

BETWEEN

The workmen represented by

The President,

Tinnevelly Taluk National General Workers Union,

Thalaiyuthu,-Sankarnagar Post Office,

Pin 627357, District Tirunelveli.

AND

The General Manager,

India Cements Limited,

Post Office Sankarnagar,

District Tirunelveli.

REFERENCES

Order No. L-29011/79/83-D. III(B), Ministry of Labour & Rehabilitation, dated 3-4-1984, Government of India. (In I.D.No. 17/1984).

Order No. L-29012(68)/83-D. III(B), Ministry of Labour & Rehabilitation, dated 3-4-1984, Government of India. (In I.D. No. 32/1984).

Order No. L-29011/76/83-D. III(B), Ministry of Labour & Rehabilitation, dated 23-4-1984, Government of India. (In I. D. No. 36/1984).

These disputes coming on for final hearing on Monday, the 17th day of September, 1984 upon perusing the references, claim statments and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. S. Narayana, Advocate appearing for the workmen in all the disputes and of Thiru S. Jayaraman for the Management in all the disputes and both parties having filed memorandum of settlement in all the three disputes and recording the same,

this Tribunal made the following common.

AWARD

These are three industrial disputes raised by the Union, namely, Tinnevelly Taluk National General Workers Union, Tirunelveli representing the workmen employed in the Respondent Management India Cements Limited, Sankarnagar.

(2) In I. D. No. 17 of 1984 the dispute related to the withdrawal of one of the two helpers by the Management. The dispute in I. D. No. 32 of 1984 related to the termination of the services of two watchmen, while the distpute in I. D. No. 36 of 1984 related to the question whether the individuals mentioned in the reference were only casual employees and the termination of their services without adhering to the provisions of law v the Management is vailed and if not to what relief they are entitled.

(3) The parties appeared through their respective counsel after receipt of notice of these disputes pending before this Tribunal. The Union in all the three disputes filed claim statements.

(4) The matter was pending for some time. Today, the Unjon representing the workmen in each industrial dispute and the Management in each of these three industrial disputes represented by counsel have filed a joint memo stating that the disputes in all the three matters had been settled by the parties. They have also enclosed the settlement in each industrial dispute signed by the Management and the representatives of the Union. The counsel appearing on either side states that the terms of these settlements are very reasonable, fair and just.

(5) So far as the dispute in I. D. No. 17 of 1984 is concerned, the Union has agreed not to press the claim. As has been earlier indicated the dispute relates to the withdrawal of one of the two helpers. Perhaps the Unlon has felt that to press for the reinstatement or provision of one more helper may not to quite reasonable considering the financial impact.

(6) Regarding the dispute in I.D. No. 32 of 1984, the two individuals were held unfit on medical grounds. However after negotiation the Management on compassionate grounds has agreed to place one of the two, in charge of the lands in various places belonging to the Company on a consolidated remuneration of Rs. 300 per mensem. So far as other individual is concerned the Management has agreed to appoint one of his dependants. The Union had appreciated the gesture shown by the Management and has felt that it would not be reasonable to pursue the dispute any more and therefore on such concession made by the Management the Union had agreed not to press for any relief in I.D. No. 32 of 1984.

(7) So far as the dispute in I.D. No. 36 of 1984 is concerned the Management has agreed as per the terms of settlement to provide employment to five persons. Accepting this offer of the Management to appoint these persons mentioned in the settlement, the Union has agreed to withdraw its claim in I.D. No. 36 of 1984.

(8) I do not consider that there is any ground or justification to say that these terms of settlement are unfair or unjust. Accepting the terms of settlement to be fair and just I record the settlement in each industrial dispute. An award is passed in terms of the settlement in each industrial dispute.

(9) The result in the claim in I.D. No. 17 of 1984 will stand rejected and the claims of the Union in I.D. Nos. 32 and 36 of 1984 is also rejected as being not pressed in view of the award in terms of the settlement. An Award is passed accordingly. There will be no order as to costs.

Dated, this 28th day of September, 1984.

K. S. GURUMURTHY, Indudstrial Tribunal

ANNEXURE

Dated 24-9-1984

(See Rule 58)

Memorandum of Settlement arrived at under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 at Sankarnagar, Tirunelveli District on 24-9-1984 between the Management of India Cements Ltd., Sankarnagar and Tirunelveli Taluk National General Workers Union, Regd. No. 155/TIN., Sankarnagar.

PRESENT

Representing Management :

1. Sri G. Ramji,
   General Manager,
   The India Cements Ltd

2. Sri K. Kannabiran,
   Chief Mines Superintendent,
   The India Cements Ltd.,

3. Sri S. Cyril Susairaj,
   Personnel Officer,
   The India Cements Ltd.

Representing Workmen : Union.

1. Sri S. S. R. L. Pandian,
   President,
   Tirunelveli Taluk,
   National General,
   Workers Union,
   Regd. No. 155/TIN.

2. Sri P. Nainar Thevar,
   General Secretary,
   Tirunelveli Taluk,
   National General,
   Workers Union,
   Regd. No. 155/TIN.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Tirunelveli Taluk National General Workers Union raised some disputes and after failure of conciliation, 3 disputes have been referred under Section 10(1) of the I.D. Act, 1947. The 3 cases have come up before the Industrial Tribunal and numbered as I.D. No. 17/84, 32/84 and 36/84. Talks were held between the Management and Union to settle the issue amicably out of Court. Finally an amicable settlement reached between the Management and the Union. The terms of settlement as follows :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. Reg. I.D. No. 17/84—Withdrawal of one helper provided to assist the Wagon Drill Operator.

The Union has agreed not to press the claim and agreed to wihddraw their claim in this case.

2. Reg. I.D. No. 32/84—Termination of M/s. Paramasivam Chettiar and Sri V. Durairaj Thevar, Casual Watchmen.—Both these Watchmen were found medically unfit. Therefore it is not possible to consider providing job for these persons. However, in order to maintain good relationship with the Union, the Company has agreed to employ the wards of the watchmen provided they are medically fit and after assessing their suitability. Sri Paramasivam Chettiar's son is stated to be qualified in Automobile Mechanic and if he is found suitable he will be taken as Machinery Attendant or in any other post commensurate with his suitability. In the case of ward of the other watchman Sri V. Durairaj Thevar, since he is unfit to take up any job being physically handicapped, the watchman himself will be absorbed to look after the lands in various places of the Company on a consolidated remuneration of Rs. 300 per mensem. The Union agreed not to press further in this matter and agreed

to withdraw their claim in this case and not to press for any relief, in respect of these two persons.

3. I.D. No. 36/84.

(a) Reg. termination of services of 24 persons.

(b) (i) Regularisation of services of six workmen employed in Geological Section.

(ii) Promotion of Sri Muniyandi as Wagon Drill Operator.

(a) As regards the issue of non-employment of 24 persons, Management explained that they were not employed by the Management directly in the company and no employer-employee relationship is prevailing between the Management of India Cements Ltd. and these 24 workmen. Hence considering the cases of these workmen would not arise and the Management is also not bound to consider their case.

(b) (i) Sri P. Aathi is already employed as a Mazdoor in Talaiyuthu Limestone Mines. Sri K. Muthu who is working as a Casual worker will be appointed as a Mazdoor in loading gang in the permanent category. The other three persons (viz) (1) Sri P. Balakrishnan (2) Sri A. Krishnan and (3) M. Peer Mohindeen will be appointed as Mazdoors in any of the Mines of India Cements Ltd., Sri S. Thangaraj will be taken as a helper in Wagon Drill Operation.

(b)(ii) Regarding promotion of Sri Muniyandi, it has been agreed to review the interview papers to assess his suitability. If he is having requisite qualification, his case will be considered for promotion.

However, as a gesture of goodwill and to maintain good relationship with the union the company agrees to provide employment to the following persons, out of the 24 persons, as Mazdoors in Loading in any one of the Mines in the India Cements Ltd.

1. Sri M. Peer Moideen
2. " K. Muthupandi
3. " S. Baskar
4. "S. Lakshmanan
5. "K. Arumugham.

With this the union agreed not to press any claim/relief in the above case and agreed to withdraw all their claims in I.D. No. 36/84.

Representing Management :

1. (Sd) G. Ramji,
   General Manager.
2. (Sd) K. Kannabiran,
   Chief Mines Superintendent.
3. (Sd) S. Cyril Susairaj,
   Personnel Officer.

Representing Workmen : Union.

1. (Sd) S. S. R. D. Pandian,
   President of the Tirunelveli Taluk National General Workers Union, Regd. No. 155/TIN.
2. (Sd) P. Nainar Thevar,
   General Secretary of the, Tirunelveli Taluk National, General Workers Union, Regd. No. 155/TIN.

WITNESS :

1. (Sd) G. Sorna Thevar
2. (Sd) P. Chandresekaran.

K. S. GURUMURTHY, Industrial Tribunal

[No. L-29012(68)/83-D. III(B)]

NAND LAL, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 जून, 1984

आय कर

का. आ. 3567—अतः, आयकर अधिनियम, 96 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर्नाटक I और II के आयकर आयुक्तों के समवर्ती क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (जाँच), बंगलोर की प्रदत्त किये हैं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 121 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि इस के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिसका प्रधान कार्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त अ अनुसूचीके स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित मामले अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में कार्य नहीं करेंगे ।

अनसूची

आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
(जाँच) बंगलौर	बंगलौर	क. आयकर आयुक्त, कर्नाटक I और II के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण के परिणामतः आय की विवरणियाँ दाखिल की जाती हैं अथवा आय की वे विवरणियाँ पहली बार दाखिल की जाती है और जहाँ 1-12-79 के बाद ऐसी विवरणियाँ दाखिल की गई हैं और जिन मामलों में धारा 139 (2) के अधीन नोटिस जारी किए गए हैं ।

1	2	3
		तथापि कंपनियों, न्यासों, वेतन भोगी कर-निर्धारितियों के संबंध में क्षेत्राधिकार अब से पहले की तरह अर्थात् संबंधित क्षेत्रीय आयकर आयुक्त में ही निहित रहेंगे।
		ख. परन्तु ऐसी सभी विवरणियों पर से, जिन्हें पहली बार 15-6-1984 को या उसके बाद दाखिल किया जाता है तथा जिनमें कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है तथा/अथवा जिनमें धारा 139(2) 148 के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं किये गये हैं स्तम्भ 1 में उल्लिखित आयकर आयुक्त जाँच का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा।
		ग. 1. जाँच परिमण्डल, बंगलौर।
		2. सर्वेक्षण परिमण्डल-1, बंगलौर।
		3. सर्वेक्षण परिमंडल-II, बंगलौर।
		घ. आयकर आयुक्त, कर्नाटक 1 तथा 2, बंगलौर के क्षेत्रा-धिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण की सामान्य शक्तियाँ बशर्ते कि ऐसी शक्तियाँ बंगलौर शहर की सीमा केअंतर्गत इस्तेमाल की जा रही हों।

यह अधिसूचना 15-6-1084 से लागू होगी।

[सं. 5860 (फा. सं. 187/16/84-आ.क. (नि.I)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th June, 1984

(INCOME TAX)

S.O. 3567.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes have conferred on the Commissioner of Income-tax, Investigation Bangalore, jurisdiction concurrent with those of the Commissioners of Income-tax, Karnataka-I and II the Central Board of Direct Taxes in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 121, hereby directs that the Commjssioner of Income-tax specified in Col. (1) of the Schedule hereto annexed with headquarters specified in Col. (2) thereof shall alone perform functions in respect of such cases or classes of cases as are referred to in Col. 3 of the said schedule and the Commissioners of Income-tax, Karnataka-I & II shall not exercise over the cases or classes of cases as are referred to in Col. (3) of the said schedule.

SCHEDULE

Commissioner of Income-Tax	He dquarter	Jurisdiction
1	2	3
(Investigation), Bangalore.	Bangalore	A. All cases where returns of income are filed as a result of survey or where such returns of income are those filed for the first time in the areas comprised the jurisdiction over Commissioners of Income-tax, Karnataka-I & II and where such returns are filed after 1-12-79 and in cases where notices under sec. 139(2) are issued. However, in respect of companies trusts, salaried assessees the jurisdiction will continue to vest as hitherto before viz. with the concerned territorial commissioner of Income-tax.
		B. However the jurisdiction in respect of all returns filed for the first time on or after 15-6-1984 and where no assessment has been made and or notices under section 139 (2)/148 have not been issued will cease to lie with the C.I.T., Investigation mentioned in Col. 1.
		C. 1. Investigation Circle, Bangalore.
		2. Survey Circle-I, Bangalore.
		3. Survey Circle-II, Bangalore.
		D. Genzral power of survey in respect of areas comprised in the jurisdiction of the Commissioners of Income-tax, Karntaka-I & II, Bangalore, subject to such powers being exercised within the limits of Bangalore city

This notification shall take effect from 15-6-1984.

[No. 5860 (F. No. 187/16/84-IT(AI)

R.K. TEWARI, under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984